In Section 19.-

(i) Omit "or the Court of District Judge", occurring at both the places;
(ii) Omit "or section 17 A" occurring at both the places;
(iii) Omit "or the High Court;
(iv) Omit "or section 18A" occurring at both the places; and
(v) Omit "or the High Court referred to in section 18B' occurring at the end.

Insertion of new section:- After section 19, insert-

Transfer of Pending Applications. **"19A.-** All the pending applications before the court of District Judge and the High Court under sections 17A and 18 B respectively, shall stand transferred to the Tribunal and the Appellate Tribunal, as the case may be.".

3. CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

(2 of 1974)

Section 24.— In sub-section (7), for " sub-section (6)", substitute "sub-section (6) or sub-section (6A) " ,

Section 25A.— In sub-section (4), for " Joint Director", substitute " Director Prosecution".

IndiaCode

[F.No.11012/21/2020-SRA]
AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3808(अ).— केन्द्रीय सरकार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनानेवाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पुनर्गठन (राज्य विधियों का अनुकूलन) पांचवां आदेश, 2020 है।

(2) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 इस आदेश के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होगा जैसे यह भारत राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. तत्काल प्रभाव से, इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम, जब तक सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं किया जाता है, उक्त अनुसूची द्वारा निदेशित अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे या यदि इस प्रकार निदेशित किया गया है, तो निरसित हो जाएंगे।

4. जहां इस आदेश में ऐसा अपेक्षित है कि किसी अधिनियम की किसी निर्दिष्ट धारा या अन्य भाग में, कतिपय अन्य शब्दों के स्थान पर कतिपय शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे या कतिपय शब्दों का लोप किया जाएगा वहां,

यथास्थिति, ऐसा प्रतिस्थापन या लोप, वहां के सिवाय जहां अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, जहां कहीं विर्निष्ट शब्द उस धारा या उसके भाग में आते हैं, किया जाएगा।

5. इस आदेश के ऐसे उपबंध, जो किसी विधि का अनुकूलन करते हैं, या उसका रूपांतरण करते हैं या उसका निरसन करते हैं जिससे उसे ऐसी रीति में परिवर्तित किया जा सके जिसमें ऐसा प्राधिकार जिसके द्वारा या ऐसी विधि जिसके अधीन या जिसके अनुसार ऐसी कोई शक्तियां प्रयोक्तव्य हों, 31 अक्तूबर, 2019 से पहले सम्यक रूप से जारी की गई किसी अधिसूचना, किए गए आदेश, की गई प्रतिबद्धता, कुर्की, बनाई गई उपविधि, बनाए गए नियम या विनियम को या सम्यक रूप से की गई किसी बात को अविधिमान्य नहीं बनाएंगे; और ऐसी किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम या किसी बात का वैसी ही रीति में, वैसे ही विस्तार तक, और वैसी ही परिस्थितियों में प्रतिसंहरण, फेरफार या अकृत किया जा सकेगा मानों वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबंधों के अनुसार बनाया गया हो, जारी किया गया हो या किया गया हो।

6. इस आदेश की अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी विधि का निरसन या संशोधन —

(क) इस प्रकार निरसित किसी विधि के पूर्ववर्ती प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रुप से की गई या सहन की गई किसी बात को;

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को;

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध कारित किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड को;

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता , दायित्व शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को,

प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को वैसे ही संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी किसी शास्ति, समपहरण या दंड को वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) या यह आदेश पारित या जारी नहीं किया गया हो ।

अनुसूची

(पैरा 3 देखें)

राज्य विधियां

1. जम्मू-कश्मीर आकाशी रज्जुमार्ग अधिनियम,

(2002 का 12)

सम्पूर्ण अधिनियम में ''राज्य रणबीर संहिता संवत 1986'' के स्थान पर, ''भारतीय दंड संहित (1860 का 45)'' रखें।

धारा 1. – उप-धारा (2) में, "सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

धारा 2. - (i) खंड (ग) के पश्चात् -

"(गग) "कलेक्टर" से भू-राजस्व अधिनियम संवत, 1996 के अधीन

यथापरिभाषित कलेक्ट अभिप्रेत है।

(ii) खंड (घ) में, ''जम्मू-कश्मीर सरकार'' के स्थान पर, ''जम्मू -कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार'' रखें।

(iii) खंड (च) के स्थान पर,-

"(च)"निरीक्षक" से कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो किसी समिति या किसी एजेंसी में इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा इस प्रकार नियुक्त किया गया है";

(iv) खंड (ट) में "कंपनी अधिनियम, 1956" के स्थान पर, "कंपनी अधिनियम, 2013 रखें;

धारा 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

रियायतों के लिए घोषणा

"3. आवश्यक प्रारंभिक अन्वेषणों के लिए एक प्रस्तावित आकाशी रज्जुमार्ग के संबंध में सरकार संभिन्न एक इच्छुक संप्रवर्तक द्वारा प्रत्येक घोषणा सम्बद्ध संभागीय आयुक्त को एक आवेदन के रूप में प्रस्तुत की जाएगी।

घोषणा की विषय वस्तु

4.– ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ सम्यक रूप से शपथ पत्र लगाया जाएगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) वचनबंध का विवरण और प्रस्तावित आकाशी रज्जुमार्ग द्वारा अनुसरित मार्ग;

(ख) निर्माण और प्रबंधन की प्रणाली का विवरण और आकाशी रज्जुमार्ग से समुदाय को अपेक्षित लाभ;

(ग) इसके निर्माण की लागत का अनुमानित प्राक्कलन; और

(घ) ऐसे नक्शे, स्कीम , खंड, चित्र और अन्य जानकारी जिसे सरकार को प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता हो।"

धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

संप्रवर्तक दर नियत कर सकेगा

"18..- संप्रवर्तक किसी आकाशी रज्जुमार्ग पर काम करने के प्रयोजनों के लिए, आकाशी रज्जुमार्ग पर यात्रियों, जानवरों या सामानों की गाड़ी के लिए दरें नियत करने की शक्तियां प्राप्त होगी :

परंतु ऐसी दरें इस तरह की अधिकतम और न्यूनतम दरों के अध्यधीन होंगी, जिन्हें सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रियायत, गारंटी या वित्तीय सहायता के मामले में विहित या आदेशित किया जा सकेगा।''

"राज्य भूमि अर्जन अधिनियम, संवत 1990 के भाग 7 " के स्थान पर, "भूमि

धारा 30. – अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (30 का 2013)" रखें।

धारा 32. – उप-धारा (4) में ''राज्य विधानमंडल का प्रत्येक सदन'' और ''दोनों सदन'' के स्थान पर, क्रमश: ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल'' और ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा'' रखें

धारा 34. - "एक हजार रुपये" के स्थान पर, "पाँच हजार रुपये" शब्द रखें।

2. जम्मू-कश्मीर भूमि संबंधी सुधार अधिनियम (1976 का 17)

सम्पूर्ण अधिनियम में, ''राज्य'' के स्थान पर ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र'' रखें।

धारा 1. – उप-धारा (2) में, "सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

धारा 2. - (i) मौजूदा खण्ड (1) को (1क) के रूप में संख्यांकित करें और इस प्रकार संख्यांकित (1क) के पहले निम्नलिखित अंत:स्थापित करें-

"(1) "बोर्ड" से भू-राजस्व अधिनियम, संवत 1996 के अधीन गठित राजस्व बोर्ड अभिप्रेत है;

(ii) खंड (4) में, ''जम्मू-कश्मीर वन अधिनियम संवत 1987'' के स्थान पर, ''भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16)'' रखें।

(iii) खंड (18) में,-

"(क)''जम्मू-कश्मीर वयस्कता अधिनियम, संवत 1977'' के स्थान पर, 'वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9)'' रखें ";

(ख) "और जम्मू-कश्मीर विस्थापित व्यक्ति (स्थाई बंदोबस्त)" अधिनियम, 1971 का लोप करें;

धारा 3. – (i) खंड (च) में, ''लद्दाख जिला के बाहर'' लोप करें;

(ii) खंड (छ) लोप करें;

(iii) खंड (ढ) में "राज्य" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" रखें;

धारा 4 . – (i) "राज्य" जहां कहीं भी आ रहा है, के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" रखें -

(ii) उप-धारा (2) में, खण्ड (क) का लोप करें।

धारा 5.- "राज्य" जहां कहीं भी आ रहा है, के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" रखें -

धारा 6.- "राज्य" जहां कहीं भी आ रहा है, के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" रखें -

धारा 7 उप-धारा 7 के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें-

"(8) ऐसी तारीख से जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, इस धारा के अधीनभूमि के पुनरारंभ के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा।'

धारा 13.- उप-धारा (1) और उप-धारा (3) लोप करें।

धारा 19.- उप-धारा (3) लोप करें।

धारा 21.- उप-धारा (2) लोप करें।

धारा 22.- *उप-धारा (2) में-*

(क) "जम्मू-कश्मीर परिसीमा अधिनियम, संवत 1995" के स्थान पर, "परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) रखें", और

(ख) परन्तुक का लोप करें।

धारा 23.- "जम्मू-कश्मीर राज्य रणबीर दंड संहिता, की धारा 193, 219 और 228" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 193, धारा 219 और धारा 228" रखें।

धारा 26.- लोप करें।

धारा 28-क के स्थान पर, निम्नलिखित रखें-

कतिपय भूमि के अंतरण पर प्रतिषेध *"28-क-(1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति जिसके पास इस अधिनियम के अधीन भूमि में स्वामित्व का अधिकार अंतर्विष्ट है, ऐसी भूमि*

IndiaCode

या उस पर प्राप्त अधिकार को सरकार या इसकी एजेंसियों और सहायक निकायों से भिन्न किसी व्यक्ति को किसी भी रीति से अंतरित नहीं करेगा।

परंतु इस उप-धारा की कोई भी बात निम्नलिखित का प्रतिषेध नहीं करेगी:

(क) ऐसी भूमि के स्वामित्व का अंतरण जिसको जम्मू–कश्मीर भू-राजस्व अधिनियम, संवत 1996 (संवत 1996 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 133-ज, धारा 133-झ, धारा 133-ञ, धारा 133-ट और धारा 133-ठ के उपबंधों के अध्यधीन धारा 4 के अधीन राज्य में अंतर्विष्ट होने की तारीख से पन्द्रह वर्ष व्यतीत होने के पश्चात धारा 8 के अधीन संभावित स्वामी को अंतरित की गई है।

(ख) जम्मू–कश्मीर भू-राजस्व अधिनियम, संवत 1996 (संवत 1996 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबंधों के अधीन भूमि का पट्टा प्रदान करना;

(ग) जम्मू–कश्मीर भू-राजस्व अधिनियम संवत 1996 (संवत 1996 का अधिनियम संख्या XII) के उपबंधों के अधीन कृषि कार्य करने की संविदा करना;

(घ) भूमि के सुधार के प्रयोजनों के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु साधारण बंधक के रूप में भूमि का अंतरण।

(2) उप-धारा (1) के उल्लंघन में भूमि या उसके अधिकार का कोई भी अंतरण अवैध और अमान्य होगा। ऐसा व्यक्ति जिसने उप-धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन किया है, को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसे राजस्व अधिकारी जिसका रैंक तहसीलदार के रैंक से नीचे का न हो, द्वारा ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा और वह भूमि राज्य में अंतर्विष्ट हो जाएगी और उस रीति से निपटाई जाएगी जैसा विहित किया जाए।"

3. जम्मू-कश्मीर अन्य संक्रामण अधिनियम
(संवत 1995 का 5)

पूर्णतया निरसन करें।

4. जम्मू-कश्मीर वृहद् भू-सम्पदा उत्सादन अधिनियम
(संवत 2007 का 17)

पूर्णतया निरसन करें।

5. जम्मू-कश्मीर सामान्य भूमि (विनियमन)अधिनियम, 1956
(1956 का 24)

पूर्णतया निरसन करें।

6. जम्मू-कश्मीर ध्रति समेकन अधिनियम, 1962
(1962 का 5)

पूर्णतया निरसन करें।

7. जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम
(1970 का XIX)

IndiaCode

सम्पूर्ण अधिनियम में "राज्य" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

धारा 1.- उप-धारा (2) में ''सम्पूर्ण राज्य" के स्थान पर, "सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

धारा 2.- (i) खण्ड (घ क) में:-

(क) 'राज्य का स्थाई निवासी होने के कारण'' लोप करें; और

(ख)''4 मीटर X 7.5 मीटर और 25 वर्गमीटर से 30 वर्गमीटर की रेंज के भीतर कारपेट एरिया'' के स्थान पर, ''जो विहित किया जाए'' रखें।

(ii) खण्ड (ड. क) में:-

(क) ''राज्य का स्थाई निवासी होने के कारण'' लोप करें; और

(ख)फ्लैट वाले आवास के मामले में लगभग 50 वर्गमीटर के फ्लोर एरिया का ''4.5 मीटर X 10 वर्गमीटर के स्थान पर, ''जो विहित किया जाए'' रखें।

(iii) खण्ड (1) में, ''भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1990 की धारा 3'' के स्थान पर, ''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)'' रखें, और

(iv) खण्ड (1) के पश्चात, निम्नलिखित जोड़े:-

"(ड.) "रणनीतिक क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन रणनीतिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।"

धारा 3.- उप-धारा (2) के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें:-

"(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सरकार किसी सैन्य अधिकारी जिसका रैंक कार्प कमांडर के नीचे का न हो, के लिखित अनुरोध पर किसी स्थानीय क्षेत्र के अधीन स्थित क्षेत्र को केवल सशस्त्र बलों के सीधे कार्यचालन और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए रणनीतिक क्षेत्र घोषित कर सकता है, जिसे इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए नियमों/विनियमों के लागू होने से घोषणा में उल्लिखित उस रूप में और उस सीमा तक बाहर रखा जा सकता है। सरकार किसी क्षेत्र को रणनीतिक क्षेत्र घोषित करने के लिए उद्घोषित किए गए कारणों से स्वयं का समाधान करेगी और ऐसी परिस्थितियों के अनुसार जो अपेक्षित हो, ऐसे क्षेत्र को अधिसूचित करेगी।"

धारा 5.- "प्राधिकरण" के स्थान पर "सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किसी नियम, विनियम, आदेश या अनुदेश के अध्यधीन, प्राधिकरण' रखें।

धारा 8.- उप-धारा (1) में "प्रत्येक जोन के लिए जिसमें स्थानीय क्षेत्र को विभाजित किया जा सकता है" के स्थान पर "ऐसे जोन के लिए जिन्हें धारा 13 के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है" रखें और "प्रत्येक जोन" के स्थान पर, "ऐसे प्रत्येक जोन" रखें।

धारा 11.- "महास्कीम और आंचलिक स्कीम ' के स्थान पर "महास्कीम या आंचलिक स्कीम" रखें।

नई धारा 11क का अंत:स्थापन

धारा 11 के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित करें।

अनुज्ञात भूमि का उपयोग और भूमि उपयोग का उद्ग्रहण

"11क(1) महास्कीम या आंचलिक स्कीम आरंभ हो जाने पर, उसके अधीन कवर किए गए क्षेत्र में अनुज्ञात भूमि का उपयोग केवल उस रीति से किया जाएगा जैसा कि ऐसे महास्कीम या आंचलिक स्कीम की निबंधनों में उपबंधित है। किसी भूमि के उपयोग को बदलने के लिए किसी अनुज्ञा की अपेक्षा करने वाले जम्मू–कश्मीर भूमि संबंधी सुधार अधिनियम, 1976, जम्मू–कश्मीर भूराजस्व अधिनियम, संवत 1996 या तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि इस तरह कवर की गई भूमि पर लागू नहीं होंगे।

(2) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा महास्कीम या आंचलिक स्कीम में अनुज्ञात के रूप में भूमि के उपयोग के लिए प्रभार लगाने हेतु एक स्कीम अधिसूचित करेगी जो प्राप्त धन प्राधिकरण की निधियों का एक हिस्सा होगा और इसका उपयोग उस भूमि के अधिग्रहण पर होने वाले व्यय को चुकाने के लिए किया जा सकता है, जिसे धारा 50 के अनुसार अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता है।

धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

विकास क्षेत्र की घोषणा और विकास कार्य आदि की अनुज्ञा

"13. (1) धारा 11 के अधीन स्कीम के लागू होने की तारीख को अनुमोदित करने की सूचना के प्रकाशित होने के पश्चात, प्राधिकरण, सरकार की पूर्व अनुज्ञा और राजपत्र में सूचना के द्वारा इस अधिनियम के प्रस्कीम र्थ किसी जोन या उसके भाग को विकास क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, ऐसी अधिसूचना के परिणामस्वरूप, सरकार के विभाग सहित कोई भी व्यक्ति जोन में किसी भूमि या भवन के विकास का कार्य आरंभ नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण से लिखित में ऐसे विकास कार्य की अनुज्ञा प्राप्त नहीं कर ली जाती है।

परंतु सरकार के विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 31अक्तूबर, 2019 से पूर्व आरंभ किया गया किसी भूमि के विकास का कार्य उस विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूरा कर लिया जाए।

(3)सरकार के विभाग या किसी प्राधिकरण सहित कोई भी व्यक्ति या निकाय चाहे वह प्राईवेट या सार्वजनिक हो, जम्मू–कश्मीर नगर-निगम अधिनियम, 2020 के उपबंधों के अधीन स्थापित नगर-निगम की सीमा के बाहर स्थानीय क्षेत्र में किसी भी रूप में किसी सड़क या ले-आउट प्लान, चाहे जो भी हो, के कार्यान्वयन का कार्य प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना प्रारंभ नहीं करेगा।

परंतु ऐसी अनुज्ञा के प्रस्कीम र्थ, प्राधिकरण, जम्मू–कश्मीर नगर-निगम अधिनियम, 2020 के अध्याय 13 में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और निगम या आयुक्त के संबंध में कोई भी संदर्भ क्रमश: प्राधिकरण या प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

परंतु इस उप-धारा के अधीन लगाए गए प्रतिबंध जम्मू-कश्मीर मेट्रोपोलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2018 के अधीन स्थापित मेट्रोपोलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से आरंभ किए गए किसी विकास कार्य या जम्मू-कश्मीर नगर स्कीम अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अधीन कार्यान्वित टाउन प्लानिंग स्कीम ओं पर लागू नहीं होंगे।

धारा 15.- "किसी जोन में कोई स्कीम " के स्थान पर, "किसी जोन में कोई महास्कीम या आंचलिक स्कीम " रखें।

धारा 16.- "भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1990" के स्थान पर, "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 की 30)" रखें।

धारा 17.- उप-धारा (1) में "राज्य के स्थायी निवासी" लोप करें।

धारा 21.- उप-धारा (4) में, "विधानमंडल के दोनों सदन" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा" रखें।

धारा 22.- उप-धारा (2) में, "भविष्य निधि अधिनियम, संवत 1998" के स्थान पर, "कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19)" रखें।

नए अध्याय का अंत:स्थापन

अध्याय 7-क.- धारा 22 के पश्चात, निम्नलिखित अध्याय जोड़े:-

"अध्याय 7-क

जम्मू-कश्मीर औद्योगिक विकास निगम

परिभाषाएं 22-क. इस अध्याय में जब कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "सुविधा" में सड़क, जल या विद्युत की आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, नालियां, सीवरेज, परिरक्षण कार्य और ऐसी अन्य सुविधाएं जिनका उल्लेख सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के उपबंधों के लिए सुविधा के रूप में उल्लेख करे।

(ख) "भवन" से ऐसी कोई अवसंरचना या ढांचा या अवसंरचना या ढांचे का हिस्सा अभिप्रेत है जिसका आशय उसे आवासीय, औद्योगिक, व्यवसायिक अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने का है, चाहे उसका वास्तविक रूप में उपयोग हो या नहीं।

(ग) "कलेक्टर" से जिले का कलेक्टर अभिप्रेत है और इसमें इस अध्याय के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया गया कोई अधिकारी भी शामिल है।

(घ) किसी औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक सम्पदा के संबंध में "व्यावसायिक केन्द्र" से सरकार द्वारा चयन किया गया कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां निगम दुकान या अन्य भवनों का निर्माण करता है और उन्हें किसी व्यावसायिक गतिविधि के लिए उपलब्ध कराता है।

(ड.) "निगम" से जम्मू-कश्मीर औद्योगिक विकास निगम या धारा 22-ख के अधीन स्थापित सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य निगम अभिप्रेत है।

(च) अपनी व्यावकरणिक रूप भेदों के साथ "विकास" से भूमि पर, उसके ऊपर या उसके नीचे भवन, इंजीनियरिंग, उत्खनन या अन्य कार्य आरंभ करना या भवन या भूमि में कोई भौतिक परिवर्तन करना अभिप्रेत है और इसमें पुनर्विकास का कार्य भी शामिल है किंतु खनन कार्य शामिल नहीं है और तदनुसार इसका आशय "विकास करना" भी होगा।

(छ) "इंजीनियरिंग कृत्यों " में रोड तक पहुंचने के साधनों का ले-आउट तैयार करना या जलापूर्ति के साधनों का ले-आउट तैयार करना शामिल है।

(ज) "औद्योगिक क्षेत्र" से ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है और जहां उद्योग लगाए जाने हैं।

(झ) "औद्योगिक सम्पदा" से सरकार द्वारा चयन किया गया कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां निगम कारखानों और अन्य भवनों का निर्माण करता है और उन्हें किसी उद्योग या उद्योग के वर्ग को उपलब्ध कराता है।

(ञ) "पहुंच के साधन" में वाहनों या पैदल चलने वालों के लिए पहुंच के किसी साधन के लिए कोई सड़क चाहे प्राईवेट हो या सार्वजनिक, शामिल है।

(ट) "परिसर" से भवन की कोई भूमि या भवन का कोई भाग अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) ऐसे भवन या भवन के भाग से जुड़ा बगीचा, मैदान और आऊट हाउस, यदि कोई हो, और

(ii) ऐसे भवन या भवन के भाग में, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा प्राप्त करने के लिए लगाई गई कोई फिटिंग।

(ठ) "विहित " से इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(ड) "भूमि" और "इच्छुक व्यक्ति" शब्द का क्रमश: वहीं अर्थ होगा जो उन्हें "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुन:व्यर्वस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" में दिया गया है।

निगम की स्थापना और गठन

22-ख (1) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों और औद्योगिक सम्पदा की तीव्र गति और सुव्यवस्थित रीति से स्थापना और गठन करने में सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के प्रस्कीम र्थ और ऐसे उद्योगों की स्थापना और गठन के संदर्भ में व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना के प्रस्कीम र्थ सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जम्मू-कश्मीर औद्योगिक विकास निगम या जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य निगम के नाम से एक निगम की स्थापना करेगी।

(2) यह निगम शाश्वत उत्तरधिकार और एक सामान्य सील वाला एक निगमित निकाय होगा और यह अपने निगमित नाम से वाद दायर कर सकता है और इस पर वाद दायर किया जा सकता है, तथा चल एवं अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित, धारित कर सकता है और उसका निपटान करने में सक्षम होगा और यह इस अध्याय के प्रस्कीम र्थ सभी आवश्यक कार्य करेगा।

निगम का संघटन

22-ग (1) निगम में निम्नलिखित बारह निदेशक शामिल होंगे, अर्थात्-

(क) जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा पांच सरकारी निदेशक जिनमें से एक निगम का वित्तीय सलाहकार होगा;

(ख) जम्मू-कश्मीर विद्युत विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट एक निदेशक;

(ग) जम्मू-कश्मीर जन-स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट एक निदेशक;

(घ) जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा ऐसे लोगों में से नामनिर्दिष्ट चार निदेशक जो अनुभव के कारण योग्य है या उद्योग या व्यापार या वित्त के क्षेत्र सक्षम है या इस क्षेत्र में कार्यरत या नियुक्त लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त हैं।

(ङ) निगम का पदेन प्रबंधक निदेशक, निगम का सचिव भी होगा।

(2) सरकार निगम के निदेशकों में से एक व्यक्ति निगम का अध्यक्ष नियुक्त करेगी और उसके एक अन्य निदेशक को उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

निरर्हताएं

22-घ किसी व्यक्ति को निगम के निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए तब निरर्हित होगा, यदि वह-

(क) निगम का ऐसा कर्मचारी है जो उसका प्रबंध निदेशक नहीं है, या

(ख) पागल है, और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।

(ग) दिवालिया घोषित किया गया है।

पदावधि

22-ङ. (1) (क) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निगम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशक सरकार के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहेगा;

(ख) धारा 22ग की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक संबंधित बोर्ड के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहेगा।

(2) धारा 22-ग की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खंड (ड.) के अधीन नामनिर्दिष्ट निगम के निदेशक यथा विहित वेतन और भत्तों के आहरण के हकदार होगा। ऐसा युक्तियुक्त अतिरिक्त पारश्रमिक, जो सरकार द्वारा निश्चित किया जाए किसी निदेशक को उसके द्वारा ऐसी अतिरिक्त या विशेष सेवाओं देने के लिए संदत्त किया जा सकेगा।

(3) धारा 22-ग की उप-धारा (1) के खण्ड (ख), (ग) या (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट निगम के निदेशक निगम या उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने या निगम के कृत्यों से संबंधित किसी ऐसे कार्य को करने या निष्पादित करने, जो उन्हें विशेष रूप से निगम या उसकी किसी समिति द्वारा सौंपे जाएं, में होने वाले व्यक्तिगत व्यय को पूरा करने के प्रयोज्यों के लिए ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते का ऐसा पारिश्रमिक जो विहित किया जाए, का आहरण करने के हकदार होंगे।

(4) निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति पुन:नामनिर्देशन के लिए पात्र होगी जब तक कि उसे अयोग्य न ठहराया जाए।

बैठकें

22-च (1) निगम ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी और यह उप-धारा 2 के उपबंधों के अध्यधीन अपने कार्य संचालन के संबंध में ऐसे प्रक्रिया नियमों का पालन करेगी जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं।

(2) कोई निदेशक जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संविदा, ऋण, ठहराव या निगम द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी प्रस्ताव या किए जाने वाले प्रस्ताव से कोई सम्बद्ध है, यथासंभव समय-सीमा निगम के समक्ष अपने हित के स्वरूप को प्रकट करेगा और जब उस संविदा, ऋण, ठहराव या प्रस्ताव चर्चा की जाती है तब जब तक वह निगम की किसी बैठक में उपस्थित नहीं होगा जब तक कि किसी सूचना को प्रकट करने के प्रस्कीम र्थ किसी अन्य निदेशक द्वारा उसकी उपस्थिति आवश्यक न हो, और वह उसमें मतदान नहीं करेगा।

परंतु यह कि, निदेशक द्वारा किसी ऐसी संविदा, ऋण, ठहराव या प्रस्ताव में किसी कम्पनी का केवल शेयरधारक होने के कारण उपर्युक्तानुसार संबंधित होना या इच्छुक होना नहीं माना जाएगा।

निदेशक का हटाया जाना

22-छ (1) यदि कोई निदेशक-

(क) धारा 22-घ में उल्लिखित किसी निरर्हता के अध्यधीन हो जाता है, या

(ख) लिखित में अपना त्याग पत्र दे देता है और ऐसा त्याग पत्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, या

(ग) निगम की तीन लगातार बैठकों में या लगातार तीन मास तक निगम की सभी बैठकों से निगम की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहता है, या

(घ) उसे ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या ठहराया गया है जिसमें नैतिक अद्यम्ता अंतर्विलित है;,

निगम का निदेशक नहीं हो सकेगा।

(2) सरकार आदेश द्वारा निगम के किसी भी ऐसे निदेशक को उसके पद से ऐसी अवधि तक के लिए निलंबित कर सकेगी जो वह ठीक समझे या उसे पद से हटा सकेगा, जिसने उसकी राय में-

(क) कार्य करने से इनकार कर दिया है, या

(ख) कार्य करने के अयोग्य हो गया है, या

(ग) निदेशक के रूप में अपने पद का इस तरह दुरुपयोग किया है कि निगम में उसका बना रहना उसके या जनसाधारण के हित में नुकसानदायक है; या

(घ) निदेशक के रूप में बने रहने के लिए अन्यथा अयोग्य है।

रिक्तियों का भरा जाना

22-ज निगम के निदेशक की किसी भी रिक्ति को यथासंभव रीति से शीघ्रतापूर्वक उसी तरह भरा जाएगा मानो कि उसका आरंभिक रूप से नामनिर्देशन किया गया हो।

परंतु ऐसी रिक्ति के दौरान कार्य कर रहे निदेशक उसी तरह कार्य कर सकते हैं जैसे कि कोई रिक्ति ही नहीं हुई है।

कतिपय मामलों में सरकार द्वारा निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति का नियुक्त किया जाना

22-झ (1) यदि निगम का अध्यक्ष या कोई अन्य निदेशक बीमारी या अन्यथा के कारण अस्थाई रूप से अपने कर्तव्यों का निवर्हन करने में असमर्थ है या सरकार द्वारा अनुपस्थित की छुट्टी मंजूर की जाती है या धारा 22-छ के अधीन अपने निदेशक न रहने की परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अन्यथा असमर्थ है, तो सरकार किसी अन्य व्यक्ति को यथास्थिति, उसके स्थान पर कार्य करने या उसे सौंपे गए दायित्वों और कृत्यों को पालन करने या इस अध्याय के अधीन ऐसे अध्यक्ष या निदेशक, निदेशक द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने तक के लिए नियुक्त कर सकेगी है।

IndiaCode

(2) यदि अध्यक्ष की अनुपस्थित में उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है तो अध्यक्ष के दायित्वों और कृत्यों का निवर्हन करने के लिए उपाध्यक्ष सक्षम होगा।

त्रुटि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

22-ञ निगम के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या निदेशक के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की निरर्हता या उसकी नियुक्ति में हुई किसी प्रकार की त्रुटि, निगम के किसी भी कार्य या उसकी कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी यदि ऐसा कार्य या कार्यवाही अन्यथा इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार है।

प्रबंधक निदेशक और मुख्य लेखा अधिकारी

22-ट (1) सरकार निगम का एक प्रबंक निदेशक और एक मुख्य लेखा अधिकारी नियुक्त करेगी।

(2) निगम उप-धारा (1) में उल्लिखित अधिकारियों की सहायता के लिए उतने अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जिससे वह दायित्वों और कृत्यों के दक्ष निष्पादन के लिए आवश्यक समझे।

(3) अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें तथा उनका वेतनमान:-

(क) प्रबंध निदेशक और मुख्य लेखा अधिकारी के संबंध में वह होगा जो विहित किया जाए, और

(ख) अन्य अधिकारी और कर्मचारी के संबंध मेंवह होगा जो विनियमों द्वारा अवधारित किया जाए।

निगम के कार्य

22-ठ निगम के कार्य निम्नलिखित होंगे-

(i) साधारणतया पर जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में उद्योगों की तेज गति और व्यवस्थित रीति से स्थापना, उन्नति और विकास के कार्य को बढ़ावा देना और सहायता प्रदान करना।

(ii)विशिष्टतया और साधारणतया खण्ड (i) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना-

(क) सरकार द्वारा चयन किए गए स्थानों पर औद्योगिक सम्पदा की स्थापना और उसका प्रबंधन करना;

(ख) इस प्रस्कीम र्थ सरकार द्वारा चयन किए गए औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना और उन्हें उपक्रमों को स्थापना हेतु उपलब्ध कराना;

(ग) उद्योगों के स्थान और उनके व्यावसायिक केन्द्रों को सुविधाजनक बनाने के प्रस्कीम र्थ सरकार द्वारा भूमि का विकास करना;

(घ) ऐसी सम्पदा और क्षेत्रों में उद्योगों को अपने कारखानें लगाने के लिए ऋण के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(ङ) औद्योगिक इकाईयों और व्यावसायिक स्थापनाओं को ऐसी अवसंरचना और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्कीम एं आरंभ करना जो उनकी सुव्यवस्थित स्थापना, उन्नति और विकास के लिए आवश्यक हों।

(च) उन प्रयोजनों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से या अन्य निगमित निकायों या संस्थानों के साथ या सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी एजेंसी के साथ स्कीमों या कार्य को प्रोत्साहन देना, संगठित, प्रायोजित या आरंभ करना जिसके लिए निगम की स्थापना की गई है और ऐसे सभी मामले जो उससे संबंधित है।

निगम की शक्तियां

22-ड इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन, निगम के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी-

(क) निगम के रूप में जंगम और स्थावद दोनों प्रकार की ऐसी सम्पत्ति को अर्जित और धारित करना जो वह इसके किसी कार्यकलाप के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे, और उसके द्वारा धारित किसी सम्पत्ति को ऐसी शर्तों पर पट्टे पर देना, बेचना, अदला-बदली करना या अन्यथा अंतरित करना जो निगम द्वारा उचित समझा जाएं;

(ख) किसी भूमि को करार द्वारा खरीदना या पट्टे पर या किराए के किसी रूप में लेना, ऐसा भवन बनाना और ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना जो इसके दायित्वों और कृत्यों के प्रयोजन निष्पादन के लिए आवश्यक हो;

(ग) औद्योगिक सम्पदाओं, व्यावसायिक केन्द्रों और औद्योगिक क्षेत्रों में सुख-सुविधाएं और सामान्य उपलब्ध सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराना या और कृत्यों , भवनों, उन पर सुख-सुविधाएं और सामान्य सुविधाओं का उपलब्ध निर्माण करना एवं रखरखाव करना या रखरखाव करना;

(घ) औद्योगिक उपक्रम और औद्योगिक स्थापना या औद्योगिक उपक्रम और औद्योगिक स्थापना दोनों को आरंभ करने का आशय रखने वाले उद्योगपतियों या व्यक्तियों को किराये पर या विक्रय आधार पर भवन उपलब्ध कराना;

(ङ) ऐसे उद्योगों या व्यावसाय स्थापनाओं के कर्मचारियों के आवासन के लिए भवन निर्माण करना;

(च) (i) निगम द्वारा स्थापित औद्योगिक सम्पदाओं या उसके द्वारा विकसित क्षेत्र में उपयुक्त लोगों को आवासीय कमरे सहित फैक्टरी शेड या ऐसी भवन या भवन का कोई भाग आबंटित करना।

(ii) निगम द्वारा स्थापित व्यावसायिक केन्द्रों में उपयुक्त व्यक्तियों को दुकानें और अन्य भवन आबंटित करना।

(iii) ऐसे आबंटनों को उपांतरित या निरस्त करना जिसमें उनके आबंटन के निबंधन और शर्तों के किसी प्रकार के उल्लंघन पर संबंधित आबंटी को खाली कराने के अधिकार और शक्तियां भी शामिल हैं।

(छ) अपने किसी कार्य को निष्पादित करने के लिए अपने निदेशकों में से समितियों का गठन करना

(ज) निगम को सलाह देने के लिए सलाहकार समिति का गठन करना;

(झ) निगम को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए विशेष ज्ञान या कौशल वाले उपयुक्त पराशर्मदाता या व्यक्ति नियुक्त करना;

(ञ) अपनी किसी शक्ति को सामान्य या विशेष रूप से अपनी किसी समिति या अधिकारी को प्रत्यायोजित करना और उन्हें इन विशिष्ट शक्तियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को पुन: प्रत्यायोजित करने की अनुज्ञा देना;

(ट) ऐसी सभी संविदाएं करना और निष्पादित करना जो वह अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे; और

(ठ) ऐसे अन्य कार्य करना और ऐसे कार्य निष्पादित करना जो वह अपने व्यवसाय को समुचित रूप से चलाने और इस अध्याय के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझें;

(ड) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य लागू विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर टाउन प्लानिंग अधिनियम, 1963, जम्मू-कश्मीर नगर अधिनियम, 2000 और जम्मू-कश्मीर नगर-निगम अधिनियम, 2000 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग जहां आवश्यक होगा, निगम द्वारा किया जाएगा।

दस्तावेजों, आदि का अधिप्रमाणन

22-ढ निगम की सभी अनुज्ञा यों, आदेशों, निर्णयों, नोटिसों और अन्य दस्तावेजों को निगम के प्रबंध निदेशक या उसकी ओर से निगम द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

IndiaCode

सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति

22-ण सरकार समय-समय पर निगम को ऐसे साधारण या विशेष नीति संबंधी निदेश जारी कर सकती है जो वह इस अध्याय के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे और निगम ऐसे निदेशों का अनुसरण करने और उन पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

22-त निगम में अंतर्विष्ट होने वाली सभी सम्पति निधियां और अन्य आस्तियां इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन और प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा धारित की जाएगी और लागू की जाएंगी।

निधियां

22-थ (1) निगम की अपनी स्वयं की निधियां होगी और वह उनका रखरखाव करेगा जिसमें निम्नलिखित निधियां जमा होंगी-

(क) अनुदान, आर्थिक सहायता, ऋण, अग्रिम या अन्य के रूप में निगम द्वारा सरकार से प्राप्त सभी प्रकार की धनराशि;

(ख) इस अध्याय के अधीन निगम द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के फीस , लागत और प्रभार;

(ग) भूमि, भवन और अन्य जंगम और स्थावद सम्पतियों के निपटान और अन्य लेन-देनों से निगम द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां;

(घ) निगम द्वारा किराए और लाभों या किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियां;

(2) निगम भारतीय स्टेट बैंक में या सरकार द्वारा इसके लिए अनुमोदित अन्य किसी बैंक में अपनी निधियों में से ऐसी कुछ धनराशि जो विहित की जाए, चालू या जमा खाता रख सकती है और उक्त धनराशि से अधिक किसी धनराशि का निवेश उस रीति से किया जाएगा जो सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए।

(3) ऐसे खाते को निगम के ऐसे अधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा जिसे विनियमों द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

निगम को अनुदान, ऋण और अग्रिम

22-द सरकार निगम को ऐसे अनुदान, आर्थिक सहायता, ऋण और अग्रिम दे सकेगी जो वह इस अध्याय के अधीन निगम के कृत्यों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक समझें और इस प्रकार दिए गए अनुदान, आर्थिक सहायता, ऋण और अग्रिम उन निबंधन और शर्तों के आधार पर होंगे जो सरकार निगम से परामर्श करने के पश्चात अवधारित करे।

धन उधार लेने की शक्ति

22-ध (1) निगम ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो इसके लिए विहित की जाए, खुला बाजार से या स्वयं को पर्याप्त संसाधनों का उपबंध करने की दृष्टि से या अन्यथा से धनराशि उधार ले सकती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन उधार ली गई सभी धनराशि की गारंटी सरकार द्वारा ऐसी दरों और ऐसी शर्तों पर मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान के रूप

IndiaCode

में दी जा सकती है जो सरकार धन उधार लेने के समय अवधारित करें।

व्याकरणिक रूपभेदों और संबंधित अभिव्यक्तियों के साथ "धन उधार लेना" की अभिव्यक्ति में जनता से विशेष अवधि के लिए प्राप्त जमा की स्वीकृति (जो धारा 22-न के अधीन स्वीकार की गई जमा धनराशि नहीं है) और उस पर जमा कर्ताओं को विशेष दरों पर किए गए ब्याज के भुगतान शामिल हैं।

निक्षेपों को स्वीकार करना

22-न निगम ऐसे व्यक्तियों, प्राधिकरणों या संस्थानों से जमा स्वीकार कर सकता है जिनको भूमि, भवन या शेड का आबंटन या विक्रय किया जाता है या इन अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने में ऐसा किए जाने की संभावना है।

आरक्षित और अन्य विशेष रूप से मूल्यवर्गित निधियां

22-प (1) निगम ऐसी आरक्षित और अन्य विशेष रूप से मूल्यवर्गित निधियों के संबंध में ऐसे रीति से और ऐसी सीमा तक उपबंध करेगा जो सरकार उसे समय-समय पर निदेश दे।

(2) उप-धारा में उल्लिखित निधियों, उन पर समय-समय पर जमा करने के लिए अंतरित धनराशि के प्रबंधन और उसमें इकट्ठा हुई धनराशि के उपयोग का अवधारण निगम द्वारा किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) में उल्लिखित निधियों में से किसी भी निधि का उपयोग सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उन प्रयोजनों से इतर अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं की जाएगी जिनके लिए इसे बनाया गया था।

धनराशि खर्च करने का प्राधिकार

22-फ (1) निगम को इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए धारा 22-द में उल्लिखित निगम की सामान्य निधि या 22-फ में उल्लिखित आरक्षित एवं अन्य निधि से इतनी धनराशि खर्च करने का अधिकार होगा जो वह उचित समझे।

(2) उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का सामान्य स्थिति के पूर्वाग्रह के बिना, निगम अपनी किसी औद्योगिक सम्पदा या औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में, किसी स्थानीय प्राधिकरण या सांविधिक सार्वजनिक उपक्रम द्वारा भूमि के अधिग्रहण में हुए व्यय सहित ऐसे प्राधिकरण या उपक्रम के किसी सांविधिक कार्य के निष्पादन में खर्च की गई या खर्च किए जाने वाले व्यय के लिए इतनी धनराशि अंशदान कर सकता है जो वह उचित समझें।

(3) निगम द्वारा उधार ली गई या जमा के माध्यम से प्राप्त की गई धनराशि में से केपिटल व्यय से इतर कोई अन्य खर्च नहीं की जाएगी।

वार्षिक वित्तीय विवरण

22-ब (1) निगम प्रत्येक वर्ष की ऐसी तारीख, जो विहित की जाए, उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और कृत्यों का कार्यक्रम तैयार करेगा और उसे अनुमोदन हेतु सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली अनुमानित प्राप्ति और व्यय को उस रूप और विवरण, जैसा विहित किया जाए, के साथ प्रदर्शित किया जाएगा ।

(3) निगम, सरकार के अनुमोदन से वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्य के कार्यक्रम में परिवर्तन करने में सक्षम होगा:

परंतु यह कि ऐसे सभी परिवर्तनों और स्वीकृत बजट में से पुनर्विनियोजनों को अनुपूरक वित्तीय विवरण में सरकार की जानकारी में लाए जाएं।

(4) सरकार को प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक विवरण और कार्य के कार्यक्रम तथा अनुपूरक वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, को यथाशीघ्र विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

लेखा बहियां

22-भ (1) निगम अपने व्यवसाय और लेन-देनों के संबंध में लेखा बहियां और अन्य बहियां ऐसे रूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, रखेगा।

(2) निगम के लेखों को सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक के द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से लेखापरीक्षित किया जाएगा।

(3) निगम के खातों को जैसे ही लेखापरिक्षित किया जाएगा, निगम तुरंत लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की प्रति के साथ उनकी एक प्रति सरकार को भेजेगा।

(4) सरकार निगम के लेखों और उस पर अग्रेषित की गई लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उप-धारा (3) के अधीन वार्षिक तौर पर विधान मंडल के समक्ष रखेगी।

खातों की लेखापरीक्षा

22-म (1) धारा 22-भ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार यह आदेश दे सकेगी कि निगम के खातों की समवर्ती लेखापरीक्षा ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो वह उचित समझे। सरकार किसी विशेष लेन-देन या लेन-देन के वर्ग या श्रेणी या विशेष अवधि से संबंधित निगम के लेखों को ऐसे व्यक्ति द्वारा विशेष लेखापरीक्षा कराने का निदेश भी दे सकेगी जो वह उचित समझे।

(2) सरकार विशेष लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर कोई भी आदेश पारित कर सकेगी और निगम ऐसे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(3) विशेष लेखापरीक्षा से संबंधित रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी।

(4) जब उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है तो निगम ऐसे लेखों की लेखापरीक्षा कराने के लिए प्रस्तुत होगा या प्रस्तुत होने के लिए कहेगा और उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति को ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जो उक्त व्यक्ति लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए मांगे।

भूमि का अर्जन और निपटान

22-य (1) जब कभी निगम द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के प्रस्कीम र्थ किसी भूमि की आवश्यकता होती है, किंतु निगम उसे समझौता द्वारा अर्जन, करने में असमर्थ होता है तो सरकार इस संबंध में निगम के आवेदन पर निगम की ओर से उसे इस प्रकार अर्जन करने के संबंध में भूमि अर्जन, नुर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में निष्पक्ष मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के अधीन लेने की कार्यवाही का आदेश दे सकती है मानों की उक्त अधिनियम के आशय के सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि की आवश्यकता थी।

(2) दिए जाने वाले मुआवज़े की धनराशि और ऐसी भूमि के अधिग्रहण में होने वाले अन्य सभी प्रभार निगम द्वारा संदाय किए जाएंगे और उस के पश्चात भूमि निगम में अंतर्विष्ट हो जाएगी।

निगम के निपटान पर रखी जाने वाली भूमि

22-क क (1) इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार ऐसी शर्तों पर जो उसके और निगम के बीच सहमति से तय की जाएं, सरकार में अंतर्विष्ट किसी भूमि को निगम के निपटान पर रख सकती है।

(2) निगम द्वारा ऐसी कोई भूमि जो उसके द्वारा विकसित की गई है या नियंत्रण और पर्यवेक्षण में ली गई है, को तत्पश्चात, उसे निगम द्वारा बनाए विनियमों और सरकार द्वारा इस संबंध में दिए गए निदेशों के अनुसार संभाली जाएगी।

(3) यदि उप-धारा (1) के अधीन निगम के निपटान पर रखी गई कोई भूमि उसके पश्चात किसी समय सरकार द्वारा मांगी जाती है, तो निगम उसे ऐसे निबंधनों और शर्तों, जैसी कि सरकार निगम के साथ परामर्श करके विहित करें, पर सरकार के निपटान पर पुन: रखेगी।

इस अध्याय के अधीन अनुपूरक और विविध उपबंध

22-कख (1) यदि निगम को स्थानीय जांच के पश्चात, या अपने किसी अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट या उसके पास उपलब्ध अन्य सूचना के आधार पर इस बात का समाधान हो जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र में किसी भूमि का स्वामी/आबंटी/पट्टेदार भूमि के संबंध में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध कराने में विफल हो गया है जो निगम की राय में उपलब्ध कराई जानी आवश्यक थी या भूमि का कोई विकास कार्य किया जाना था जिसके लिए इस अध्याय के अधीन अनुज्ञा प्राप्त की गई थी तो निगम स्वामी या आबंटी या पट्टेदार को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात स्वामी या आबंटी या पट्टेदार को उसमें ऐसी समय-सीमा जो नोटिस में उल्लेख की जाए, के भीतर सुविधा उपलब्ध कराने या विकास कार्य करने की अपेक्षा का एक नोटिस जारी करेगा।

(2) यदि नोटिस में उल्लिखित समय सीमा के भीतर ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है या ऐसा कोई विकास नहीं किया जाता है तो निगम या तो स्वयं ऐसी सुविधा उपलब्ध करा सकता है या ऐसी किसी एजेंसी के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करा सकता है या विकास करा सकता है जो वह उचित समझे।

परंतु यह कि इस उप-धारा के अधीन कार्रवाई करने से पहले, निगम भूमि के स्वामी/आबंटी/पट्टेदार को कारण बताने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा कि क्यों न ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए।

(3) निगम या उसके द्वारा नियुक्त की गई एजेंसी द्वारा सुविधा उपलब्ध कराने या विकास कार्य करने में हुए सभी व्यय को उस समय से, जब स्वामी या आबंटी या पट्टेदार से व्यय के लिए मांग की जाती है और ऐसी दर पर ब्याज साथ जो सरकार आदेश द्वारा निश्चित करे, निगम द्वारा स्वामी/आबंटी/पट्टेदार से वसूल की जाएगी।

(4) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई नोटिस से पीड़ित स्वामी/आबंटी/पट्टेदार उस तारीख से जब उसे नोटिस दी गई है, से साठ दिन के अवधि के भीतर उद्योग और वाणिज्य के प्रशासनिक सचिव के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

5. उप-धारा (4) के अधीन , अपील पर निर्णय लेते समय, प्रशासनिक सचिव उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो एक न्यायालय के पास होती है और उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो न्यायालय सविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन के मूल न्यायालय की डिक्री या आदेश की अपील पर निर्णय करते समय अनुसरण करता है।

(6) ऐसी अपील में किया गया निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

कतिपय मामलों में किसी भवन की इमारत को ध्वस्त करना

22-क ग (1) जहां किसी अद्योगिक संपदा, व्यावसायिक केंद्र या अद्योगिक क्षेत्र में ऐसी शर्तों का उल्लंघन करते हुए भवन का निर्माण का कार्य आरंभ हो गया या किया जा रहा है या पूरा कर लिया गया है या किसी विद्यमान भवन को रूपांतरण किया जाता है, जिन पर इस अध्याय के अधीन ऐसा भवन खड़ा है या उसकी अनुज्ञा दी गई है तो निगम के द्वारा अधिकार प्रदत कोई भी अधिकारी उसकी ओर से इस अध्याय के अधीन चलाए गए किसी प्रकार के अभियोजन के अतिरिक्त, यह

निदेश देते हुए आदेश कर सकता है कि ऐसी इमारत को स्वामी/आबंटी/पट्टेदार द्वारा आदेश में उल्लिखित उस अवधि के भीतर जो दो मास से अधिक नहीं होगी, ध्वस्त कर दिया जाएगा और स्वामी/आबंटी/पट्टेदार द्वारा आदेश का अनुपालन करने से विफल रहने पर, वह अधिकारी को स्वयं उस इमारत को ध्वस्त करा देगा और इसे ध्वस्त करने में हुए व्यय को निगम द्वारा स्वामी/आबंटी/पट्टेदार से वसूला जाएगा।

परंतु यह कि ऐसा कोई आदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि स्वामी/आबंटी/पट्टेदार को यह बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता कि ऐसा आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(2) उप-धारा (1) के अधीन दिए गए आदेश से पीड़ित स्वामी/आबंटी/पट्टेदार उस तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध इस प्रस्कीम र्थ बनाई गई निगम की समिति के समक्ष अपील कर सकता है और ऐसी समिति अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात या तो अपील की अनुज्ञा दे सकती है या खारिज कर सकती है या आदेश के किसी भाग को उलट सकती है या उसे भिन्न कर सकती है।

(3) अपील पर दिया गया समिति का निर्णय और ऐसे निर्णय के अध्यधीन उप-धारा (1) के अतंर्गत अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

कथिपय में मामलों का किसी भवन का निर्माण कार्य का रोका जाना

22-क घ (1) जहां किसी अद्योगिक संपदा, व्यावसायिक केंद्र या अद्योगिक क्षेत्र में ऐसी शर्तों का उल्लंघन करते हुए भवन का निर्माण का कार्य आरंभ हो गया या किया जा रहा है या पूरा कर लिया गया है या किसी मौजूदा भवन को रूपांतरण किया जाता है, जिन पर इस अध्याय के अधीन ऐसा भवन ऐसा भवन खड़ा है या उसकी अनुज्ञा दी गई है तो निगम के द्वारा अधिकार प्रदत कोई भी अधिकारी उसकी ओर से इस अध्याय के अधीन चलाए गए किसी प्रकार के अभियोजन के अतिरिक्त, इस इमारत के संबंध में भवन के निर्माण कार्य को आदेश को जारी होने की तारीख से बंद करने की अपेक्षा का कोई आदेश दे सकता है।

(2) जहां उप-धारा (1) की गई अपेक्षा का अनुपालन करने में ऐसे भवन का निर्माण कार्य बंद नहीं किया जाता है, तो उपर्युक्तानुसार सशक्त निगम का कोई अधिकारी मांग पत्र में उल्लखित समय-सीमा के भीतर किसी पुलिस अधिकारी से उस व्यक्ति और उसके सभी सहायको एवं कामगारों को भवन के स्थान से हटाने की अपेक्षा कर सकता है जिसने द्वारा ऐसा निर्माण कार्य किया गया है और ऐसा पुलिस अधिकारी तद्नुसार मांग पत्र का अनुपालन कराएगा।

(3) उप-धारा (2) अधीन मांग पत्र का अनुपालन कर लिए जाने के पश्चात, निगम या उपर्युक्तानुसार सशक्त कोई भी अधिकारी लिखित आदेश द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भवन का निर्माण कार्य न किया जाए, किसी पुलिस अधिकारी या किसी अधिकारी या निगम के कर्मचारी को वहां तैनात कर सकता है।

(4) उप-धारा (1) के अधीन दिए गए आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने वाला कोई भी व्यक्ति, दोषसिद्ध होने पर जुर्माने से जो पांच हजार रुपये से कम न हो किंतु दस हजार रु. तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा जिसके दौरान आदेश जारी होने के पश्चात भी ऐसा अनुपालन नहीं हो पाता है।

(5) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी नुकसान या क्षति के लिए किसी प्रकार से मुआवजे का दावा नहीं किया जाएगा जो उसे इस धारा के अधीन दिए गए किसी आदेश के परिणामस्वरूप हुआ है।

(6) इस धारा के अतंर्गत किसी पुलिस अधिकारी को नियुक्त करने की लागत का वहन प्राथमिक रूप से निगम द्वारा किया जाएगा किंतु इसे उस व्यक्ति से वसूला जाएगा जो उप-धारा (1) अधीन दिए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में विफल रहा है।

दण्ड

22-क ङ (1) कोई भी व्यक्ति जो या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के कहने पर ऐसी शर्तों के विपरीत किसी अद्योगिक संपदा या अद्योगिक क्षेत्र में कोई निर्माण करता है या आरंभ कराता है, जिनके अधीन वह इस अध्याय के अधीन ऐसा भवन या भूमि रखता है, वह दोषसिद्ध होने पर, जुर्माने से जो पांच हजार रुपये से कम न हो किंतु दस हजार रु. तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति ऐसी शर्तों के विपरीत किसी औद्योगिक संपदा या अद्योगिक क्षेत्र में किसी भूमि या भवन का प्रयोग करता है, जिनके अधीन वह इस अध्याय या इसके संबंध में बनाए गये किसी विनियम के उपबंधों के अधीन ऐसा भवन या भूमि रखता है, वह दोषसिद्ध होने पर, जुर्माने से जो पांच हजार रुपये से कम न हो किंतु दस हजार रु. तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

निगम की अन्य शक्तियां

22-क च (1) (क) निम्नलिखित के प्रस्कीम र्थ-

(i) किसी क्षेत्र में 22-ड के खंड (ii) के उप खण्ड (ख) के अधीन विकास कार्य हेतु जल स्रोत, गैस, जल या विद्युत ले जाने के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त क्षेत्र कहा गया है" उल्लखित); या

(ii) उक्त क्षेत्र से होकर किसी औद्योगिक प्रक्रिया के गीले कचरे को ले जाने के लिए आवश्यक किसी सीवर या नाले का निर्माण,

निगम उक्त क्षेत्र के किसी भवन या भूमि के स्वामी या धारक को उपयुक्त नोटिस देने के पश्चात, उस क्षेत्र में किसी भूमि में, पर, अन्दर, के ऊपर, के साथ-साथ, से होकर कोई पाइप, पाइप लाइन, कन्ड्यूट, आपूर्ति या सर्विस लाइन बिछा सकता है, उसका रख-रखाव कर सकता है, बदल सकता है, हटा सकता है या किसी पाइप की मरम्मत कर सकता है या उसमें अन्य उपकरण या उपस्कर लगा सकता है।

(ख) निम्नलिखित के प्रस्कीम र्थ-

(i) किसी औद्योगिक संपदा, व्यावसायिक केन्द्र या औद्योगिक क्षेत्र में आपूर्ति के किसी स्रोत से गैस, जल या विद्युत ले जाना, ऐसा आपूर्ति का क्षेत्र ऐसी संपदा केन्द्र या क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में होने के कारण (जिसे इसमें इसके पश्चात "बाहरी क्षेत्र के रूप में" कहा गया है); या

(ii) किसी बाहरी क्षेत्र से होकर किसी औद्योगिक प्रक्रिया के बहने वाले कचरे को ले जाने के लिए आवश्यक किसी सीवर या नाले का निर्माण।

IndiaCode

सरकारी राजपत्र ने अधिसूचना के द्वारा सरकार द्वारा इस संबंध अधिकारप्राप्त कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात "प्राधिकृत व्यक्ति " कहा गया है), बाहरी क्षेत्र में स्थित किसी भवन या भूमि के स्वामी या भारत को उपयुक्त नोटिस देने के पश्चात, बाहरी क्षेत्र में किसी भूमि में, पर, अन्दर, के ऊपर, के साथ-साथ, से होकर कोई पाइप, पाइप लाइन, कन्ड्यूट, सप्लाई या सर्विस लाइन बिछा सकता है, उसका रख-रखाव कर सकता है, बदल सकता है, हटा सकता है या किसी पाइप की मरमरत कर सकता है या उसमें अन्य उपकरण या उपस्कर लगा सकता है।

(2) निगम या जैसा भी मामला हो, प्राधिकृत व्यक्ति किसी भी समय किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित किसी भूमि में प्रवेश कर सकता है और ऐसी स्थिति में धारा 22 क छ के उपबंध यथावत लागू होंगे।

(3) उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निगम या उसका प्राधिकृत व्यक्ति निम्नलिखित कार्य करेगा-

(i) जहां प्रभावित होने वाली भूमि सड़क, पुल, सीवर, नाली या सुरंग है, इस तथ्य के होते हुए भी कि यह अधिनियम उस क्षेत्र में लागू नहीं है या सरकार ने उन भूमि पर ऐसे उपबंधों को लागू करने की कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, गैस कम्पनी अधिनियम, 1863 के सुसंगत उपबंधों को यथावश्यक परिवर्तन सहित पालन करेगा,

(ii) सम्पत्ति को होने वाली कोई छोटी-मोटी क्षति कर सकता है;

संपत्ति के अधिकार के शमन या संशोधन और उपर्युक्तानुसार ऐसी शक्ति के उपयोग करने के परिणाम स्वरूप उसके द्वारा उठाये गए किसी नुकसान के लिए मुआवजे के इच्छुक व्यक्तियों को निगम द्वारा इस बात पर ध्यान दिए गए बिना मुआवजा प्रदान किया जाएगा कि वह क्षेत्र उक्त क्षेत्र है या बाहरी क्षेत्र:-

परंतु यह कि एकमुश्त मुआवजे की धनराशि या वार्षिक किराए के रूप में, जैसा भी मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार कलेक्टर द्वारा निर्धारण किया जाएगा।

(4) यहां कोई भी बात निगम या प्राधिकृत व्यक्ति को किसी भवन या ऐसी भूमि जो सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित नहीं हैं, के स्वामी और उसके धारक के समिति के बिना उस भवन या भूमि में, से होकर या के सामने कोई पाइप बिछाने या डालने या अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत या शक्तियां प्रदान नहीं करेगा सिवाय इसके कि निगम या ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी भूमि में जहां कोई पाइप विधिसम्मत रीति से पहले से ही बिछाई गई है या इस अध्याय के अनुसरण में डाली गई है, के स्थान पर किसी नई पाईप लाइन बिछाने या डालने के लिए उसमें किस भी समय प्रवेश कर सकता है और इस प्रकार बिछाई गई किसी पाइप लाइन की मरम्मत कर सकता है या बदल सकता है।

परंतु यह कि उपर्युक्त उपबंध की कोई भी बात का यह आशय नहीं निकाला जाएगा कि निगम या अन्य व्यक्ति को सामान्य तौर पर किसी भी समय सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई उक्त भूमि पर जाने के लिए मनाही है।

IndiaCode

(5) (क) जहां किसी भवन या भूमि का स्वामी या धारक निगम या प्राधिकृत व्यक्ति को उस तारीख से जिससे उप-धारा (4) में उल्लखित सहमति मांगी गई है से पंद्रह दिन के भीतर लिखित में जवाब नहीं देता है या ऐसे भवन में, से होकर या के सामने कोई पाइप लाइन बिछाने या डालने या उसमें अन्य कोई काम करने की ऐसी सहमति देने से मना करता है तो निगम या प्राधिकृत व्यक्ति कलेक्टर को इस तथ्य की लिखित में सूचना देगा।

(ख) रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि कलेक्टर को कोई जांच पड़ताल करने के पश्चात और ऐसे भवन या भूमि, जैसा भी मामला हो, के मालिक को ऐसी सहमति देने के संबंध में अपनी आपत्ति को बताने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, इस बात का समाधान हो जाता है कि औद्योगिक संपदा, व्यवसायिक केंद्र या औद्योगिक क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, का पूर्ण और सक्षम विकास सुनिश्चित करने के लिए निगम या प्राधिकृत व्यक्ति को भवन या भूमि में, से होकर या के सामने कोई पाइप लाइन बिछाने या डालने या उसमें अन्य कोई काम करने के लिए अनुमित देना आवश्यक है, तो कलेक्टर उप-पैरा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लिखित में आदेश द्वारा निगम या प्राधिकृत व्यक्ति को अपेक्षित अनुज्ञा प्रदान करेगा।

(ग) जब ऐसी अनुज्ञा प्रदान कर दी जाती है तो निगम या प्राधिकृत व्यक्ति के लिए ऐसे भवन या ऐसी भूमि में, से होकर या के सामने कोई पाइप लाइन बिछाना या डालना या अन्य कोई कार्य करना उसी प्रकार विधि सम्मत होगा मानो कि उप-धारा (4) अधीन आवश्यक अनुज्ञा दे दी गई है।

किसी भूमि या भवन में/या पर प्रवेश करने की शक्ति

22-क छ सरकार का कोई अधिकारी निगम का कोई निदेशक या निगम द्वारा विशेष रूप से इस संबंध में सामान्य या विशेष तौर पर प्राधिकृत कोई व्यक्ति निम्निलिखित के प्रस्कीम र्थ किसी भूमि या भवन में या पर सहायकों या कामगारों के साथ प्रवेश कर सकता है-

(क) ऐसी भूमि या भवन की किसी प्रकार की जांच, सर्वेक्षण, मापन, मूल्यांकन, पूछताछ या लेवल लेने के लिए;

(ख) निर्माण कार्य की जांच करने और सीवरों और नालियों का पता लगाने;

(ग) उप-मृदा में गड्ढा खोदने या बोर करने;

(घ) चारदीवारी और कार्य की सीमा का निर्धारण करने;

(ङ) मार्क लगाकर और खाइयां काटकर ऐसे लेबलों, चारदीवारियों की और लाइनों की मार्किंग करना;

(च) इस अध्याय के कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करनाः परंतु यह कि-

(i) ऐसा प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का समय के सिवाय और धारक या यदि धारक नहीं है तो भूमि या

भवन के मालिक को उपयुक्त नोटिस दिए बिना नहीं किया जाएगा;

(ii) हर हाल में पर्याप्त समय दिया जाएगा ताकि महिलाएं (यदि कोई है) ऐसी भूमि या भवन से बाहर आ सकें;

(iii) प्रयोजन की अत्यावश्यकता जिसके लिए प्रवेश किया जा रहा है, जहां तक व्यवहारिक हो, प्रवेश किए जाने वाले भूमि या भवन के धारक के सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान को समुचित सम्मान दिया जाएगा;

नियंत्रक या लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी

22-क ज सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निगम द्वारा प्रदान किए गए या विकसित किए गए औद्योगिक संपदा, व्यावसायिक केंद्र या औद्योगिक क्षेत्र स्थापित या स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक उपक्रम या व्यावसायिक स्थापनाओं में किसी आवश्यक सामान के खरीदने या वितरण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निगम के किसी अधिकारी को नियंत्रक या लाइसेंस देने वाला अधिकारी नामनिर्दिष्ट कर सकता है और ऐसे किसी नामाकंन को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी की ऐसा अधिकारी सरकार का कोई अधिकारी नहीं।

सुविधाएं

22-क झ किसी अन्य विधि या किसी लाइसेंस या परमिट में किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार को निगम या अन्यथा द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिश पर यह सामाधान हो जाता है कि किसी औद्योगिक क्षेत्र या उसके बाहर औद्योगिक उपक्रम या व्यावसायिक स्थापना तक ये सामान स्थानीय प्राधिकरण के अनुमित ना देने या ऐसे अधिकारी की ऐसी शर्तों पर अड़े रहने के कारण बाधा पहुंचती है, जो सरकार किसी सुविधा के प्रदान करने के लिए अनुचित समझती है, सरकार स्थानीय प्राधिकारी को ऐसी शर्तों पर उक्त सुविधा प्रदान कारने का निदेश दे सकती है जो वह उपयुक्त समझे और तत्पश्चात ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:-

परंतु यह कि संबंधित स्थानीय को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने या जारी रखने के लिए भुगतान किया जाने वाला प्रभार ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या लाइंसेसी की लागत से कम नहीं हो।

परंतु यह भी कि सरकार द्वारा तब तक ऐसा कोई निदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि स्थानीय प्राधिकारी को यह बताने का उपयुक्त अवसर नहीं दिया जाता कि ऐसा कोई निदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।

भूमि का पट्टा

22-क ञ जहां निगम द्वारा भूमि पट्टे पर दी जाती है, वहां पट्टेदार निगम को ऐसी विहित तारीख या तारीखों से पहले ऐसी भूमि के संबंध में देय ऐसे भू-राजस्व, किराया, उपकर, दरों और अन्य टैक्सों, यदि कोई है, जो निगम द्वारा देय होते यदि भूमि पट्टे पर नहीं दी गई होती, के बराबर की धनराशि का भुगतान करेगा।

वसूली का तरीका

22-क ट निगम को किसी व्यक्ति द्वारा देय या इसके द्वारा वसूल किए जाने वाले या इस अध्याय के अधीन देय सभी धनराशि और सभी प्रभार या इस संबंध में होने वाले सभी व्यय वसूली के किसी अन्य रीति के पूर्वाग्रह के बिना , निगम के आवेदन पर भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाएंगे।

नोटिस आदि जारी करना

22क ठ इस अध्याय के अधीन किसी व्यक्ति को जारी की जाने वाली अपेक्षित सभी नोटिसें, आदेश और अन्य दस्तावेज या इसके अधीन बनाए गए कोई नियम या विनियम इस अध्याय में ऐसे नियम या विनियम में उपबंधित के सिवाय, विधिवत जारी किया गया माना जाएगा-

(क) जहां जारी किया जाने वाला व्यक्ति एक कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार सेवाएं प्रभावित होती हैं;

(ख) जहां जारी किया जाने वाला व्यक्ति एक फर्म है और उसको संबोधित दस्तावेज उसके व्यवसाय के मुख्य स्थान के नाम से है, उसकी पहचान उस नाम या स्टाइल के द्वारा की जा रही है जिसके अधीन इसका व्यवसाय चलाया जाता है और या तो इसे-

(i) डाक के प्रमाण पत्र के अधीन या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा गया, या

(ii) व्यवसाय के उक्त स्थल पर छोड़ा गया;

(ग) जहां जारी किया जाने वाला व्यक्ति एक सांविधिक सार्वजनिक निकाय या कोई निगम या कोई सोसाइटी या अन्य निकाय है और दस्तावेज उस निकाय, निगम या सोसाइटी के सचिव, कोषाध्यक्ष या अन्य मुख्य अधिकारी को उसके मूल कार्यालय को संबोधित है, और या तो इसे-

(i) डाक के प्रमाण पत्र के अधीन या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा गया, या

(ii) व्यवसाय के उक्त स्थल पर छोड़ा गया;

(घ) किसी अन्य मामले में, यदि दस्तावेज जारी किए जाने वाले व्यक्ति को संबोधित हैं और-

(i) उसे दिया गया या भेजा गया, या

(ii) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जा सकता तो उसे आवास या व्यवसाय के पिछले ज्ञात स्थान के किसी सुस्पष्ट जगह पर चिपकाया जाता है या उसके परिवार के किसी पौढ़ सदस्यों को दिया जाता है या पहुंचाया जाता है या उसे ऐसी किसी भूमि या भवन के सुस्पष्ट जगह पर चिपकाया जाता है जिससे यह संबंधित है; या

IndiaCode

(iii) डाक के प्रमाण पत्र के अधीन या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा गया।

(2) कोई दस्तावेज जिसे किसी भूमि या भवन के स्वामी या धारक को दिया जाना अपेक्षित है उसे भूमि या भवन (उस भूमि या भवन का नाम लिखकर) के "स्वामी" या "धारक", जैसा भी मामला हो, को आगे नाम या विवरण के बिना, संबोधित किया जाएगा और उसे विधिवत दिया गया माना जाएगा-

(क) यदि इस प्रकार संबोधित दस्तावेज उप-धारा (1) के खंड (घ) के अनुसार भेजा गया या पहुंचाया गया;

(ख) यदि इस प्रकार संबोधित दस्तावेज या इस प्रकार संबोधित उसकी कोई प्रति उस भूमि या भवन के किसी व्यक्ति को दी जाती है या पहुंचाई जाती है या जहां उस भूमि या भवन में कोई व्यक्ति नहीं है जिसे इसे दिया जा सके तो उसे भूमि या भवन के सुस्पष्ट जगह पर चिपकाया जाएगा।

(3) जहां कोई दस्तावेज इस धारा के अनुसार एक फर्म को भेजा जा सकता है तो उस दस्तावेज को प्रत्येक भागीदार को भेजा गया माना जाएगा।

(4) किसी संपत्ति के स्वामी को जारी कर दिया गया, दस्तावेज बनाने के प्रयोजन हेतु, संपत्ति के धारक (यदि कोई है) को सरकार या कोई निगम, जैसा भी मामला हो, द्वारा लिखित में स्वामी/आबंटी/उसके पट्टेदार का नाम और पता लिखना अपेक्षित है।

सार्वजनिक सूचना का लिखित में होना

22-क ड इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दिया गया प्रत्येक सार्वजनिक नोटिस संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर से लिखित में होगा और उसके द्वारा प्रभावित होने वाली मुहल्ले में और उक्त मुहल्ले के किसी स्पष्ट स्थान में उसकी प्रति चिपकाकर, या ढोल बजाकर प्रचार करके या स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन देकर या किसी दो या अधिक ऐसे साधनों द्वारा या किसी अन्य साधन द्वारा जो अधिकारी उचित समझे, व्यापक रूप से सार्वजनिक किया जाएगा।

नोटिस के अधीन समय विहित करना

22-क ढ जहां इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन कोई नोटिस, आदेश या अन्य दस्तावेज जारी किया जाता है और उसमें किसी कार्य का किया जाना अपेक्षित होता है जिसे करने के लिए इस अध्याय में या नियम-विनियम में कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जाती है, कोई नोटिस, आदेश या अन्य दस्तावेज में उसे करने या उसका अनुपालन करने के लिए युक्तियुक्त समय-सीमा का उल्लेख करना होगा;

सरकार को विवरणियां आदि प्रस्तुत करने के संबंध में निगम के कर्तव्य

22-क ण (1) निगम अपने कार्य संचालन, सम्पत्तियों या कार्यकलापों या प्रस्तावित किसी कार्य या स्कीम के संबंध में ऐसी विवरणियां, सांख्यिकी, रिपोर्टें लेखे और अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा जो सरकार समय-समय पर मांगे।

(2) निगम धारा 22-भ में उल्लिखित लेखा परीक्षा के अतिरिक्त सरकार को अपने कार्य प्रणाली के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात, यथाशीघ्र ऐसे रूप में और विवरण के साथ एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जैसा विहित किया जाए, और सरकार द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति इसके प्राप्त होने के तुरंत पश्चात विधान मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

निगम के अधिकारिता से औद्योगिक संपदा को बाहर रखने की सरकार शक्ति

22-क त जहां सरकार को इस बात का समाधान हो जाता है किसी विशेष औद्योगिक संपदा, व्यावसायिक केंद्र या क्षेत्र या उसके किसी भाग के संबंध में वह प्रयोजन पर्याप्त रूप से प्राप्त कर लिया गया है जिसके लिए इस अध्याय के अधीन निगम की स्थापना की गई थी और जिसके कारण निगम के अधीन ऐसी संपदा, केन्द्र या क्षेत्र या उसके भाग का बनाए रखना अनावश्यक है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा यह घोषित कर सकती है कि औद्योगिक संपदा, व्यावसायिक केंद्र या क्षेत्र या उसके किसी भाग निगम के क्षेत्राधिकार से हटा दिया गया है। तत्पश्चात सरकार निगम से परामर्श के पश्चात निगम के साथ उनके परिणामी वित्तीय प्रबंधनों और निगम की किसी परिसंपत्ति और देयताओं के अंतरण या तदनुरूप बटवारा जो वह ठीक समझे, के संबंध में आदेश पारित कर सकती है। सरकार ऐसी संपदा, केन्द्र या क्षेत्र या उसके किसी भाग के प्रशासन के लिए ऐसी अन्य आकस्मिक व्यवस्था भी कर सकती है जो सरकार ठीक समझे।

निगम द्वारा होने वाली चूक के मामले सरकार की शक्ति

22-क थ (1) यदि निगम को स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, सरकार को यह समाधान हो जाता है कि निगम ने इस अध्याय अधीन या उसके द्वारा सौंपे गए किसी दायित्व या उत्तरदायित्व का निष्पादन करने में चूक की है तो, सरकार उस दायित्व या उत्तरदायित्व का निष्पादन करने के संबंध में एक अवधि निश्चित कर सकती है और तदनुसार निगम को नोटिस दे सकती है।

(2) यदि सरकार की राय में निगम ऐसे दायित्व या उत्तरदायित्व को इसके निष्पादन के लिए इस प्रकार निश्चित की गई अवधि के भीतर पूरा करने में विफल रहता है या उपेक्षा करता है, तो सरकार के लिए यह भी विधिसम्मत होगा कि निगम को ऐसे आदेश के संबंध में कारण बताने का अवसर प्रदान करने के पश्चात निगम को अधिक्रांत करके और तत्पश्चात ऐसे निगम का पुनर्गठन करने का आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे।

(3) निगम के अधिक्रमण के पश्चात और जब तक अध्याय में अधिकथित रीति से इसका पुनर्गठन नहीं हो जाता, तब तक इस अध्याय के अधीन निगम के दायित्वों और कर्तव्यों को सरकार द्वारा या किसी अधिकारी या अधिकारियों के निकाय जो सरकार समय-समय पर इस प्रस्कीम र्थ नियुक्त करें, द्वारा निष्पादित किया जाएगा और इस पर होने वाली लागत का वहन निगम की निधियों में किया जाएगा।

(4) निगम में अंतर्विष्ट सभी सम्पत्तियां अधिक्रमण की अवधि के दौरान सरकार में अंतर्विष्ट रहेंगी।

निगम का विघटन होना

22-क द (1) सरकार को यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि इस अध्याय के अधीन जिस प्रयोजनों के लिए निगम की स्थापना की गई थी, उसे काफी हद तक पूरा कर लिया गया है जिसके कारण इसका आगे जारी रहना अनावश्यक है तो यह राजपत्र में अधिसूचना के यह घोषित कर सकती है कि निगम अधिसूचना में उल्लिखित तारीख से विघटन हो जाएगा, और तत्पश्चात निगम तदनुसार विघटन माना जाएगा।

(2) उप-धारा (1) में, उल्लिखित उक्त तारीख से-

(क) सभी सम्पतियां, निधियां और देयताएं जो निगम में अंतर्विष्ट या उसके द्वारा संभाली जाती है, सरकार में अंतर्विष्ट हो जाएगी या उसके द्वारा संभाली जाएगी; और

(ख) सभी देयताएं जो निगम के विरुद्ध प्रवर्तनीय है, वे सरकार पर प्रवर्तनीय जाएगी।

किसी भी न्यायालय द्वारा इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाना

22-क ध जब तक अन्यथा अभिव्यक्त उपबाध न हो, कोई भी न्यायालय, निगम या निगम द्वारा इसके संबंध में साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की शिकायत या उससे प्राप्त किसी सूचना के सिवाय, निगम से संबंधित या इस अध्याय द्वारा या इसके अधीन उसमें अंतर्विष्ट सम्पत्ति के संबंध में इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

अपराध का शमन करना

22-क न (1) निगम या निगम द्वारा इसके संबंध में साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी कार्रवाई को दायर करने के पहले या पश्चात इस अध्याय द्वारा या के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन कर सकेगा।

(2) जहां कोई अपराध शमनीय है, तो अपराधी यदि अभिरक्षा में है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा और उसके विरुद्ध शमन हो चुके अपराध के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

कंपनी द्वारा कारित अपराध

22-क प (1) जब कभी इस अध्याय के अधीन कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है,तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध करते समय प्रभार में था या कंपनी के कार्य संचालन के साथ-साथ कंपनी के संबंध में कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, उसे उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

परंतु यह कि इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अध्याय के अधीन किसी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसके संज्ञान के बिना किया गया था और यह कि उसने ऐसा अपराध को कारित होने से रोकने के लिए सभी यथोचित सावधानी बरती है।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि यह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या सांठ-गांठ या उनकी किसी उपेक्षा की वजह से किया गया है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) "कंपनी" से कोई कॉरपोरेट निकाय अभिप्रेत है और इसमें कोई फर्म या व्यष्टिकों का अन्य संगम भी शामिल है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

किसी प्राधिकृत व्यक्ति के प्रवेश के अवरोध के लिए शास्ति

22-क फ कोई भी व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन में या पर प्रवेश करने के लिए धारा 22-क छ के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति के प्रवेश में बाधा उत्पन्न करता है या उसे परेशान करता है तो ऐसे प्रवेश के पश्चात वह व्यक्ति या जो इस अध्याय के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का विधिसम्मत प्रयोग करके बाधा उत्पन्न करता है, दोषसिद्ध होने पर, वह सरकार द्वारा यथाविहित उस अवधि के कारावास जो छह माह तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना से, जो पांच सौ रुपये से कम नहीं होगा किंतु जिसे दस हजार रुपये तक किया जा सकता है, दंडित किया जाएगा।

किसी ऐसे व्यक्ति जिसके साथ निगम ने संविदा की है, के लिए अवरोध उत्पन्न करना या परेशान करना

22-क ब यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति के लिए अवरोध उत्पन्न करता है या परेशान करता है जिसके साथ निगम ने उसके दायित्वों के निष्पादन कार्यान्वयन के संबंध में या ऐसी किसी कार्य जिसके लिए वह इस अध्याय के अधीन अधिकार प्राप्त है या उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, वह संविदा की है, दोषसिद्ध होने पर, वह सरकार उस अवधि के कारावास जो तीन माह तक हो सकता है या जुर्माना से, जो पांच सौ रुपये से कम नहीं होगा किंतु जिसे दस हजार रुपये तक किया जा सकता है, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

कोई चिह्न हटाने के लिए शास्ति

22-क भ यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत किसी लेवल, सीमा रेखा या कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक निदेश को दर्शाने प्रस्कीम र्थ लगाए गए किसी मार्क को हटाता है, दोषसिद्ध होने पर, वह उस अवधि के कारावास जो तीन माह तक हो सकता है या जुर्माना से, जो पांच सौ रुपये से कम नहीं होगा किंतु जिसे दस हजार रुपये तक किया जा सकता है, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

किसी शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग के अवरोध के लिए शास्ति

22-क म कोई भी व्यक्ति जो इस अध्याय द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के विधिसम्मत प्रयोग में अवरोध उत्पन्न करता है, दोषसिद्ध होने पर, वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा जिसे पांच सौ रु. कम नहीं होगा किंतु दस हजार रु. बढ़ाया जा सकेगा।

नियम बनाने की शक्ति

22-क य (1) सरकार निगम से संबंधित मामलों के संबंध में उससे परामर्श करने के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

परंतु यह कि इस धारा के अधीन नियम बनाने के पहले अवसर पर निगम से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा, किंतु सरकार ऐसे नियमों के बन जाने के पश्चात इनके संशोधन के संबंध में निगम के किसी सुझाव पर विचार करेगी।

(2) विशिष्ट या और शक्तियों का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना में और पूर्वगामी शक्ति ऐसे नियमों में इस अध्याय द्वारा स्पष्ट रूप से अपेक्षित या अनुज्ञा प्राप्त सभी मामलों के संबंध में नियमों द्वारा ऐसे फीस का उपबंध किया जा सकता है जिसे निगम द्वारा प्रभारित किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधानमंडल के समक्ष उस अवधि के पहले प्रस्तुत किया जाएंगे जो तीस दिन से कम न हो और ये विधानमंडल द्वारा ऐसे निराकरण या ऐसे उपांतरण के अध्यधीन होंगे जो विधानमंडल उस सत्र के दौरान जिसमें ये प्रस्तुत किए गए या इसके तुरंत पश्चात आने वाले सत्र में, किए जाएंगे।

(4) विधानमंडल द्वारा किए गए ऐसे कोई भी निराकरण या उपांतरण राजपत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे और तत्पश्चात प्रभावी हो जाएंगे।

विनियम बनाने की शक्ति

22-क क क (1) निगम राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप और इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्ट या और शक्तियों का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना साधारणत: पूर्व गई शक्ति सामान्यता ऐसे विनियमों में इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से अपेक्षित या अनुज्ञा प्राप्त सभी मामलों के संबंध में बनाए जाने वाले विनियमों का उपबंध किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन बनाए सभी नियमों को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधानमंडल के समक्ष उस अवधि के पहले प्रस्तुत किया जाएंगे जो तीस दिन से कम न हो और ये विधानमंडल द्वारा ऐसे निरसन या ऐसे संशोधन के अध्यधीन होंगे जो विधानमंडल उस सत्र के दौरान जिसमें ये प्रस्तुत किए गए या इसके तुरंत पश्चात आने वाले सत्र में, किए जाएंगे।

(4) विधानमंडल द्वारा किए गए ऐसे कोई भी निराकरण या उपांतरण राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और तत्पश्चात प्रभावी हो जाएंगे।

सदभावपूर्वक कार्य करता

22- क क ख किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी जो अच्छे आशय के साथ या इस अध्याय के इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अधीन किया जाना आशयित है।

वाद फाइल करने के लिए पूर्व नोटिस देने की अपेक्षा

22-क क ग (1) कोई भी व्यक्ति निगम के किसी अधिकारी या सेवक या निगम के आदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के ऐसे कार्य के विरुद्ध निगम, अधिकारी या सेवक या व्यक्ति यथास्थिति मामला हो, को आशयित वाद की

लिखित में दो माह की पूर्व सूचना दिए बिना कोई वाद नहीं आरंभ करेगा जो इस अध्याय के अनुसरण में किया गया है या किए जाने के लिए आशयित है।

(2) क्षति के संबंध में ऐसे किसी वाद के मामले में यदि कार्यवाही करने से पहले कोई पर्याप्त धनराशि का प्रस्ताव किया गया था, तो वादी इस प्रकार प्रस्तावित धनराशि से अधिक की वसूली नहीं करेगा और ऐसे प्रस्ताव के पश्चात् प्रतिवादी द्वारा खर्च की गई सभी लागत का भुगतान करेगा।

लोक सेवक

22-क क घ निगम के सभी निदेशक, अधिकारी और सेवक जब इस अध्याय के किसी उपबंध के अनुसार में कार्य कर रहे होंगे या कार्य करने के लिए तैयार हो रहे होंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 (1860 का 45) के आशय के अधीन लोक सेवक समझे जाएंगे।

अध्यारोही प्रभाव

22-क क ड. इस अध्याय के उपबंध किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उपबंधों में किसी सुसंगत बात के होते हुए भी प्रभावी बने रहेंगे।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

22-क क च यदि इस अध्याय के उपबंधों को लागू करने में कोई संदेह या कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकती है या ऐसा निदेश दे सकती है जो इस अध्याय के स्पष्ट उपबंधों के अनुरूप न हों और जो उसे ऐसे संदेह या कठिनाई को हटाने के लिए आवश्यक या समीचीन लगे और ऐसे मामलों में सरकार का आदेश अंतिम होगा।

धारा 24.-

(i) उप-धारा (1) में "5,000/-रु." और "200/-रु." के स्थान पर, क्रमश: "50,000/-रु." और "2000/-रु." रखें;

(ii) उप-धारा (2) में "3,000/-रु." और "150/-रु." के स्थान पर, क्रमश: "30,000/-रु." और "1,500/-रु." रखें;

(iii) उप-धारा (3) में "1,000/-रु." के स्थान पर, क्रमश: "10,000/-रु." रखें;

धारा 26.-

उप-धारा (4) में "दो सौ रुपये" के स्थान पर, "दो हजार रुपये" रखें;

धारा 31.-

"प्राधिकरण के बीच सहमत हुए निबंधनों और शर्तों पर और वह स्थानीय प्राधिकरण या विभाग, जैसा भी मामला हो" लोप करें।

धारा 34.-

(i) उप-धारा (2) में "सिविल प्रक्रिया संहिता 1977" के स्थान पर, " सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5)"; और

(ii) उप-धारा (6) में "माध्यस्थम अधिनियम संवत 2002" के स्थान पर, "माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 (1996 का 26)"

धारा 43.-

"रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)"।

धारा 45.- ''दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 की धारा 32'' के स्थान पर, ''दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 (1974 का 2)''।

धारा 49.- खण्ड (ग) में ''जम्मू-कश्मीर राज्य नहर एवं नाली व्यवस्था अधिनियम संवत 1963'' के स्थान पर, ''जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (विनियमन एवं प्रबंधन)अधिनियम 2010''।

8. जम्मू-कश्मीर बाढ़ मैदानी क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम (2005 का XVII)

पूर्णतया निरसन करें।

9. जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान अधिनियम (1960 का XXXVIII)

IndiaCode

सम्पूर्ण अधिनियम में ''राज्य'' और ''सरकार'' के स्थान पर, क्रमश: ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र'' और ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार'' रखें।

धारा 1 उप-धारा (2) में ''जम्मू-कश्मीर राज्य'' के स्थान पर, ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र'' रखें।

धारा 2. - निम्नलिखित को रखें:

2. "यह अधिनियम पूरे जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होगा."

धारा 4.- (i) उप-धारा (1) में:-

(क) ''पट्टे पर भूमि दे सकता है'' के स्थान पर, ''पट्टे पर भूमि देने के लिए नियम बना सकता है'' रखे";

(ख) प्रथम एवं अंतिम परंतुक का लोप करें;

(ग) चौथे परंतुक में ''मंजूरी प्रदान करने वाला सरकारी आदेश'' के स्थान पर ''मंजूरी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी का आदेश'' रखें।

(ii) उप-धारा (2) में खंड (झ) का लोप करें

(iii) उप-धारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उप-धारा जोड़ें अर्थात्,;

"(3) सरकार ऐसे उद्देश्यों के लिए और इस तरह के निर्दिष्ट क्षेत्रों में व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों को उप-धारा (1) के अधीन पट्टे प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकारियों को अधिसूचित कर सकती है। सरकार के सामान्य एवं विशिष्ट दिशा-निर्देशों के अध्यधीन इस प्रकार अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित नियमों एवं विकास अधिनियम 1970 एवं

भू-राजस्व अधिनियम सम्वत् 1966, जैसा भी मामला हो, के अधीन विहित मास्टर प्लान, जोनल प्लान या रिजनल प्लान के अधीन परिभाषित भूमि के उपयोग के अध्यधीन भूमि को पट्टे पर दे सकता है।

धारा 11. - ''संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, सम्वत् 1977'' के स्थान पर, ''संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4)" रखें।

10. जम्मू-कश्मीर भूमि सुधार स्कीमें अधिनियम
(1972 का XXIV)

पूर्णतया निरसन करें।

11. जम्मू-कश्मीर भू-राजस्व अधिनियम
(सम्वत् 1996 का XII)

संपूर्ण अधिनियम में ''जम्मू-कश्मीर सरकार'', ''सरकारी राजपत्र'' तथा ''राज्य'', जहां कहीं भी हों, के स्थान पर क्रमश: ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र'', '' राजपत्र'', तथा ''संघ राज्य क्षेत्र'' रखें।

धारा 1.- उप-धारा (2) में "पूरे जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र'' रखें।

धारा 3.- (i) मौजूदा खंड (1) से पूर्व निम्नलिखित अंत-स्थापित करें।

"(1) "कृषि भूमि'' से अभिप्रेत है जो परती भूमि सहित उस भूमि से है, जिसका उपयोग कृषि और संबंद्ध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है या किया जा सकता है।

(2) "कृषि और संबंद्ध गतिविधियों'' से खाद्य और गैर-खाद्य फसलों, चारा या घास, फल एवं सब्जियों, फूल, कोई अन्य बागवानी फसल और वृक्षा-रोपण करने; पशुपालन एवं डेयरी, पोल्ट्रीफार्मिंग, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी, कृषि प्रसंस्करण तथा किसानों एवं किसान समूहों द्वारा की जाने वाली अन्य संबंधित गतिविधियों से अभिप्रेत है।

(3) "बोर्ड" से इस अधिनियम के अधीन गठित "राजस्व बोर्ड'' से अभिप्रेत है;

(4) "सक्षम प्राधिकारी" से तहसीलदार या उसके समकक्ष रैंक के अधिकारी से अभिप्रेत है";

(ii) मौजूदा खंड (1) को खंड (5) के रूप में फिर से संख्यांकित करें तथा इस प्रकार संख्यांकित किए गए खंड (5) के उपरांत निम्नलिखित अंत-स्थापित करें।

"(6) "सरकार" से ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार'' अभिप्रेत है"।

(iii) मौजूदा खंड (2) एवं (3) को खंड (7) एवं (8) के रूप में पुन: संख्यांकित करें और इस प्रकार पुन: संख्यांकित किए गए खंड (8) में "किराएदार'', के स्थान पर ''भागों'' शब्द रखें।

(iv) मौजूदा खंड (4) को खंड (9) के रूप में पुन: संख्यांकित करें और इस प्रकार पुन: संख्यांकित किए गए खंड (9) के उपरांत निम्नलिखित अंत-स्थापित करें।

"(10) "क्षेत्रीय स्कीम" से विकास अधिनियम 1970 के अधीन अधिसूचित स्थानीय क्षेत्रों से बाहर के क्षेत्रों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित भूमि उपयोग स्कीम अभिप्रेत है।"

(v) मौजूदा खंड (5) का लोप करें तथा मौजूदा खंड (6), (7), (8), (9), (10), (11) और (12) को क्रमशः खंड (11), (12), (13), (14), (15), (16) और (17) के रूप में पुन: संख्यांकित करें;

(vi) इस प्रकार पुन: संख्यांकित किए गए खंड 14 के उप-खंड (क) में "जम्मू-कश्मीर, राज्य नहर और जलनिकासी अधिनियम, 1963 की धारा 56" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (विनियमन एवं प्रबंधन) अधिनियम, 2010" रखें ;

(vii) इस प्रकार पुन: संख्यांकित किए गए खंड (17) के उपरांत निम्नलिखित अंत:स्थापित करें -

"(18) "अधियोगी" से निरस्त किरायेदारी अधिनियम के अधीन या अन्यथा भूमि की अधिकृत खेती में परिभाषित भूमि पर कब्जे वाले संरक्षित किरायेदार या अधिभोग किरायेदार के रूप में परिभाषित व्यक्ति से अभिप्रेत है।"

(vii) मौजूदा खंड (13) का लोप करें; खण्ड (14) को खंड (19) के रूप में संख्यांकित करें तथा इस प्रकार पुन: संख्यांकित किए गए खंड 19 के प्रारंभिक पैराग्राफ के स्थान पर निम्नलिखित रखें।

(19) "कृषि वर्ष" से विभिन्न क्षेत्रों के लिए समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिसूचित वर्ष: से अभिप्रेत है ";

(ix) मौजूदा खंड (15), (16), (17) और (18) को क्रमशः खंड (20), (21), (22) और (23) के रूप में पुन: संख्यांकित करें।

(x) इस प्रकार पुन: संख्यांकित किए गए खंड (23) के पश्चात निम्नलिखित अंत-स्थापित करें: -

"(24) "इस अधिनियम में उल्लिखित "वॉटर चैनल", "वाटर कोर्स", "जल स्रोत" का वही अर्थ होगा जो जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010 में परिभाषित किया गया है।"

धारा 5 के पश्चात , नई धारा 5क का अंत:स्थापन-

राजस्व बोर्ड

"5कघ.— (1) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए राजस्व बोर्ड होगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे अर्थात्: -

(क) वित्तीय आयुक्त, राजस्व पदेन अध्यक्ष होंगे; और

(ख) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सरकार के सचिव पद के दो अन्य सदस्य;

(2) सरकार के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अध्यधीन, बोर्ड इस अधिनियम में दिए गए सभी मामलों के संबंध में मुख्य नियंत्रण प्राधिकरण होगा।

बोर्ड की शक्तियां और कार्य :

5ब — (1) बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा -

(क) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेगा तथा कृत्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा;

(ख) बोर्ड के गठन के एक वर्ष की अवधि के भीतर धारा 140 के अधीन निरस्त अधिनियमों से संबंधित सभी मामलों का निर्णय; तथा

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए सभी कृत्यों को पूरा करना।

(2) बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाले नियम, शर्त एवं प्रकियाएं वे होंगी, जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा"

धारा 6 के उपरांत निम्नलिखित अंत:स्थापित करें –

कार्यालयों का संयोजन

"6क -यह सरकार या सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह विधि के अनुसार अन्यथा सक्षम एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक कार्यालयों के लिए या कतिपय स्थानीय सीमाओं या अन्यथा इसके द्वारा अनिवार्य समझी गई सीमाओं के अध्यधीन किसी अधिकारी को किसी कार्यालय की एक या सभी शक्तियां या किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों के कर्तव्यों को सौंपे।"

धारा 8.- "सरकार" के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखें।

धारा 9.- "वित्तीय आयुक्त" के स्थान पर "बोर्ड, वित्तीय आयुक्त" शब्द रखें।

धारा 11.- "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1977" के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।

धारा 12.- उप-धारा (1) के परंतुक का लोप करें।

धारा 13.- उप-धारा (1) के परंतुक (क) में, "जब" के पश्चात और "प्रभागीय आयुक्त से पहले" "बोर्ड" शब्द रखें।

धारा 21.- उप-धारा (2) के खंड (क) के उप-खंड (i) में, "किरायेदारों या समनुदेशिती" के स्थान पर "अधिभोगी" शब्द तथा उप-खंड (iii) के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,-

"(iv) इसके क्षेत्र के भीतर आयोजित सर्वेक्षण संख्या या भूखंड संख्या;

(v) मिट्टी की किस्म और विशेषताएं ;

धारा 22-क (i) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखें –

"(2) पास बुक इस तरह के रूप में होगी और ऐसी अवधि के लिए मान्य होगी जो विहित की जा सकती है और बोर्ड पासबुक को डिजिटल प्रारूप में तैयार करने, जारी करने और बनाए रखने के लिए प्रयास करेगा, और बोर्ड इस उद्देश्य के लिए निर्देश जारी करने के लिए सक्षम होगा। ";

(ii) उप-धारा (19) में, "दो सौ रुपये" के स्थान पर, "दो हजार रुपये" शब्द रखें।

धारा 23 के उपरांत नई धारा 23क का अंत:स्थापन :-

भूमि का समेकन और भूमि जोतों के विखंडन को रोकना।

23क— (i) बोर्ड अधिकार अमिल देन को तैयार करते समय या अन्यथा किसी भूमि के स्वामियों के बीच एक इकाई में भूमि जोतों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए किए जाने वाले भूमि धारण को समेकित करने की स्कीम को अधिसूचित कर सकता है या इस तरह से बना सकता है जिससे कि उनकी भूमि पर उनके अधिकार को अधिक स्पष्ट किया जा सके।

(ii) उस तारीख, जिससे एक भू-स्वामी को उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित स्कीम के उप-बंधों के अनुसरण में उसे आबंटित भूखंड का कब्जा प्राप्त होता है, से उस भूमि के भूतपूर्व स्वामियों के अधिकार, शीर्षक, हित और देनदारियां इन भूखंडों और उनके मूल भूखंडों में उनके अधिकार, शीर्षक, ब्याज और देयताएं समाप्त हो जाएंगी और ये भूमि पर कब्जा लेने वाले व्यक्ति को उक्त समेकन स्कीम में निर्दिष्ट ऐसे संशोधनों, यदि कोई हो, के अधीन प्राप्त हो जाएंगी,

(iii) बोर्ड जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में कृषि को व्यवहार्य बनाने के लिए कृषि भूमि जोतों के विखंडन को प्रतिबंधित और विनियमित करने की स्कीम भी ला सकता है।

धारा 24.- सीमांत शीर्ष में, "राजस्व और अधिभोग किरायेदारों के समनुदेशिती" के स्थान पर और उप-धारा (1) में "अधिभोग किरायेदार या संरक्षित किरायेदार" के स्थान पर क्रमश: "और कब्जेदार" तथा "एक कब्जेदार" शब्द रखें।

धारा 32.- (i) उप-धारा (1) में, "उपायुक्त" के स्थान पर, "उपायुक्त या अपर उपायुक्त" शब्द रखें तथा "(गिलगित और लद्दाख के सीमावर्ती जिलों के मामले में 2 वर्ष)" का लोप करें।

(ii) उप-धारा (3) का लोप करें।

धारा 101.- उप-धारा (2) के पश्चात , निम्नलिखित का अंत:स्थापन-

"(3) (क) बोर्ड ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन तथा विहित ढंग से स्वयं या कम से कम कलेक्टर रैंक के अधिकारी को किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है जिसे अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयर कहा जाएगा और जिसे सीमाओं के सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं सैटलमेंट तथा उससे संबंधित मामलों के लिए बोर्ड द्वारा विहित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्राप्त है।

(ख) अनुज्ञप्ति सर्वेयर को देय फीस का निर्धारण समय-समय पर बोर्ड द्वारा विहित किए गए फीस के अनुसार किया जाएगा। "

धारा 105.- प्रारंभिक पैरा में, "या किरायेदारी के किसी भी संयुक्त किरायेदार जिसमें अधिभोग या संरक्षित किरायेदारी निर्वाह का अधिकार अंतर्विष्ट है", "या किरायेदार" और "या किरायेदारी" का लोप करें।

धारा 106.- खंड (3) में, "किरायेदारी में शामिल भूमि", "एक किरायेदार", "किरायेदार" और "उस किरायेदारी" के स्थान पर, क्रमशः "पूर्ववर्ती किरायेदारी", "एक कब्जेदार", "कब्जेदार" और "वह अधिभोग" शब्द रखें।

अध्याय X के उपरांत नए अध्याय का अंत:स्थापन–

"अध्याय X क

भूमि को पट्टे पर देना

भूमि महा-करार, समाप्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां। 119-ख — (1) किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होतु हुए भी, सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए कृषि भूमि को पट्टे पर देने या पट्टे पर देने के लिए प्रक्रियाओं और शर्तों को तैयार कर सकती है ।

अध्याय- X-ख

स्थानीय स्कीम

बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय स्कीम तैयार करना। 119ग - (1) विकास अधिनियम 1970 के अधीन परिभाषित "स्थानीय क्षेत्र" को छोड़कर, उक्त अधिनियम के अधीन गठित विकास प्राधिकरणों के अधीन आने वाले क्षेत्रों सहित, बोर्ड सारी भूमि के लिए विकास प्राधिकरण होगा और क्षेत्रीय स्कीम या स्कीम ओं, यथास्थिति, को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रीय स्कीम या स्कीम ओं को तैयार करने के लिए बोर्ड, विकास अधिनियम, 1970 में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रीय स्कीम या स्कीम ओं को तैयार करते समय बोर्ड निम्नलिखित का ध्यान रखेगा-

(i) सरकार के समग्र विकासात्मक उद्देश्य;

(ii) संघ राज्य क्षेत्र में कृषि का विकास;

(iii) केसर, बागान, सब्जी और अन्य फसलों की बुआई के लिए प्रयुक्त होने वाली भूमि, जो बोर्ड द्वारा आवश्यक समझी गई हो, का संरक्षण;

(iv) पानी और अन्य संसाधनों का इष्टतम उपयोग;

(v) पारिस्थितिकी, पर्यावरण और वन्य जीवन की सुरक्षा;

(vi) जलवायु परिवर्तन और फसल के पैटर्न में अपेक्षित परिवर्तन का प्रभाव;

(vii) आवासीय सहित विकासात्मक प्रयोजनों के लिए भूमि की अपेक्षा;

(viii) सरकार द्वारा बोर्ड को बताए गए अन्य लक्ष्य या बोर्ड द्वारा उचित समझे गए अन्य कार्य।

अध्याय XI
अपराध एवं शास्तियां

अपराध और शास्तियां

119-घ-इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी भी बात के बावजूद, जो व्यक्ति नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध को करता है, तो वह व्यक्ति ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर उक्त सारणी के स्तंभ (3) में इंगित सजा के लिए पात्र होगा, अर्थात्:

सारणी

क्र.सं.	अपराध	दंड
(1)	(2)	(3)
1	जो कोई भी धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से किसी भी सरकारी जमीन को बेचने, गिरवी रखने या उपहार के माध्यम से अंतरित करने के उद्देश्य से दस्तावेज बनाता है।	तीन साल की कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना।
2	जो कोई भी सरकारी भूमि का उपयोग करने या उसे हथियाने के इरादे से सरकारी भूमि के संबंध में एक जाली दस्तावेज बनाता है।	तीन साल की कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना

अन्य विधियों के अधीन दंड वर्जित नहीं

119ई - इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन किए गए दंड या चूक के लिए तत्सयम प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन अभियोजित चलाने और दंडित होने से नहीं रोक सकती है:

परंतु किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा।

कंपनियों द्वारा अपराध

119च - जहां इस अधिनियम के अधीन एक कंपनी द्वारा अपराध किया जाता है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस कंपनी के उस समय प्रभारी थे, जिस समय अपराध किया गया था, और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार थे, के साथ ही कंपनी को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा।

IndiaCode

119-छ- बोर्ड समय-समय पर इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए जुर्माने में पुनरीक्षण करने के लिए सक्षम होगा। ”

धारा 127.- खंड (ख) में, "भूमि-धारकों या किरायेदार" के स्थान पर "भूमि-धारकों या अधिभोगी'' शब्द रखें''।

धारा 128.- उप-धारा (1) में, "एक किरायेदार" के स्थान पर "एक अधिभोगी " शब्द रखें।

धारा 129.- लोप करें।

धारा 130.- लोप करें।

धारा 131.- लोप करें।

धारा 132.- उप-धारा (1) में, "दो हजार रुपये " और "एक हजार रुपये ", के स्थान पर क्रमशः " पचास हजार रुपये " और "पांच हजार रुपये" शब्द रखें।

धारा 133.- (1) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखें -

"(2) आम भूमि, या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि या जिसमें से खेती निषिद्ध हो गई है या आपत्तिजनक है, या, व्यक्ति जिसका हकदार नहीं है, पर अतिक्रमणों तथा कृषि की रोकथाम तथा इसे खेती के अधीन लाना-

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि , करार, प्रथा, उपयोग या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के डिक्री या आदेश के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी सड़क, गली, रास्ते, वॉटर चैनल, वॉटर कोर्स, जल स्रोत और अन्य सामान्य भूमि जैसे कि किसी विधि में परिभाषित या सरकार या बोर्ड द्वारा घोषित किया गया है, के संबंध में उपयोगकर्ता के अधिकार का प्रयोग करेगा,

(ख) खंड (क) द्वारा अनुमत उपयोगकर्ता का अधिकार अतिक्रमण के किसी भी अधिकार को शामिल करने या अन्यथा प्रदान करने या बनाने के लिए नहीं समझा जाएगा, चाहे यह अतिक्रमण निर्माण के साधनों सहित, बाड़ लगाना, दीवार बनाना या कोई बाधा डालना या भूमि टूटने से बनने वाले मोड़ या अन्यथा रूप में किया गया हो।

(2-क) अधिकार का प्रयोग न करने देने या उसमें बाधा उत्पन्न करने या अतिक्रमण के लिए जुर्माना- (क) जहां किसी भी व्यक्ति को उप-धारा (1) में प्रदत् किए गए अनुसार उपभोक्ता के अधिकार से वंचित किया जाता है या उपभोक्ता के अधिकार का विधिपूर्वक उपयोग करने में बाधा उत्पन्न की जाती है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऊपर वर्णित सामान्य भूमि को अपने कब्जे में ले लिया गया हो या उस पर खेती करनी प्रारंभ कर दी गई है या उस पर अन्यथा अतिक्रमण कर लिया गया है या जब कोई व्यक्ति बिना प्राधिकार के सरकारी भूमि पर कब्जा कर लेता है तो राजस्व अधिकारी स्वयं या किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति के आवेदन पर आवश्यक जांच करवा सकता है और ऐसी जांच के उपरांत -

(i) यदि यह पाया जाता है कि उपयोगकर्ता को उसके अधिकार से वंचित किया गया है या अधिकार का प्रयोग करने में बाधा उत्पन्न की गई है तो,उपयोगकर्ता को अपने अधिकार का प्रयोग करने और बाधा हो हटाने का निर्देश दे सकता है;

(ii) उस व्यक्ति, जिसने सामान्य भूमि पर कब्जा कर लिया है या उस पर खेती करनी आरंभ कर दी है या उस पर अन्यथा अतिक्रमण कर लिया है और फसल या भूमि सुधार हेतु किसी भी प्रकार के मुआवजे का भुगतान किए बिना ऐसी भूमि पर कब्जा कर लिया है, को बेदखल कर सकता है, आदेश द्वारा दोषी घोषित कर सकता है और पुन: ऐसे अतिक्रमण से रोक सकता है;

(iii) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों जिन्होंने उपयोगकर्ता को भूमि के अधिकार का उपयोग करने से वंचित कर दिया है या अधिकार का उपयोग करने में बाधा उत्पन्न की है, या जिसने आम भूमि पर कब्जा कर लिया है या उस पर खेती करना प्रारंभ कर दिया है या उस भूमि पर अन्यथा अतिक्रमण कर लिया है तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित ढंग से न्यूनतम 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उप-धारा (3) के अधीन बाधा को दूर करने या बेदखली संबंधी आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन विहित रीति से लागू होंगे।

(ग) जहां सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, वहां अपराध करने वाले व्यक्ति को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर, ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए, एक वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 25 हजार रुपए या दोनों की सजा दी जा सकती है।

(2) उप-धारा (4-क), (4-ख) और (5) का लोप करें।

(3) उप-धारा (5) के पश्चात , निम्नलिखित अंत:स्थापित करें-

"(6) इन आदेशों को लागू करने में एक राजस्व अधिकारी को अवमानना, प्रतिरोध के संबंध में ठीक वैसी ही शक्तियां प्राप्त होंगी जो डिक्री को लागू करते समय सिविल न्यायालय के पास होती हैं; तथा

(7) किसी भी जुर्माने का यदि नकद भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। "

धारा 133-क के स्थान पर निम्नलिखित रखें -

कृषि भूमि के रूपांतरण पर प्रतिबंध और गैर-कृषि (एनए) उपयोग की अनुज्ञा संबंधी प्रक्रिया।

"133-ए - (1) उप-धारा (4) में अधिसूचित प्रक्रिया के अधीन, कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई कोई भी भूमि जिला कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना किसी भी गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं की जाएगी:

परंतु केसर बेल्ट के रूप में अधिसूचित भूमि के रूपांतरण की अनुज्ञा जम्मू-कश्मीर केसर अधिनियम, 2007 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाएगी:

आगे परंतु यह और भी है कि किसी भी कृषि भूमि के मालिक संबंधित तहसीलदार को सूचित करके कृषि भूमि पर एक घर या कृषि भवन, अनाज भंडारण, कृषि उपज का प्राथमिक प्रसंस्करण, कुओं या टैंकों आदि का निर्माण कर सकते हैं या आवासीय उद्देश्य या कृषि सुधार के लिए किसी अन्य प्रकार के बदलाव कर सकते हैं, हालाँकि, इस तरह के भवन या सुधार का कुल क्षेत्रफल चार सौ वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए:

परंतु भूमि के टुकड़े करके या अन्यथा ढंग से उक्त परंतुकों का उल्लंघन करते हुए कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि कृत्यों हेतु करने के लिए किया गया कोई भी प्रयास इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन माना जाएगा।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी भी बात होते हुए भी, भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जो क्षेत्रीय स्कीम , विकास स्कीम या मास्टर प्लान मामला हो,

में प्रदत्त किए गए अनुसार अपनी कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में लाना चाहता है, जैसा भी, समय-समय पर बोर्ड द्वारा विहित रूपांतरण फीस के भुगतान के पश्चात ऐसा कर सकता है।

(3) उप-धारा (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के बावजूद, सरकार द्वारा इको संवेदनशील जोन के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में ऐसी कोई अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(4) बोर्ड कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजन भूमि में परिवर्तित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया को अधिसूचित करेगा, प्रपत्रों का निर्धारण करेगा तथा फीस तय करेगा।"

धारा 133-ख के पश्चात नई धारा का अंत:स्थापन-

चरागाह भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध और अंतरण निषेध

"133-खख. (1) वह भूमि जो चरागाह भूमि के रूप में है, अरक, काप या कह-ए-कृशम के रूप में या जिस पर ईंधन या चारा उगाया जाता है और सरकार द्वारा अधिसूचित वर्ग की है, का उपयोग जिला कलक्टर की अनुज्ञा के बिना किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता और जिला कलक्टर द्वारा ऐसी अनुज्ञा बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार ही प्रदान की जाएगी;

परंतु इस तरह की अनुज्ञा को प्रदान किया गया समझा जाएगा यदि संबंधित अधिनियम के अधीन सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है या अस्थायी रूप से उसे किराए पर लिया जा रहा है।

परंतु यह और कि ऐसी भूमि का हस्तांतरण या उससे प्राप्त कोई ब्याज अनुमेय नहीं होगा और ऐसी भूमि के हस्तांतरण से संबंधित कोई भी दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा;

(2) बोर्ड इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियम अधिसूचित करने के लिए सक्षम होगा।"

धारा 133-ग के स्थान पर निम्नलिखित रखें –

सरकारी राजगामी संपत्ति का उल्लंघन करते हुए भूमि रूपांतरण

"133-ग-(1) धारा 133-क या 133-ख या 133 खख के उपबंधों का उल्लंधन करते हुए किसी अन्य उद्देश्यों के लिए किए गए भूमि रूपांतरण को सरकारी राजगामी संपत्ति का उल्लंघन माना जाएगा।"

(2) कलक्टर या उसकी ओर से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को निर्देश दे सकता है कि वह बाधा को हटाए और भूमि या जल-सतह या जल क्षेत्र, फ्लोटिंग फील्ड, जैसा भी मामला हो, को विहित तिथि तक अपनी मूल स्थिति में परिवर्तित करे और यदि वह व्यक्ति विहित समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है तो, कलेक्टर या ऐसा अधिकारी बाधा को हटा सकता है या उसे हटाने का कारण बन सकता है और ऐसा करने के लिए वह आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है तथा पुनर्निमाण की लागत उल्लंघनकर्ता को वहन करनी होगी।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के उपबंधों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, जिस व्यक्ति ने धारा 133-क या धारा 133-ख या धारा 133-खख के उपबंधों का उल्लंघन किया

है, को कलेक्टर या या उसके द्वारा प्राधिकृत न्यूनतम प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर रैंक के अधिकारी द्वारा दंड, जो 25 हजार रुपए तक हो सकता है, की सजा दी जाएगी और जब तक इस तरह के उल्लंघन को हटा नहीं दिया जाता है, तब तक उल्लंघनकर्ता को उस अवधि के लिए प्रतिदिन के हिसाब से 5 हजार रुपए के दंड की सजा दी जा सकती है।

(4) (क) धारा 133-ग या धारा 133-घ के अधीन किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश पारित होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रभागीय आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है।

(ख) खंड (क) के अधीन की गई कोई अपील उस आदेश के अधीन अपील की गई हैकि अधीन कार्यवाहियों के स्थगन के रूप में प्रवर्तित नहीं होगी।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी भी बात के होते हुए भी, कलैक्टर, या धारा 133-क, 133-ख, 133खख, 133-ग के अधीन इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की गई कोई बात या किए जाने के लिए आरोपित कोई बात न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी और कोई भी न्यायालय किसी ऐसी कार्रवाई बात अथवा किसी मामले,, जिसके लिए उक्त उपबंधों के अधीन कार्यवाही की गई है, के संबंध में वाद स्वीकार नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं करेगा तथा व्यादेश प्रदान नहीं करेगा।

धारा 133-घ- "पांच हजार रुपये" और "पांच सौ रुपये", के स्थान पर क्रमशः "पच्चीस हजार रुपये" और "पांच हजार रुपये" शब्द रखें।

धारा 133-ड.- लोप करें।

नई धारा का अंत:स्थापन

धारा 133-छ के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें:

गैर-कृषक के लिए के अतरण का वर्जन

"133-ज.- (1) इस अधिनियम में उपबंधित के सिवाय, -

(क) कोई विक्रय (एक सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन से हुए विक्रय या भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए या भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य राशि सहित), उपहार या विनिमय नहीं, होगा; या

(ख) इसमें किसी भी भूमि या उसमें के हित का बंधक नहीं किया जाएगा और जिसमें बंधक संपत्ति का कब्जा बंधक को दिया जाता है, या

(ग) भूमि के विक्रय, दान, विनिमय या भूमि को बंधक रखने के लिए लिखित रूप में किया गया कोई करार ऐसे किसी व्यक्ति के पक्ष में विधिमान्य नहीं माना जाएगा जो कृषक नहीं है;

परंतु सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी कृषक को विक्रय, दान, विनिमय या बंधक के माध्यम से गैर-कृषक व्यक्ति को ऐसे समझौते या

ऐसी शर्तों पर जो निर्धारित की जाए कृषि भूमि अन्य संक्रान्त करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकती है:

परंतु इस उप-धारा में की कोई भी बात कृषि एवं भूमि सुधार के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन भूमि को पट्टे पर देने या किसी कृषि या उत्पादन करार को करने से वर्जित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन के लिए पद , -

(क) "कृषक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो:

(i) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में ऐसी तारीख से जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती कर रहा है; या

(ii) जो व्यक्तियों की ऐसी श्रेणी समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए;

(ख) "भूमि" से कृषि भूमि के रूप में दर्ज की गई भूमि जिसमें गाँव अबादी भी शामिल है, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो और राजस्व रिकॉर्ड में जिसका उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए या कृषि से जुड़े कृत्यों या चारागाह या ग्रामीण इलाकों में आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, से अभिप्रेत है; तथा

(ग) "व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करने" का अर्थ है:

(i) व्यक्तिगत रूप से ;

(ii) स्वयं के श्रम से;

(iii) अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम से; या

(iv) स्वयं के या अपने परिवार के किसी सदस्य के प्राईवेट पर्यवेक्षण के अधीन काम पर रखे गए श्रमिक या ऐसे नौकरों द्वारा जिन्हें नकद या वस्तु रूप में मजदूरी का भुगतान किया जाता है न कि फसल के हिस्से के रूप में।

(2) उप-धारा (1) में किसी भी बात को किसी व्यक्ति या सरकार द्वारा उप-धारा (1) में यथा परिभाषित निम्नलिखित के पक्ष में भूमि के अंतरण प्रतिषेध नहीं माना जाएगा, -

(क) सरकार द्वारा विहित और अधिसूचित की जाने वाली पात्रता, निवास की शर्तों और प्रक्रिया के अनुसार एक भूमिहीन किसान या एक ग्रामीण कारीगर:

(ख) कोई सरकार;

(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित कंपनी या एक निगम या एक बोर्ड तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथा परिभाषित सरकार या सरकारी कंपनी के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनी या निगम या बोर्ड;

परंतु खंड (ख) एवं (ग) के अधीन भूमि का अधिग्रहण सरकार द्वारा प्रवृत्त विधि के अधीन सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया गया है।

IndiaCode

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त कोई भी रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, भूमि के अंतरण से संबंधित कोई भी ऐसा दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नहीं करेगा, जो उप-धारा (1) के उल्लंघन में हो।

(4) जब-

(क) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, जिसके समक्ष भूमि के हस्तांतरण से संबंधित कोई भी दस्तावेज जिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, को यह पता चलता है या उसके पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि भूमि का अंतरण उपधारा (1) का उल्लंघन करते हुए किया गया है;

(ख) एक राजस्व अधिकारी को या तो उसे किए गए आवेदन पर या किसी भी स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर यह जानकारी प्राप्त होती है या उसके पास विश्वास का पर्याप्त कारण हों कि किसी भी भूमि को उप-धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए अंतरित किया गया है,

तो ऐसा उप-रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार या राजस्व अधिकारी, जैसा भी मामला हो, उस जिले के उपायुक्त को उस मामले की जानकारी देगा जिसमें भूमि या भूमि का वह हिस्सा स्थित है और उपायुक्त ऐसे संदर्भ की प्राप्ति पर या अन्यथा इस तरह की जानकारी प्राप्त होने पर, उन व्यक्तियों को जो भूमि के अंतरण में पक्षकार है, को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए जांच करेगा और यह अवधारित करेगा कि क्या भूमि का अंतरण उप-धारा (1) का उल्लंघन करते हुए किया गया है और वह संदर्भ प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर इस संबंध में अपना निश्चित अभिलिखित करेगा तथा निष्कर्ष के संबंध में रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार या संबंधित राजस्व अधिकारी को सूचित करेगा।

(5) उपायुक्त द्वारा दर्ज किए गए इस निष्कर्ष कि भूमि का एक विशिष्ट अंतरण उप-धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन है, से व्यथित व्यक्ति या तीन महीने में उपायुक्त द्वारा किसी भी निर्णय/निष्कर्षों को न दिए जाने पर, वह व्यक्ति उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर, जिस पर उपायुक्त द्वारा इस तरह के निष्कर्षों को दर्ज करने का आदेश दिया जाता है या उपायुक्त के भेजे गए संदर्भ के तीन महीने की अवधि के भीतर या इस तरह की लंबी अवधि जिसकी प्रभागीय आयुक्त द्वारा लिखित में कारण रिकॉर्ड किए जाने के लिए अनुज्ञा दी गई है, से लिखित रूप में उस प्रभागीय आयुक्त को अपील दायर कर सकता है जिसका अधीनस्थ वह उपायुक्त हो, तथा प्रभागीय उपायुक्त दोनों पक्षों को कलैक्टर से सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, उपायुक्त द्वारा दिए गए निर्णय को उलट सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है तथा संभागीय आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं निश्चायक होगा।

6 (क) वित्त आयुक्त राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट पर, या किसी आवेदन के प्राप्त होने पर या स्वयं की प्रेरणा पर, अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी के पास लंबित पड़ी या निपटान किए जा चुके मामले संबंधी कार्यवाही, जिसमें कोई अपील नहीं की गई है, का यह जांचने के लिए रिकॉर्ड मंगवा सकता है कि ऐसी कार्यवाहियों या इसके अधीन किए गए आदेशों की विधिमान्यता याऔचित्य क्या है तथा इस संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जिसे वह उचित समझे।

(ख) इस उप-धारा के अधीन जब तक कि किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया जएगा, जो किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो,

(7) जब धारा (6) के अधीन यदि विहित अवधि के भीतर अपील दायर नहीं की जाती है तो जिले का आयुक्त या उप-धारा (7) के अधीन की गई अपील में प्रभागीय आयुक्त या उप धारा (8) के अधीन मामले के पुनरीक्षण के पश्चात वित्त आयुक्त यह विनिश्चय करता है कि भूमि का अंतरण उप-धारा (1) के उपबंधों के अंतरण है, तो ऐसा अंतरण प्रारंभ में अविधिमान्य माना जाएगा तथा ऐसे अंतरण में शामिल भूमि ढांचे, भवनों या अन्य अटैचमेंट, यदि कोई हो, सहित विहित रीति से सभी प्रकार के विल्लागमों से मुक्त जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार में अंतर्विष्ट होगी।

(8) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के लिए यह विधिमान्य होगा कि वह सरकार में अंतर्विष्ट या उप-धारा (4) या उप-धारा (9) के अधीन अंतर्विष्ट भूमि का उपयोग ऐसे उद्देश्यों के लिए करे जिन्हें वह उचित समझती है।

(9) इस धारा के उपबंध सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित तारीख से लागू होंगे।

पूर्व प्रयोजनों के लिए लोक न्यास के पक्ष में भूमि का अंतरण

133-झ. धारा 133-ज में किसी भी बात के होते हुए भी और इस तरह की प्रक्रिया के अधीन, जैसा कि इस संबंध में विहित किया जाए, सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त धारा में परिभाषित के लिए विधि के अधीन स्थापित और गैर-लाभदायक प्रकृति के पात्र लोक नयास के पक्ष में भूमि के अंतरण की अनुज्ञा दे सकती है।

स्वास्थ्य देखभाल या शिक्षा की प्रोन्नति के लिए भूमि का अंतरण

133-ञ. धारा 133-ज में किसी भी बात के होते हुए भी और ऐसी प्रक्रिया के अधीन, जैसा कि इस संबंध में विहित किया जाए, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा या वरिष्ठ माध्यमिक या उच्चतर या विशेषीकृत शिक्षा की प्रोननति के प्रयोजन से किसी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में भूमि के अंतरण की अनुज्ञा दे सकती है, जैसा कि उक्त धारा में परिभाषित किया गया है।

औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवास या कृषि प्रयोजनों के लिए किसी अन्य लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अंतरण

133-ट. धारा 133-ज में किसी भी बात के होते हुए भी और इस तरह की प्रक्रिया के अधीन है, जैसा कि इस संबंध में विहित किया जाए, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त धारा से यथा परिभाषित संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास के लिए ऐसे औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय उद्देश्यों या कृषि प्रयोजनों या किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति, संस्था या निगम के पक्ष में, भूमि के अंतरण की अनुज्ञा दे सकती है।

ट शर्तों के अधीन धारा 133-ज, 133-झ, 133-ञ और 133- भूमि का अंतरण

133-ठ. एक गैर-कृषक व्यक्ति जिसके पक्ष में धारा 133-ज (1) और (2) (क), 133-झ, 133-ञ, और 133-ट अधीन भूमि अंतरित की गई है, ऐसी भूमि के अंतरण के का विचार किए बिना, धारा 133-ज के प्रयोजनों के लिए एक गैर-कृषक बना रहेगा और वह पांच वर्षों के भीतर भूमि को ऐसे उपयोग में लाएगा जिसके लिए भूमि को अंतरित किया गया है:

परंतु सरकार ऐसी भूमि के लिए अधिसूचित की गई लागू स्टांप ड्यूटी

दरों के आधार पर गणना की गई भूमि के मूल्य के प्रति माह एक प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के भुगतान पर अधिकतम दो साल के लिए उपरोक्त समय अवधि का विस्तार कर सकती है।

(2) यदि कोई व्यक्ति आशयित उपयोग लिए भूमि का उपयोग नहीं कर पाता है या सरकार की अनुज्ञा के बिना किसी अन्य उद्देश्य के लिए उक्त भूमि उपयोग करता है या विक्रय, दान अन्यथा भूमि का अंतरण करता है, तो उसके द्वारा इस प्रकार क्रय भूमि सभी विल्लागमों से मुक्त सरकार में अंतर्विष्ट मानी जाएगी।

धारा 134. उप-धारा (2) में "साक्ष्य अधिनियम, 1977 का XIII", के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)" रखें।

धारा 139 के पश्चात , अंत: स्थापित करें।

निरसन. "140. (1) निम्नलिखित अधिनियम और उसके अधीन सभी नियम और इन अधिनियमों से संबंधित मामलों में पूर्व किए मामलों के संबंध में जारी किए गए आदेश जो जहां तक कि इस अधिनियम के विरुद्ध हैं, को निरस्त माना जाएगा।

(क) जम्मू-कश्मीर भूमि अंतरण अधिनियम, संवत, 1955;

(ख) जम्मू-कश्मीर बिगलैंडिड एस्टेटस एबोलिशन एक्ट, संवत, 2007;

(ग) जम्मू-कश्मीर सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1956;

(घ) जम्मू-कश्मीर कन्सोलिडेएशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट, 1962;

(ङ) जम्मू-कश्मीर भूमि सुधार स्कीम एं अधिनियम, संवत 1972;

(च) जम्मू-कश्मीर कृषि जोतो के विखंडन की रोकथाम अधिनियम, 1960;

(छ) जम्मू-कश्मीर भूमि रूपांतरण और बागान हस्तांतरण निषेध अधिनियम, 1975;

(ज) जम्मू-कश्मीर किरायेदारी (बेदखली की कार्यवाही पर रोक) अधिनियम, 1966;

(झ) जम्मू-कश्मीर किरायेदारी अधिनियम, संवत् 1980;

(ञ) जम्मू-कश्मीर भूमि का उपयोग अधिनियम, संवत् 2010;

(2) वित्त आयुक्त, राजस्व उप-धारा (1) में उल्लिखित अधिनियमों को निरस्त करने के कारण सभी लंबित और अवशिष्ट मुद्दों का विवरण तैयार करेगा और इसे बोर्ड के समक्ष रखेगा तथा बोर्ड तदनुसार विवादों के शीघ्र समाधान के लिए सभी संभव कदम उठाएगा तथा 31 मार्च, 2020 तक उप-धारा (3) में दिए गए रीति से फास्ट ट्रैक आधार पर सभी अवशिष्ट मामलों का अंतिम रूप से न्यायनिर्णयन सुनिश्चित करेगा।

(3) उप-धारा (1) में उल्लिखित निरस्त कानूनों के अधीन सभी लंबित विवादों, मामलों, मुकद्दमों और अन्य अवशिष्ट मामलों को निम्नलिखित विधियों में से किसी एक या एक से अधिक विधि द्वारा निपटाया जाएगा अर्थात्-

(क) जहां कोई सरकारी हित शामिल नहीं है वहां बातचीत या तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या सुलह या मध्यस्थता द्वारा;

(ख) जहां कोई सरकारी हित शामिल नहीं है वहां स्थायी वकील के परामर्श से लोक अदालत भेजकर;

(4) बोर्ड, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राजस्व अधिकारियों, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, को शक्तियां सौंपने के लिए सक्षम होगा।

अनाधिकृत कब्जे संबंधी कुछ मामलों का नियमितीकरण

140-क. (1) सरकार धारा 140 की उप-धारा (1) के अधीन अधिनियमों को निरस्त करने के कारण उत्पन्न होने वाले अनधिकृत कब्जे के नियमितीकरण के लिए नियम बना सकती है।

परंतु इस तरह के नियमितीकरण को सरकार द्वारा विशेष क्षेत्र में इस प्रकार की भूमि के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित सर्कल दर के न्यूनतम पचास प्रतिशत की दर पर लेवी या फीस के भुगतान के अधीन अनुज्ञा दी जा सकती है।

परंतुक और कि 31 दिसंबर, 2021 के पश्चात इस तरह के किसी भी नियमितीकरण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(2) इस तरह के निरसन के होते हुए भी धारा 140 की उप-धारा (1) के अधीन निरस्त की गई किसी विधि के किसी भी उपबंध के अधीन किया गया कोई कार्य, की गई कोई कार्रवाई, जारी किया गया कोई आदेश या अधिसूचना इस अधिनियम के तत्स्थायी उपबंधों के अधीन ठीक उसी प्रकार किया गया, या जारी किया गया माना जाएगा, जैसे कि इस अधिनियम के ऐसे उपबंध उस दिन लागू थे, जिस दिन ऐसी कार्रवाई की गई थी या आदेश या अधिसूचना जारी की गई थी।

कठिनाईयों को दूर करना

141. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन समझे गए, ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हों।

12. जम्मू-कश्मीर कृषि जोतों का विखंडन, निवारण अधिनियम

(1960 का XXV)

पूर्ण रूप में निरसन।

13. जम्मू-कश्मीर भूमि रूपांतरण एवं बागान हस्तांतरण पर प्रतिबंध अधिनियम

(1975 का VIII)

पूर्ण रूप में निरसन।

14. जम्मू-कश्मीर राइट ऑफ परायर परचेस, एक्ट
(संवत 1993 का ।। (1993 ई.पू.)

पूर्ण रूप में निरसन।

15. जम्मू-कश्मीर किराएदारी (बेदखली संबंधी कार्यवाही पर रोक) अधिनियम
(1966 का XXXIII)

पूर्ण रूप में निरसन।

16. जम्मू-कश्मीर भूमि उपयोग अधिनियम
(संवत 2010 का IX)

पूर्ण रूप में निरसन।

17. जम्मू-कश्मीर अंडरग्राउंड पब्लिक यूटीलिटीज. (एक्वीजिशन ऑफ राइट्स ऑफ यूजर इन लैंड।
(2014 का IV)

पूर्ण रूप में निरसन।

18. जम्मू-कश्मीर राज्य निष्क्रांत (संपत्ति का प्रशासन) अधिनियम
(संवत् 2006 का VI)

संपूर्ण अधिनियम में, ''सरकारी राजपत्र'' और ''जम्मू और कश्मीर राज्य'' जहां वे आते हैं, के स्थान पर, क्रमश: ''सरकारी राजपत्र'' और ''जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र'' रखें।

धारा-1. उप-धारा (2) में, ''पूरे जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए'', के स्थान पर ''पूरे जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में'' रखें।

धारा-14क. ''राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम, संवत 1990'' और ''खंड 4, 6 और 7'', के स्थान पर क्रमश: ''भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)'' और ''धारा 11 और 19'' रखें।

धारा-14ख. उप-धारा (2) में, ''धारा 9, 9-क, 11, 12, 18, 23, 24 और 31 राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम, संवत 1990'' के स्थान पर ''धारा 21, 23, 37, 64, 69 और 76'' भूमि अर्जन पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)'' रखें।

धारा-15. उप-धारा (2) में ''जम्मू-कश्मीर सरकारी राजपत्र'' के स्थान पर ''सरकारी राजपत्र'' रखें।

IndiaCode

धारा-22. ''आपराधिक प्रक्रिया, 1989 (1989 का XXIII) के स्थान पर ''दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)'' रखें।

धारा-24. ''आपराधिक प्रक्रिया, संहिता 1989 (1989 का XXIII) के स्थान पर ''दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)'' रखें।

धारा-25. ''जम्मू-कश्मीर सरकारी राजपत्र'' के स्थान पर ''सरकारी राजपत्र'' रखें।

धारा-26. ''जम्मू-कश्मीर सरकारी राजपत्र'' के स्थान पर ''सरकारी राजपत्र'' रखें।

धारा-28. ''रणबीर दंड संहिता (1989 का XII) के स्थान पर ''भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)'' रखें।

धारा-29. ''सिविल प्रक्रिया संहिता, 1977 (1977 का X) ''रणबीर दंड संहिता (1989 का XII)" और ''दंड प्रक्रिया संहिता 1989 (1989 का XXIII) की धारा 480 और 482'', के स्थान पर क्रमश: ''सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), ''भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45)'' और ''दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2)'' की धारा 345 और 346 रखें।

धारा-34. ''जम्मू–कश्मीर साक्ष्य अधिनियम, 1977 (1977 का XII)" के स्थान पर ''भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872'' रखें।

धारा-37. ''जम्मू-कश्मीर सरकारी राजपत्र'' के स्थान पर ''सरकारी राजपत्र'' रखें।

धारा-39. उप-धारा (1) में ''जम्मू-कश्मीर सरकारी राजपत्र'' के स्थान पर ''सरकारी राजपत्र'' रखें।

19. जम्मू-कश्मीर भवन निर्माण कृत्यों पर नियंत्रण

(1988 का XV)

धारा-3. उप-धारा (2) के खंड (ख) में ''म्युनिसिपल एरिया'' के स्थान पर जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम, 1970 के अधीन अधिसूचित किसी भी सामरिक क्षेत्र को छोड़कर नगरपालिका क्षेत्र में'' रखें।

20. जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018

(2019 का II)

धारा-2. खंड (12) के स्थान पर रखें, -

''(12) ''विश्वविद्यालय'' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है, तथा''

धारा-3. धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, -

''3. **विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन.-** (1) सरकार समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट स्थान और तारीख से एक या एक से अधिक विश्विविद्यालयों की स्थापना कर सकती है,

(2) प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति, उप-कुलपति, शासी परिषद, कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और रजिस्ट्रार शामिल होंगे।

(3) प्रत्येक विश्वविद्यालय नाम से एक कॉर्पोरेट निकाय होगा, जिसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और शक्ति के साथ एक सामान्य मुद्रा प्राप्त होगी तथा अधिनियमों के उपबंधों के अधीन जंगम और स्थावद दोनों संपत्ति को प्राप्त करने और रखने और संविदा करने, उक्त नाम से वाद करने और वाद चलाए जाने का अधिकार होगा।

(4) प्रत्येक विश्वविद्यालय विधि और संबद्ध विषयों में शिक्षण और अनुसंधान संबंधी कृत्यों में संलग्न होगा।

(5) विश्विविद्यालय का मुख्यालय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर स्थित होगा और यह ऐसे स्थानों पर परिसर स्थापित कर सकता है, जहां यह उचित समझें"।

21. जम्मू-कश्मीर संपत्ति कर बोर्ड अधिनियम, 2013

(2013 का XI)

धारा-5. उप-धारा (2) में, निम्नलिखित अंत: स्थापित करें –

'परंतु जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 से 34) की धारा 73 के अधीन जारी उद्घोषणा के जारी रहने के दौरान, अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा की जाएगी।"

22. जम्मू-कश्मीर राजस्व उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006

(2006 का XII)

धारा-9. उप-धारा (2) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक का अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"परंतु ऐसी घाटा रकम चिकित्सा महामारी या संबंधित कारणों से उत्पन्न अप्रत्याशित परिस्थतियों के कारण पूर्वोक्त लक्ष्यों से अधिक हो, इसके संबंध में एक विवरण को अगले वार्षिक वित्तीय विवरण या विधान सभा के समक्ष रखे गए संशोधित विवरण में घाटे की राशि पूर्वोक्त लक्ष्यों से अधिक होने के पश्चात शामिल किया जाएगा।"

धारा-11. उप-धारा (3) में, खंड (ख) के पश्चात, निम्नलिखित खंड, अंत:स्थापित करें अर्थात्:-

"(ग) जहां एक चिकित्सा या संबंधित कारणों से उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित परिस्थतियों के कारण सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन दायित्वों को पूरा करने में कोई विचलन किया जाता है, तो इस संबंध में एक विवरण अगले वार्षिक वित्तीय विवरण में या विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत संशोधित विवरण में शामिल किया जाएगा" जिसमें इस बात का स्पष्टीकरण होगा कि -

(i) अधिनियम के अधीन सरकार पर डाली गई बाध्यता को पूरा करने में कोई बाधा है;

(ii) क्या इस तरह का विचलन सारभूत है और वास्तविक या संभावित बजटीय परिणामों से संबंधित है; तथा

(iii) सरकार द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय।"

23. जम्मू-कश्मीर म्युनिसिपल अधिनियम

(2000 का XX)

नई धारा का अंत:स्थापन-

धारा 18 (ख) के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें -

विभाजन की दशा में दल बदलने की निरर्हता का लागू नहीं होना

"18-खख.- (1) नगरपालिका के किसी भी सदस्य को धारा 18क की उप-धारा (1) के अधीन निरहर्क घोषित नहीं किया जाएगा यदि वह या उसकी मूल राजनीतिक पार्टी का कोई सदस्य किसी ऐसे समूह का गठन करते हैं, जो अपने मूल राजनीतिक दल में विभाजन के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया हो और इस तरह के विभाजन के समय से, इस तरह के गुट को धारा 18-क की उप धारा (1) के प्रस्कीम र्थ उस मूल राजनीतिक दल का भाग माना जाएगा जिससे वह बना है, और इस उप धारा के प्रस्कीम र्थ वह मूल राजनैतिक दल माना जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, एक नगर पालिका के सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विभाजन हुआ माना जाएगा यदि और केवल यदि संबंधित राजनीतिक दल के न्यूनतम दो तिहाई सदस्य इस तरह के विभाजन के लिए सहमत हों।"

24. जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम

(2000 का XXI)

नई धारा का अंत:स्थापन.-

धारा 34 (ख) के पश्चात , निम्नलिखित अंत:स्थापित करें :-

विभाजन की दशा में दल बदलने की निरर्हता का लागू नहीं होना

"34-खख.- (1) निगम के एक सदस्य को धारा 34-क की उप-धारा (1) के अधीन अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यदि वह और उसके मूल राजनैतिक दल का कोई सदस्य ऐसे समूह का गठन करता है जो उनकी मूल राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है तथा जो अपने मूल राजनीतिक दल में विभाजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है और इस तरह के विभाजन के समय से, इस तरह के गुट को वह राजनीतिक दल माना जाएगा जिसके लिए वह धारा 34-क की उप-धारा (1) के उद्देश्यों से संबंधित है और वह दल इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए उसका मूल राजनीतिक दल होगा।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, एक निगम के सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विभाजन हुआ माना जाएगा यदि और केवल यदि संबंधित राजनैतिक दल के न्यूनतम दो तिहाई सदस्य इस तरह के विभाजन के लिए सहमत हों।

धारा-36. (i) उप-धारा (1) में, ''अपने पार्षदों में से एक का चुनाव'', के स्थान पर ''एक खुले मतपत्र के माध्यम से उसके पार्षदों में से चुनाव करें रखें; और

(ii) उप-धारा (2) में –

(क) ''चुनाव की तारीख से पांच साल के लिए'' के स्थान पर ''निगम के कार्यकाल के सहविस्तारी होना'' रखें।

(ख) पहले परंतुक के पश्चात निम्नलिखित सम्मिलित करें :-

''परंतु यह और कि महापौर और उप-महापौर का कार्यकाल जो जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन (राज्य विधियों का अनुकूलन) पांचवा आदेश, 2020 के प्रारंभ से पहले चुनाव किया गया है, निगम के कार्यकाल के साथ सहविस्तारी होगा।''

धारा-37. उप-धारा (2) में, ''एक से कम आधे'' के स्थान पर ''तीन-चौथाई से कम नहीं'' रखें; तथा

25. जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती अधिनियम, 2010 (2010 का 16)

धारा-3क. उप-धारा (2) के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित करें :

''(3) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक अधिवासी के पति/पत्नी को उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए एक अधिवासी समझा जाएगा।''

26. स्टाम्प अधिनियम, संवत 1977 (1920 ई.पू.) (संवत 1977 का 40)

नई धारा का अंत:स्थापन – धारा-1 के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित करें -

''1क जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (राज्य विधियों का अनुकूलन) पांचवा आदेश, 2020 के आधार पर अधिनियम में सम्मिलित किए गए उपबंध, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा विहित की जाने वाली तारीख से लागू होंगे।''

धारा-2. (i) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखें :

''(1)'' आबंटन सूची'' का अर्थ है एक सूची जिसमें निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 8 की उप-धारा (2) के अधीन निक्षेपागार को जारीकर्ता द्वारा प्रतिभूतियों के आबंटन का ब्यौरा दिया गया है;

(1क) ''बैंकर'' में एक बैंक और एक बैंकर के रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है;

(ii) उप-धारा (ग) के अंत में खंड (5) में अंत:स्थापित करें :-

"लेकिन इसमें डिबेंचर सम्मिलित नहीं है ?"

(iii) खंड (7) के पश्चात , अंत:स्थापित करें :-

"(7क)" निकासी सूची" से उस समय लागू होने वाले विधि के अनुसार निकासी निगम को सौंपे गए स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए गए कान्ट्रैक्ट्स से संबंधित बिक्री और खरीद के लेन-देन की सूची" अभिप्रेत है;

(iv) खंड (10क) के पश्चात , अंत:स्थापित करें-

"(10ख) "डिबेंचर" में सम्मिलित हैं –

(i) डिबेंचर स्टॉक, बांड या कंपनी का कोई अन्य लिखत जो ऋण के साक्ष्य हैं, चाहे इससे कंपनी की परिसंपत्तियों पर कोई फीस लगा हो या नहीं;

(ii) किसी निगमित कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट द्वारा जारी डिबेंचर के रूप में बांड;

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जा सकने वाले एक वर्ष तक जमा, वाणिज्यिक उपयोग बिल, वाणिज्य पत्र और मूल या प्रारंभिक परिपक्कता के अन्य ऋण साधन

(iv) प्रतिभूति लिखत ऋण; तथा

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य ऋण लिखत ;

(10ग) "निक्षेपागार" में सम्मिलित हैं –

(क) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) में परिभाषित रूप में एक निक्षेपागार, और

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए निक्षेपागार होने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित कोई अन्य इकाई;

(v) खंड (14) के स्थान पर रखें-

(14) "लिखत" में सम्मिलित है-

(क) प्रत्येक दस्तावेज, जिसके द्वारा कोई भी अधिकार या देयता सिद्ध होती है, या बनाई, स्थानांतरित, सीमित, विस्तारित, समाप्त या दर्ज की जाती है;

(ख) इलैक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा अपने स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार में लेनदेन के लिए बनाया गया एक दस्तावेज जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व सिद्ध होता है, या बनाया, स्थानांतरित, सीमित, विस्तारित, समाप्त या दर्ज किया गया है; तथा

(ग) अनुसूची 1 में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज, लेकिन इसमें सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकने वाले ऐसे लिखत सम्मिलित नहीं हैं;

(vi) खंड (15) के पश्चात अंत: स्थापित करें -

"(15क) जारीकर्ता" से किसी भी व्यक्ति जिसे प्रतिभूतियों को जारी करने का अधिकार प्राप्त है, से अभिप्रेत हैं।

(vii) खंड (16-क) के पश्चात , अंत:स्थापित करें -

एक लिखत के संबंध में "प्रदत्त बाजार मूल्य", जिसके माध्यम से –

(क) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी प्रतिभूति का कारोबार किया जाता है, से इसका तात्पर्य है कि जिस कीमत पर इसका कारोबार किया है;

(ख) कोई भी प्रतिभूति जो एक निक्षेपागार के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में जिसका कारोबार नहीं किया जाता है, का अर्थ ऐसे लिखत में उल्लिखित मूल्य या विचार; से है।

(ग) किसी भी प्रतिभूति को स्टॉक एक्सचेंज/निक्षेपागार के सिवाय अन्यथा खरीदा या बेचा जाता है, तो इसका अर्थ ऐसे लिखत में उल्लिलिखत मूल्य या विचार से है;

(viii) खंड (16-ख) के स्थान पर रखें : -

"(16-ख) विपण्य प्रतिभूति" का अर्थ भारत में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में खरीद फरोख्त योग्य प्रतिभूति से है;

(ix) खंड (23क) के पश्चात , अंत:स्थापित करें -

(i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित प्रतिभूतियां;

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45यू के खंड (क) में परिभाषित "डेरिवेटिवस" ।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जा सकने वाले एक वर्ष तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता अवधि के लिए जमा, वाणिज्यिक मियादी बिल, वाणिज्यिक पत्र, कॉर्पोरेट बांडों पर रेपो और इस तरह के अन्य ऋण, तथा लिखत; तथा

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रतिभूतियों के रूप में घोषित कोई अन्य लिखत;

(x) खंड (25) के पश्चात अंत:स्थापित करें -

"(26) स्टॉक एक्सचेंज" में सम्मिलित हैं -

India Code

(i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनिम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (च) में परिभाषित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज; तथा

(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए ग्रेडिंग या रिपोर्टिंग हेतु; विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म,

धारा-4. उप-धारा (2) के पश्चात अंत:स्थापित करें -

"(3) उप-धारा (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होतु हुए भी किसी भी इश्यू, या प्रतिभूतियों की बिक्री या हस्तांतरण के मामले में जिस लिखत पर स्टाम्प-ड्यूटी धारा 9क के अधीन प्रभार्य है, वह इस धारा के प्रयोजन के लिए प्रमुख लिखत होगा और इस तरह के किसी भी लेनदेन से संबंधित किसी अन्य लिखत पर कोई स्टांप-फीस नहीं लगाया जाएगा;

नई धारा का अंत:स्थापन - खंड 6 के पश्चात , अंत:स्थापित करें;

"(6क) निक्षेपागार के रूप में प्रतिभूतियों पर स्टांप ड्यूटी नहीं लगाई जाती – इस अधिनियम या किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी –

(क) एक जारीकर्ता द्वारा एक या अधिक निक्षेपागार को प्रतिभूतियों को जारी करते समय, जारी की गई प्रतिभूतियों की कुल राशि पर फीस प्रभार्य होगा और ऐसी प्रतिभूतियों पर मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) किसी व्यक्ति से निक्षेपागार या निक्षेपागार से किसी लाभकारी मालिक को प्रतिभूतियों के रजिस्ट्रीकृत स्वामित्व के हस्तांतरण पर फीस नहीं लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रस्कीम र्थ, अभिव्यक्ति "लाभकारी स्वामित्व" का वही अर्थ होगा जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (क) में दिया गया है।

नए खंड कक.- का अंत:स्थापन – अध्याय ।। में, "फीस लिखतों की देयता" से संबंधित भाग के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित करें नामत: :

"कक.- स्टॉक एक्सचेंज में लेनदेन के लिखतों तथा निक्षेपागारों द्वारा फीस की देयता।

"9क. स्टॉक एक्सचेंज और निक्षेपागार में लेनदेन के लिए फीस योग्य लिखत, (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद, -

(क) प्रतिभूतियों की बिक्री, चाहे डिलीवरी आधारित हो या अन्यथा, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से की गई हो तो प्रत्येक ऐसी बिक्री पर निकासी सूची में स्टांप फीस संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से स्टॉक एक्सचेंज या इसके द्वारा प्राधिकृत निकासी निगम द्वारा इस तरह की प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर अपने खरीदार से, उसकी प्रतिभूतियों के लेन-देन के निपटान के समय, केंद्रीय सरकार द्वारा विहित , नियमों के अनुसार एकत्र किया जाएगा;

(ख) जब एक निक्षेपागार द्वारा खंड (क) में निर्दिष्ट किसी भी लेनदेन के आधार के अलावा किसी विचार के लिए प्रतिभूतियों का कोई हस्तांतरण, चाहे डिलीवरी आधारित हो या अन्यथा किया जाता है तो, ऐसे हस्तांतरण पर निक्षेपागार द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार स्टांप-फीस एकत्र किया जाएगा।

(ग) प्रतिभूतियों के जारी करने के पश्चात , निक्षेपागार के रिकॉर्ड में यदि कोई भी बदलाव या परिवर्तन किया जाता है तो निक्षेपागार द्वारा जारीकर्ता से ऐसी सूची में सम्मिलित प्रतिभूतियों के कुल बाजार मूल्य पर केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र सरकार की ओर से आवंटन सूची पर स्टांप-ड्यूटी एकत्र की जाएगी।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, उप-धारा (1) में उल्लिखित लिखतों पर अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दर पर फीस प्रभार्य होगा और ऐसे लिखत पर मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं है।

परंतु विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 18 के अधीन स्थापित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित स्टॉक एक्सचेंज और निक्षेपागार में लेनदेन के लिखत के संबंध में फीस प्रभार्य नहीं होगा।

(3) इस खंड के लागू होने की तारीख से उप-धारा (1) में उल्लिखित लेनदेन से संबंधित किसी भी नोट या ज्ञापन या किसी अन्य दस्तावेज, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो या अन्यथा, पर जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा कोई स्टांप-फीस लिया या एकत्र नहीं किया जाएगा।

(4) स्टॉक एक्सचेंज या उसके द्वारा प्राधिकृत निकासी निगम या निक्षेपागार प्रत्येक माह के अंत के तीन सप्ताह के भीतर और केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के परामर्श से इस धारा के अधीन एकत्र स्टांप फीस को जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार को अंतरित करेगी, जहां खरीददार का निवास स्थित है और अगर खरीदार भारत से बाहर रहता है, तो कर्मचारी को जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के पास ऐसे खरीदार के व्यापार सदस्य या दलाल के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का और ऐसे मामले में जहां खरीदार का ऐसा कोई व्यापारिक सदस्य नहीं है, तो ऐसे में संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर की सरकार के पास प्रतिभागियों के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को अंतरित करेगी।

परंतु इस तरह के हस्तांतरण से पहले स्टॉक एक्सचेंज या उसके द्वारा प्राधिकृत निकासी निगम या निक्षेपागार इस तरह के नियमों में विनिर्दिष्ट ढंग से सुविधा फीस के रूप में स्टांप-ड्यूटी की कुछ प्रतिशत राशि में कटौती करने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण - "प्रतिभागी" शब्द का वही अर्थ होगा जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 (1996 का 22) के खंड (छ) में दिया गया है।

(5) इसके द्वारा प्राधिकृत निकासी निगम का प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज, सरकार को उप-धारा (1) में उल्लिखित लेन-देन का ब्यौरा केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा विहित ढंग से प्रस्तुत करेगा,

9ख. स्टॉक एक्सचेंज और निक्षेपागार के माध्यम से किए लेन-देन के अलावा अन्य लेन देनों के लिए फीस प्रभार्य लिखत, - इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी -

(क) जब प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार के अलावा किसी अन्य माध्यम से जारी किया जाता है, तो ऐसी प्रत्येक प्रतिभूति पर जारी की गई कुल प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य की दर से अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट दर पर जारीकर्ता द्वारा, जिस स्थान पर उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, वहां स्टाम्प फीस देय होगा।

(ख) जब स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार के माध्यम के अलावा विचार के लिए प्रतिभूतियों की बिक्री या हस्तांतरण या उन्हें पुन:जारी किया जाता है, तो इस तरह की प्रत्येक बिक्री या

हस्तांतरण या पुन: जारी करने पर विक्रेता या हस्तांतरणकर्ता या जारीकर्ता, द्वारा अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दर पर इस तरह के लिखत में विनिर्दिष्ट कंसीडरेशन राशि पर स्टांप फीस देय होगा।

धारा-21. (i) ''लिखत की तारीख के दिन औसत या लागत के अनुसार ऐसे स्टॉक या प्रतिभूति का मूल्य'' के स्थान पर ''ऐसे स्टॉक या प्रतिभूति का बाजार मूल्य'' शब्द रखें;

(ii) निम्नलिखित परंतुक का अंत:स्थापन करें -

'परंतु निम्नलिखित के मामले में स्टैंप-ड्यूटी की गणना के लिए बाजर मूल्य होगा -

(i) किसी भी प्रतिभूतियों विकल्प, खरीददार द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम।

(ii) कॉरपोरेट बॉन्ड पर रेपो, उधारकर्ता द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, और

(iii) स्वैप, केवल नकदी प्रवाह का पहला चरण।''

धारा 29. - (i) खंड (क) में, -

(क) ''नंबर 22 (डिबेंचर)'' का लोप करें;''

(ख) ''नंबर 54 (क) (एक निगमित कंपनी या अन्य निकाय कॉर्पोरेट में शेयरों का हस्तांतरण; का लोप करें।

(ग) ''नंबर 54 (ख) (विपणन योग्य प्रतिभूतियां होने के नाते, डिबेंचर का हस्तांतरण, डिबेंचर फीस योग्य है या नहीं'') का लोप करें।

(ii) खंड (छ) में, ''विनिमय'' के पश्चात , ''स्वैप सहित'' का अंत:स्थापन करें;

(iii) खंड (i) में, ''और'' का लोप करें तथा;

(iv) खंड (ञ) के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित करें -

(ट) ऐसी प्रतिभूति खरीदार द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिभूति की बिक्री के मामले में।

(ठ) ऐसी प्रतिभूति के विक्रेता द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्रतिभूति की बिक्री के मामले में।

(ड) इस तरह की प्रतिभूति के हस्तांतरणकर्ता द्वारा एक निक्षेपागार के माध्यम से प्रतिभूति के हस्तांतरण के मामले में।

(ढ) प्रतिभूति के हस्तांतरणकर्ता द्वारा स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार के माध्यम के अलावा प्रतिभूति के हस्तांतरण के मामले में;

(ण) ऐसी प्रतिभूति जारीकर्ता द्वारा स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार या अन्यथा, के माध्यम से प्रतिभूति जारी करने के मामले में,

(त) इस तरह के किसी ऐसे लिखत, जो यहां विनिर्दिष्ट नहीं हैं, के मामले में, ऐसे लिखत को बनाने, आहरित या निष्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा,

IndiaCode

नई धारा 62क.- का अंत:स्थापन – निम्नलिखित अंत:स्थापित करें -

"62क. धारा 9क के उपबंधों का अनुपालन करने में विफलता के लिए जुर्माना- कोई भी व्यक्ति जो, -

(क) धारा 9क की उप-धारा (1) के अधीन ड्यूटी जमा करने के लिए उत्तरदायी होने के नाते, इसे इकट्ठा करने में विफल रहता है, या

(ख) धारा 9क की उप-धारा (4) के अधीन जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार को फीस हस्तांतरित करने के लिए उत्तरदायी होने के नाते उसमें निर्दिष्ट समय की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, फीस हस्तांतरित करने में विफल रहता है।

उसे न्यूनतम एक लाख रूपये के जुर्माने की सजा दी जाएगी, लेकिन यह जुर्माना, संग्रह राशि या इस प्रकार गलत ढंग से किए गए अंतरण की राशि के एक प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है;

(2) कोई भी व्यक्ति, जो, -

(क) सरकार को लेनदेन का विवरण प्रस्तुत करने के लिए धारा 9क की उपधारा (5) के अधीन उत्तरदायी होने के नाते उसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ख) एक दस्तावेज को प्रस्तुत करता है या एक ऐसी घोषणा करता है जो गलत है या जिसे ऐसा व्यक्ति जानता है या वह उसे गलत मानता है, को

प्रत्येक ऐसे दिन, जिसके दौरान ऐसी विफलता हुई, के लिए एक लाख रुपये या एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

अनुसूची 1 में संशोधन. – अनुसूची 1 में –

(i) अनुच्छेद 16 के, कॉलम (1) में, -

(क) **"प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज"** के पश्चात "प्रमाण पत्र 22 या 48क के अधीन आच्छादित किए गए प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज को छोडकर); अंत:स्थापित करें;

(ii) अनुच्छेद 23 के, स्तंभ (1) में प्रविष्टि के लिए, **"वस्तुओं के वितरण आदेश"** के पश्चात , "स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के लेनदेन के निपटान के संबंध में वितरण आदेश को छोडकर" शब्द अंत:स्थापित करें;

(iii) अनुच्छेद 48 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात , निम्नलिखित अनुच्छेद और प्रविष्टियां अंत:स्थापित करें;

(1)	(2)
"48क. डिबेंचर के अलावा अन्य प्रतिभूतियां (धारा 9क और 9ख देखें।	
(क) डिबेंचर के अलावा प्रतिभूति जारी करना	.005%
(ख) वितरण के आधार पर डिबेंचर के अलावा प्रतिभूति का हस्तांतरण	.015%

(ग) गैर-वितरण आधार पर डिबेंचर के अलावा प्रतिभूति का हस्तांतरण;	.003%
(घ) डेरिवेटिवस	
(i) फयूचर्स (इक्विटी और कमोडिटी)	.002%
(ii) विकल्प (इक्विटी और कमोडिटी)	.003%
(iii) मुद्रा और ब्याज दर	.001%
डेरिवेटिव	
(iv) अन्य डेरिवेटिव	.002%
(ड.) सरकारी प्रतिभूतियां	0%
(च) कॉर्पोरेट बॉन्ड पर रेपो	.00001%

"

(iv) अनुच्छेद 54 में, मद सं (क) और (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप करें।

[फा.सं. 11012/21/2020-एसआरए]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

IndiaCode

ORDER

New Delhi, the 26th October, 2020

S.O. 3808 (E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Jammu and Kashmir, namely: –

1. (1) This Order may be called the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) Fifth Order, 2020.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of laws in force in the territory of India.

3. With immediate effect, the Acts mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the said Schedule, or if it is so directed, shall stand repealed.

4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of an Act, certain words shall be substituted for certain other words, or certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.

5. The provisions of this Order which adapt or modify or repeal any law so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 31st October, 2019; and any such notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance with the provisions then applicable to such case.

6. The repeal or amendment of any law specified in the Schedule to this Order shall not affect—

(e) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder;

(f) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed;

(g) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or

(h) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) or this Order had not been passed or issued.

THE SCHEDULE
(See Paragraph 3)

STATE LAWS

IndiaCode

1. THE JAMMU AND KASHMIR AERIAL ROPEWAYS ACT
(XII of 2002)

Throughout the Act for "State Ranbir Panel Code, Svt. 1989 ", substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 1.– In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2.—

(i) after clause (c), -
"(cc) "Collector" means Collector as defined under the Land Revenue Act, Svt. 1996".

(ii) in clause (d), for "Government of Jammu and Kashmir", substitute "Government of Union territory of Jammu and Kashmir".

(iii) for clause (f), -
"(f) "Inspector" means an Officer, a Committee or an Agency so appointed by the Government under this Act."

(iv) in clause (k), for "Companies Act, 1956" substitute "Companies Act, 2013".

For sections 3 and 4 substitute –

Declaration for concessions.

"**3.** Every declaration by an intending promoter other than the Government in regard to a proposed aerial ropeway for undertaking the necessary preliminary investigations shall be submitted on an application to the Divisional Commissioner concerned.

Contents of Declaration.

4. Every such application shall be supported by a duly sworn affidavit and shall include—

(a) a description of the undertaking and of the route to be followed by the proposed aerial ropeway;

(b) a description of the system of construction and management and the advantages to the community to be expected from the aerial ropeway;

(c) an approximate estimate of the cost of construction thereof; and

(d) such maps, plans, sections, diagrams and other information as the Government may require in order to form an idea of the proposal."

For section 18 substitute –

Promoter may fix rates. "**18.** The promoter shall, for the purposes of working an aerial ropeway, have powers to fix the rates for the carriage of passengers, animals or goods on the aerial ropeway:

Provided that such rates shall be subject to such maximum and minimum rates as may be prescribed or ordered in case where concession, guarantee, or financial assistance have been granted by the Government or any local authority."

Section 30.– For "Part VII of the State Land Acquisition Act, Samvat 1990", substitute "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013(30 of 2013)".

Section 32.– In sub-section (4), for "each House of the State Legislature" and "both Houses" substitute "Legislature of Union territory of Jammu and Kashmir" and "Legislative Assembly of Union territory of Jammu and Kashmir" respectively.

Section 34.— For "one thousand rupees", substitute "five thousand rupees".

2. THE JAMMU AND KASHMIR AGRARIAN REFORMS ACT

(XVII of 1976)

IndiaCode

Throughout the Act for "State", substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1.– In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2.– (i) Number existing clause (1) as (1a) and before the so numbered clause (1a), insert -

"(1) "Board" means the Board of Revenue constituted under the Land Revenue Act, Samvat 1996.";

(ii) in clause (4), for "The Jammu and Kashmir Forest Act, Samvat 1987" substitute "the Indian Forest Act, 1927(16 of 1927)";

(iii) in clause (18)-

(a) for "Jammu and Kashmir Majority Act, Samvat 1977" substitute "The Majority Act, 1875(9 of 1875)".

(b) omit "and the Jammu and Kashmir Displaced Persons (Permanent Settlement) Act, 1971";

Section 3.– (i) In clause (f), omit "outside the District of Ladakh";

(ii) omit clause (g).

(iii) in clause (n), for "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir";

Section 4.– (i) for "State" wherever occurring, substitute "Union territory of Jammu and Kashmir";

(ii) in sub-section (2), omit clause (a).

Section 5.– For "State" wherever occurring, substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 6.– For "State" wherever occurring, substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 7.— After sub-section (7), insert-

"(8) On and from such date as may be notified by the Government, no application for resumption of land shall be entertained under this section."

Section 13.- Omit sub-section (1), and sub-section (3).

Section 19.- Omit sub-section (3).

Section 21.– Omit sub-section (2)

Section 22.– *In sub-section (2),-*

(a) for "Jammu and Kashmir Limitation Act, Samvat 1995" substitute "the Limitation Act, 1963(36 of 1963)"; and

(b) omit the proviso.

Section 23.– For "sections 193, 219 and 228 of the Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code" substitute sections 193, 219 and 228 of "Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860)."

Section 26.– Omit.

For section 28-A, substitute-

Prohibition on transfer of certain lands

"28-A.— (1) Save as otherwise provided in this section, no person who is vested with ownership rights in land under this Act shall transfer such land or rights therein in any manner whatsoever to any person other than Government or its agencies and instrumentalities;

Provided that nothing in this sub-section shall prohibit:

(a) transfer of such land ownership whereof has been vested in a prospective owner under section 8 after the expiry of fifteen years from the date such land has been vested in the State under section 4 of the Act subject to the provisions of sections 133-H, 133-I, 133-J, 133-K and 133-L of the Jammu and Kashmir Land Revenue Act, Samvat, 1996 (Act No. XII of Samvat 1996;

(b) grant of lease of land under the provisions of the Jammu and Kashmir Land Revenue Act, Samvat, 1996 (Act No. XII of Samvat 1996);

(c) entering into Contract Farming under the provisions of Land Revenue Act, Samvat, 1996 (Act No. XII of Samvat 1996);

(d) transfer of land in the form of simple mortgage for securing loan for purposes of improvement of the land.

(2) Any transfer of land or rights therein made in contravention of sub-section (1) shall be null and void. The person who has contravened the provisions of sub-section (1) shall after being given an opportunity of being heard, be dispossessed of such land by a Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and the land shall vest in the State and shall be disposed of in the manner as may be prescribed."

3. THE JAMMU AND KASHMIR ALIENATION OF LAND ACT
(V of Samvat 1995)

Repeal as a whole.

4. THE JAMMU AND KASHMIR BIG LANDED ESTATES ABOLITION ACT
(XVII Samvat 2007)

Repeal as a whole.

5. THE JAMMU AND KASHMIR COMMON LANDS (REGULATION) ACT, 1956
(XXIV of 1956)

Repeal as a whole.

6. THE JAMMU AND KASHMIR CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT, 1962
(V of 1962)

Repeal as a whole.

7. THE JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT ACT
(XIX of 1970)

Throughout the Act, for "State" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 1 .— In sub section (2), for "whole of the State", substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. –

(i) in clause (da);-
(a) omit "being permanent resident of the State"; and
(b) for "4 meter x 7.5 meter and carpet area within the range of 25 square meter to 30 square meter", substitute "as may be prescribed";

(ii) in clause (ea);-
(a) omit "being permanent resident of the State"; and
(b) for "4.5 meter x 10 square meter of floor area of about 50 square meter in case of flatted accommodation", substitute "as may be prescribed";

(iii) in clause (l), for "section 3 of the Land Acquisition Act, 1990" substitute "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)"; and

(iv) after clause (l), add:-
"(m) "Strategic Areas" means an area notified as Strategic Area under sub-section (3) of section 3 of this Act."

Section 3.— After sub-section (2), insert-

"(3) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may on the written request of an Army officer not below the rank of Corp Commander, declare an area as Strategic Area within a local area, only for direct operational and training requirements of armed forces, which may be excluded from the operation of this Act and rules/regulations made there under in the manner and to the extent

specified in the declaration and the Government may satisfy itself about the reasons cited for declaring the area as strategic area and will have such area notified accordingly with such conditions as may be required."

Section 5.-- Substitute "The Authority" with "Subject to any rule, regulation, order or instruction issued in this behalf by the Government, the Authority".

Section 8.— In sub-section (1), for "for each of the zones into which the local area may be divided" substitute "for such zones which are declared as development areas under section 13" and for "each zone", substitute "each such zone".

Section 11.— For "master and a zonal plan", substitute "master or a zonal plan"

Insertion of new Section 11 A .

After section 11, insert-

Permitted land use and levy of land use charges

"**11A**(1) Upon coming into operation of the master plan or a zonal plan, the land use permitted in the area covered thereunder shall only be as provided in terms of such master or zonal plan. The provisions of the Jammu and Kashmir Agrarian Reforms Act, 1976, Jammu and Kashmir Land Revenue Act, Samvat 1996 or any other law for the time being in force requiring any permission to change the usage of any land, shall not be applicable to any land so covered.

(2) The Government may, by notification in the Official Gazette, notify a scheme for levy of charges for use of land as permitted in the master plan or the zonal plan, the proceeds whereof shall form part of the fund of the Authority and may be used to defray the expenses incurred on acquisition of land that may be required to be acquired in terms of section 50."

For section 13, substitute-

Declaration of development area and permission for development etc.

"**13.** (1) After a notice approving the date of operation of plan is published under section 11, the Authority may, with prior permission of the Government and by notification in the Official Gazette, declare any zone or part thereof as development area for the purposes of this Act.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force, consequent upon such notification, no person including a Department of the Government shall undertake or carry out development of any land or building in the zone unless permission for such development has been obtained in writing from the Authority in accordance with the provisions of this Act:

Provided that the development of any land undertaken by a Department of the Government or any local authority before the 31st day of October, 2019 may be completed by that Department or local authority.

(3) No person or entity, whether private or public, including a Department of the Government or any authority, shall undertake the implementation of any street or layout plan, in any form whatsoever, in the local area outside the limits of a Municipal Corporation established under the provisions of the Jammu and Kashmir Municipal Corporation Act, 2000,without the prior written permission of the Authority:

Provided that for the purposes of such permission, the Authority shall follow the procedure laid down in Chapter XIII of the Jammu and Kashmir Municipal Corporation Act, 2000, and any reference therein to the Corporation or the Commissioner shall be construed as reference to the Authority or the Vice-Chairman of the Authority, respectively:

Provided further that the restriction under this sub-section shall not apply to the development undertaken by or on behalf of the Metropolitan Region Development Authority established under the Jammu and Kashmir Metropolitan Region Development Authorities Act, 2018, or to a town planning scheme implemented under the provisions of the Jammu and Kashmir Town Planning Act, 1963."

Section 15.— For "a plan in a zone", substitute "a master or zonal plan in a zone".

Section 16. – For "Land Acquisition Act, 1990", substitute "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)".

Section 17. – In sub-section (1), omit "permanent resident of the State".

Section 21. – In sub-section (4), for "both Houses of the Legislature", substitute "the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 22. - In sub-section (2), for "Provident Funds Act, Svt. 1998", substitute "The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952).".

Insertion of new Chapter-

Chapter VII-A. – After section 22, insert the following new Chapter:-

IndiaCode

"CHAPTER VII-A

JAMMU AND KASHMIR INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION.

Definitions **22-A.** In this Chapter, unless the context otherwise requires,—

(a) "amenity" includes road, supply of water or electricity, street lighting, drainage, sewerage, conservancy and such other convenience as the Government may, by notification in the Government Gazette, specify to be an amenity for the purposes of this Chapter;

(b) "building" means any structure or erection, or part of a structure or erection, which is intended to be used for residential, industrial, commercial or other purposes, whether in actual use or not;

(c) "Collector" means the Collector of a district, and includes any officer specially appointed by the Government to perform the functions of a Collector under this Chapter;

(d) "commercial centre" in relation to any industrial area or industrial estate means any site selected by the Government where the Corporation builds shops and other buildings and makes them available for any commercial activity;]

(e) "Corporation" means the Jammu and Kashmir Industrial Development Corporation or any other corporation(s) as notified by Government established under section 22-B;

(f) "Development" with its grammatical variations, means the carrying out of building, engineering, quarrying or other operations in, on, over or under land, or the making of any material change in any building or land, and includes re-development, but does not include mining operations; and "to develop" shall be construed accordingly:

(g) "engineering operations" include the formation of laying out of means of access to a road or the laying out of means of water supply;

(h) "Industrial area" means any area declared to be an industrial area by the Government by notification in the Government Gazette, which is to be developed and where industries are to be accommodated;

(i) "Industrial estate" means any site selected by the Government, where the Corporation builds factories and other buildings and makes them available for any industries or class of industries;

(j) "means of access" includes a road for any means of access, whether private or public, for vehicles or for pedestrians;

(k) "premises" means any land of building or part of a building and includes—

(i) the garden, grounds and out-houses, if any, appertaining to such building or part of a building ;and

(ii) any fittings affixed to such building or part of a building for the more beneficial enjoyment thereof;

(l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Chapter;

(m) the expression "land" and the expression "person interested" shall have the meanings respectively assigned to them in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

IndiaCode

Establishment and Constitution of the Corporation

22-B (1) For the purposes of securing and assisting in the rapid and orderly establishment, and organization of industries in industrial areas and industrial estates in the Union Territory of Jammu and Kashmir and for the purpose of establishing commercial centers in connection with the establishment and organization of such industries, there shall be established by the Government by notification in the Government Gazette, a Corporation by the name of the Jammu and Kashmir Industrial Development Corporation or any other corporation(s) as notified by Jammu and Kashmir Government .

(2) The Corporation shall be a body corporate with perpetual succession and a common seal, and may sue and be sued in its corporate name, and shall be competent to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and do all things necessary, for the purposes of this Chapter.

Composition of the Corporation

22-C (1) The Corporation shall consist of the following twelve Directors, namely:-

(a) five official Directors nominated by the Jammu and Kashmir Government, of whom one shall be the Financial Adviser to the Corporation;

(b) one Director nominated by the Jammu and Kashmir State Power Development Department;

(c) one Director nominated by the Jammu and Kashmir Public Health engineering Department;

(d) four Directors nominated by the by Jammu and Kashmir Government, from amongst persons appearing to it either to be qualified by reason of experience of, and capability in, industry or trade or finance or to be suitable to represent the interest of persons engaged or employed therein; and

(e) the Managing Director of the Corporation, ex-officio, who shall also be the Secretary of the Corporation.

(2) The Governments shall appoint one of the Directors of the Corporation to be Chairman of the Corporation and may appoint one of the other Directors as Vice-Chairman.

Disqualifications

22-D A person shall be disqualified for being nominated as a Director of the Corporation, if he—

(a) is an employee of the Corporation, not being the Managing Director thereof, or

(b) is of unsound mind and stands so declared, by a competent court, or

(c) is an un discharged insolvent.

Term

22-E (1) (a) The Chairman, Vice- Chairman and Directors of the Corporation nominated by the Government shall hold office during the pleasure of the Government;

(b) The director nominated under clauses (b) and (c) of sub-section(1) of section 22-C shall hold office during the pleasure of respective Board.

(2) The Directors of the Corporation nominated under clause (a) or (e) of sub-section (1) of section 22-C shall be entitled to draw such salary and allowances as may be prescribed. Such reasonable additional remuneration, as may be fixed by the Government, may be paid to any Director for extra or special services required to be rendered by him.

(3) The Directors of the Corporation nominated under clause (b), (c) or (d) of sub-section (1) of section 22-C shall be entitled to draw such honorarium of compensatory allowance for the purpose of meeting the personal expenditure in attending the meetings of the Corporation or of any Committee thereof or in doing or for performing any work connected with the functions of the Corporation which may be specially entrusted to them by the Corporation or by any Committee thereof as may be prescribed.

(4) Any person nominated as a Director shall, unless disqualified, be eligible for re nomination.

IndiaCode

Meetings

22-F (1) The Corporation shall meet at such times and places, and shall subject to the provisions of sub-section (2) observe such rules of procedure in regard to the transactions of its business as may be provided by regulations.

(2) A Director, who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into, by or on behalf of the Corporation, shall at the earliest possible opportunity disclose the nature of his interest to the Corporation, and shall not be present at any meeting of the Corporation when the contract, loan, arrangement or proposal is discussed, unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information, and shall not vote thereon :

Provided that, a Director shall not be deemed to be concerned or interested as aforesaid by reason only of his being a share-holder of a company concerned in any such contract, loan, arrangement or proposal.

Removal of Director

22-G (1) If a Director

(a) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in section 22-D,or

(b) tenders his resignation in writing to, and such resignation is accepted by, the Government, or

(c) is absent without the Corporation's permission from three consecutive meetings of the Corporation, or from all meetings of the Corporation for three consecutive months, or

(d) is convicted of an offence involving moral turpitude,

he shall cease to be a Director of the Corporation.

(2) The Government may by order suspend from office for such period as it thinks fit, or remove from office any Director of the Corporation, who in its opinion-

(a) has refused to act, or

(b) has become incapable of acting, or

(c) has so abused his position as Director as to render his continuance on the Corporation detrimental to the interest thereof or of the general public, or

(d) is otherwise unfit to continue as a Director.

Filling of Vacancy

22-H Any vacancy of a Director of the Corporation shall be filled as early as practicable, and in like manner as if the nomination were being made initially:

Provided that, during any such vacancy the continuing Directors may act as if no vacancy had occurred.

Government to appoint person to act as director in certain cases

22-I (1) If the Chairman or any other Director of the Corporation is by reason of illness or otherwise rendered temporarily incapable of carrying out his duties, or is granted leave of absence by the Government, or is otherwise unable to attend to his duties in circumstances not involving the cessation of his directorship under section 22-G , the Government may appoint another person to act in his place and carry out duties and functions entrusted to him by or under this Chapter until such Chairman or Director, as the case may be, resumes his duties.

(2) If a Vice-Chairman has been appointed in the absence of the Chairman, the Vice-Chairman shall be competent to carry out the duties and functions of the Chairman.

IndiaCode

Defect not to invalidate proceedings

22-J No disqualification of, or defect in the appointment of any person acting as the Chairman or Vice-Chairman or a Director of the Corporation, shall vitiate any act or proceeding of the Corporation, if such act or proceeding is otherwise in accordance with the provisions of this Chapter.

Managing Director and Chief Accounts Officer

22-K (1) The Government shall appoint a Managing Director, and a Chief Accounts Officer of the Corporation

(2) The Corporation may appoint such other officers and servants, subordinate to the officers mentioned in sub-section (1), as it considers necessary for the efficient performance of its duties and functions.

(3) The conditions of appointment and service of the officers and servants and their scales of pay shall—

(a) as regard the Managing Director and the Chief Accounts Officer be such as may be prescribed, and

(b) as regards the other officers, and servants, be such as may be determined by regulations

Functions of Corporation

22-L The functions of the Corporation shall be—

(i) generally to promote and assist in the rapid and orderly establishment, growth and development of Industries in the Union Territory of Jammu & Kashmir, and

(ii) in particular and without prejudice to the generality of clause (i) to—

(a) establish and manage industrial estates at place selected by the Government;

(b) develop industrial area selected by the Government for the purpose and make them available for undertakings to establish themselves;

(c) develop land on its own account of for the Government for the purpose of facilitating the location of industries and commercial centers thereon;

(d) assist financially by loans industries to move their factories into such estates or areas;

(e) undertake schemes for providing industrial units and commercial establishments with such structures and facilities as may be necessary for their orderly establishment, growth and development;

(f) promote, organize, sponsor or undertake schemes or works, either jointly with other corporate bodies or institutions, or with Government or local authorities, or on an agency basis, in furtherance of the purposes for which the Corporation is established and all matters connected there with.

Powers of Corporation

22-M Subject to the provisions of this Chapter, the Corporation shall have power—

(a) to acquire and hold such property, both movable and immovable as the Corporation may deem necessary for the performance of any of its activities, and to lease, sell, exchange or otherwise transfer any property held by it on such conditions as may be deemed proper by the Corporation;

IndiaCode

(b) to purchase by agreement or to take on lease or under any form of tenancy any land, to erect such buildings and to execute such other works as may be necessary for the purpose of carrying out its duties and functions;

(c) to provide or cause to be provided amenities and common facilities in industrial estates, commercial centers and industrial areas and construct and maintain or cause to be maintained works, buildings, amenities and common facilities thereof;

(d) to make available buildings on hire or sale to industrialists or persons intending to start industrial undertakings or commercial establishments or both the industrial undertakings and commercial establishments;

(e) to construct buildings for the housing of the employees of such industries or commercial establishments.;

(f) (i) to allot factory sheds or such buildings or parts of buildings, including residential tenements to suitable persons in the industrial estates established or the industrial areas developed by the Corporation;

(ii) to allot shops and other buildings to suitable persons in commercial centers established by the Corporation ;

(iii) to modify or rescind such allotments, including the right and power to evict the allottees concerned on breach of any of the terms or conditions of their allotment;

(g) to constitute committees from amongst its Directors to perform any of its functions;

(h) to constitute advisory committees to advise the Corporation;

(i) to engage suitable consultants or persons having special knowledge or skill to assist the Corporation in the performance of its functions;

(j) to delegate any of its powers generally or specially to any of its committees or officers and to permit them to re-delegate specific powers to their subordinates;

(k) to enter into and perform all such contracts as it may consider necessary or expedient for carrying out any of its functions; and

(l) to do such other things and perform such acts as it may think necessary or expedient for the proper conduct of its business and the carrying into effect the purposes of this Chapter.

(m) Notwithstanding anything contained in any other law in force, the powers under Jammu and Kashmir Town Planning Act, 1963, Jammu and Kashmir Municipal Act, 2000 and Jammu and Kashmir Municipal Corporation Act, 2000 shall be exercised by the Corporation wherever necessary.

Authentication of Documents etc.

22-N All permissions, orders, decisions, notices and other documents of the Corporation shall be authenticated by the signature of the Managing Director of the Corporation or any other Officer authorized by the Corporation in this behalf.

Power of Government to Issue Directions

22-O The Government may from time to time issue to the Corporation such general or special directions of policy as it thinks necessary or expedient for the purposes of carrying out the purpose of this Chapter and the Corporation shall be bound to follow and act upon such directions.

Finance, accounts and audit.

22-P All property funds and other assets vesting in the Corporation shall be held and applied by it, subject to the provisions of and for the purposes of this Chapter.

Funds

22-Q (1) The Corporation shall have and maintain its own funds, to which shall be credited-

(a) all moneys received by the Corporation from the Government by way of grants, subventions, loans, advances or otherwise;

(b) all fees, costs and charges received by the Corporation under this Chapter;

(c) all moneys received by the Corporation from the disposal of lands, buildings and other properties, movable and immovable and other transactions;

(d) all moneys received by the Corporation by way of rents and profits or in any other manner or from any other source.

(2) The Corporation may keep in current or deposit account with the State Bank of India or any other Bank approved by the Government in this behalf such sum of money out of its fund as may be prescribed and any money in excess of the said sum shall be invested in such manner as may be approved by the Government.

(3) Such account shall be operated upon by such officers of the Corporation as may be authorized by regulations.

Grants, Loans and Advances to the Corporation

22-R The Government may make such grants, subventions, loans and advances to the Corporation as it may deem necessary for the performance of the functions of the Corporation under this Chapter and all grants, subventions, loans and advances made shall be on such terms and conditional as the Government may after consulting the Corporation determine.

Power to Borrow Money

22-S (1) The Corporation may, subject to such conditions as may be prescribed in this behalf, borrow money in the open market or otherwise with a view to providing itself with adequate resources.

(2) All moneys borrowed under sub-section (1) may be guaranteed by the Government as to the repayment of principal and the payment of interest at such rates and such conditions as the Government may determine at the time the moneys are borrowed,

Explanation.—The expression "to borrow money" with all its grammatical variations and cognate expressions includes, acceptance of deposits (not being deposits accepted under section 22-T) from the public for a specified period and on payment of interest thereon to the depositors at specified rates.

Accepting of Deposits

22-T The Corporation may accept deposits on such conditions as it deems fit from persons, authorities or institutions to which allotment or sale of land, buildings or sheds is made or is likely to be made in furtherance of the objects of this Act.

Reserve and Other Specially Denominated Funds

22-U (1) The Corporation shall make provision for such reserve and other specially denominated funds and in such manner and to such extent as the Government may, from time to time, direct.

(2) The management of the funds referred to in-sub-section (1), the sums to be transferred from time to time to the credit thereof and the application of money comprised therein, shall be determined by the Corporation.

(3) None of the funds referred to in sub-section (1) shall be utilized for any purpose other than that for which it was constituted, without the previous approval of the Government.

Authority to spend Sums

22-V (1) The Corporation shall have the authority to spend such sums as it thinks fit for the purposes authorized under this Chapter from out of the general fund of the Corporation referred to in section 22-R or from the reserve and other funds referred to in section 22-V, as the case maybe.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), the Corporation may contribute such sums as it thinks fit towards expenditure incurred or to be incurred by any local authority or statutory public undertaking in the performance, in relation to any of its industrial estates or industrial areas, of any of the statutory functions of such authority or undertaking, including expenditure incurred in the acquisition of land.

(3) No expenditure other than capital expenditure shall be incurred by the Corporation out of moneys borrowed or received by way of deposits.

Annual Financial Statements

22-W (1) The Corporation shall, by such date in each year as may be prescribed, prepare and submit to the Government for approval an annual financial statement and the programme of work for the succeeding financial year.

(2) The annual financial statement shall show the estimated receipts and expenditure during the succeeding financial year in such form and detail as may be prescribed.

(3) With the approval of the Government the Corporation shall be competent to make variations in the programme of work in the course of the year :

Provided that all such variations and reappropriations out of the sanctioned budget are brought to the notice of the Government by a supplementary financial statement.

(4) A copy each of the annual financial statement and the programme of work and the supplementary financial statement, if any, on submission to the Government as soon as may be, shall be placed before the Legislature.

Books of Account

22-X (1) The Corporation shall maintain books of account and other books in relation to its business and transactions in such form and in such manner, as may be prescribed.

(2) The accounts of the Corporation shall be audited by an auditor appointed by the Government, in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(3) As soon as the accounts of the Corporation are audited, the Corporation shall send a copy thereof together with the copy of the report of the auditor thereon to the Government.

(4) The Government shall cause the accounts of the Corporation together with the audit report thereon forwarded to it under sub-section (3) to be laid annually before the Legislature.

Audit of Accounts

22-Y (1) Notwithstanding anything contained in section 22-X, the Government may order that there shall be concurrent audit of the accounts of the Corporation by such person as it thinks fit. The Government may also direct a special audit to be made by such person as it thinks fit of the accounts of the Corporation relating to any particular transaction or class or series of transactions or to a particular period.

(2) The Government may pass such orders on the report of the special audit and the Corporation shall be bound to comply with such order.

(3) The report on the special audit shall be laid before the Legislature of the Union Territory of Jammu & Kashmir.

(4) When an order is made under sub-section (1), the Corporation shall present or cause to be presented for audit such accounts and shall furnish to the person appointed under sub-section (1) such information as the said person may require for the purpose of audit.

Acquisition and Disposal of Land.

22-Z (1) Whenever any land is required by the Corporation for any purpose in furtherance of the objects of this Act, but the Corporation is unable to acquire it by agreement, the Government may, upon an application of the Corporation in that behalf, order proceedings to be taken under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 for acquiring the same on behalf of the Corporation as if such lands were needed for a public Purpose within the meaning of the said Act.

(2) The amount of compensation awarded and all other charges incurred in the acquisition of any such land shall be forthwith paid by the Corporation and thereupon the land shall vest in the Corporation.

Land to be Placed at the Disposal of the Corporation

22-AA (1) For the furtherance of the objects of this Act, the Government may, upon such conditions as may be agreed upon between it and the Corporation, place at the disposal of the Corporation any lands vested in the Government.

(2) After any such land has been developed by, or under the control and supervision of the Corporation, it shall be dealt with by the Corporation in accordance, with the regulations made, and directions given by the Government in this behalf.

(3) If any land placed at the disposal of the Corporation under sub-section (1) is required at any time thereafter by the Government, the Corporation shall replace it at the disposal of the Government upon such terms and conditions as the Government may after consultation with the Corporation determine.

Supplementary and miscellaneous provisions under this Chapter.

22-AB (1) If the Corporation after holding a local inquiry, or upon a report from any of its officers or other information in its possession, is satisfied that the owner /allottee/lessee of any land in an industrial area has failed to provide any amenity in relation to the land which in the opinion of the Corporation ought to be provided or to carry out any development of the land for which permission has been obtained under this Chapter the Corporation may, after giving the owner or allotee or lessee a reasonable opportunity of being heard, serve upon such owner or allottee or lessee a notice requiring him to provide the amenity or carry out the development within such time as may be specified in the notice.

(2) If any such amenity is not provided or any such development is not carried out within the time specified in the notice the Corporation or may itself provide the amenity or carry out the development or have it provided or carried out through such agency as it deems fit:

Provided that, before taking action under this sub-section, the Corporation shall afford reasonable opportunity to the owner/allotee/lessee of the land to show cause why such action should not be taken.

(3) All expenses incurred by the Corporation or the agency employed by it in providing the amenity or carrying out the development together with interest, at such rate as the Government may by order fix, from the date when a demand for the expenses is made from the owner or allottee or lessee until payment, shall be recoverable by the Corporation from the owner or allottee or lessee.

(4) An owner or allottee or lessee aggrieved by a notice issued to him under sub-section (1) may within a period of sixty days from the date on which the notice is served on him file an appeal to the Administrative secretary of Industry and commerce.

(5) In deciding an appeal under sub-section (4), the Administrative Secretary shall exercise all the powers which a court has and follow the same procedure which a court follows in deciding appeals from a decree or order of an original court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(6) A decision in such appeal shall be final and conclusive.

Demolition of Erection of any Building in Certain Cases

22-AC (1) Where the erection of any building in an industrial estate, commercial centre or industrial area has been commenced, or is being carried on, or has been completed, or any existing building is altered, in contravention of the terms on which such building or the land on which it stands is held or granted under this Chapter to any Officer of the Corporation empowered by it in this behalf may, in addition to any prosecution that may be instituted under this Chapter make an order directing that such erection shall be demolished by the owner/allotee/lessee thereof within such period not exceeding two months as may be specified in the order, and on the failure of the owner/allotee/lessee to comply with the order, the Officer may himself cause the erection to be demolished and the expenses of such demolition shall be recoverable by the Corporation from the owner/allotee/lessee:

Provided that, no such order shall be made unless the owner/allotee/lessee has been given a reasonable opportunity to show cause why the order should not be made.

(2) Any person aggrieved by an order under sub-section (1) may appeal against that order within thirty days from the date thereof to a Committee of the Corporation set up for the purpose by regulations made in this behalf and such Committee may after hearing the parties to the appeal either allow or dismiss the appeal or reverse or vary any part of the order.

(3) The decision of the Committee on the appeal and subject only to such decision the order made by the officer under sub-section (1) shall be final.

Discontinuation of Erection of any Building in Certain Cases

22-AD (1) Where the erection of any building in an industrial estate, commercial centre or industrial area has been commenced, or is being carried on, or has been completed, or any existing building is altered, in contravention of the terms on which such building or the land on which it stands is held or granted under this Chapter, any officer of the Corporation empowered in this behalf may, in addition to any prosecution that may be instituted under this Chapter, make an order requiring the building operations in relation to such erection to be discontinued on and from the date of the service of the order.

(2) Where such building operations are not discontinued in pursuance of the requisition under sub-section (1), the Corporation of the officer empowered as aforesaid may require any police officer to remove the person by whom the erection of the building has been commenced and all his

assistants and workmen from the place of the building within such time as may be specified in the requisition, and such police officer shall comply with the requisition accordingly.

(3) After a requisition under sub-section (2) has been complied with, the Corporation or the officer empowered as aforesaid may depute by a written order a police officer or an officer, or employee of the Corporation to watch the place in order to ensure that the erection of the building is not continued.

(4) Any person failing to comply with an order made under sub-section (1) shall, on conviction, be punished with fine, which shall not be less than five thousand rupees, but may extend to ten thousand rupees, during which such non-compliance continues after the service of the order.

(5) No compensation shall be claimable by any person for any damage or loss which he may sustain in consequence of any order made under this section.

(6) The cost of employing any police officer under this section shall initially be borne by the Corporation but it shall be recoverable from the person who failed to comply with an order made under sub-section (1).

Penalties

22-AE (1) Any person who whether at his own instance or at the instance of any other person undertakes or carries out construction of or alterations to any building in an industrial estate or industrial area contrary to the terms under which he holds such building or land under this Chapter shall, on conviction, be punished with fine, which shall not be less than five thousand rupees, but may extend to ten thousand rupees.

(2) Any person who uses any land or building in an industrial estate or indus trial area contrary to the terms under which he holds such land or building under this Chapter, or in contravention of the provisions of any regulations made in this behalf shall, on conviction, be punished with fine, which shall not be less than five thousand rupees, but may extend to ten thousand rupees.

Other Powers of Corporation

22-AF (1) (a) For the purpose of,—

(i) use of water sources, carrying gas, water or electricity within any area taken up for development under sub-clause (b) of clause (ii) 22-M (herein after referred to as "the said area"); or

(ii) constructing any sewers or drams necessary for carrying off workings and waste liquids of an industrial process through the said area,

the Corporation may, after giving reasonable notice to the owner or occupier of any building or land in the said area, lay down, place, maintain, alter, remove, or repair any pipes, pipelines, conduits, supply or service lines, posts other appliances or apparatus in, on, under, over, along or across any land in the said area.

(b) For the purpose of,—

(i) carrying gas, water or electricity from a source of supply to an industrial estate, commercial centre or industrial area, such source of supply being in an area outside such estate, centre or area (hereinafter referred to as "an outside area"); or

(ii) constructing any sewers or drains necessary for carrying off workings and waste liquids of an industrial process to or through an outside area,

any person empowered in this behalf by the Government by notification in the Government Gazette (hereinafter referred to as "the authorized person"), may after giving reasonable notice to the owner or occupier of any building or land in the outside area, lay down, place, maintain, alter, remove or repair any pipes, pipelines, conduits, supply or service-lines, posts or other appliances or apparatus in, on, under, over, along or across any land in the outside areas.

(2) The Corporation or as the case may be, the authorized person may at any time enter upon any land in any such area and in such event the provisions of section 22- AG shall mutatis mutandis apply.

(3) While exercising the power conferred by sub-section (1), the Corporation or the authorized person shall—

(i) where the land affected is a street, bridge, sewer, drain or tunnel, comply mutatis mutandis with the relevant provisions of the Gas Companies Act, 1863, notwithstanding the fact that the Act is not in force in the area or that the Government, has not issued a notification extending such provisions to such land;

(ii) cause as little damage as possible to property,

Compensation to all persons interested for extinguishment or modification of rights in property and any damage sustained by them in consequence of the exercise of such powers as aforesaid shall be paid by the Corporation irrespective of whether the area is the said area or the outside area :

Provided that the amount of compensation in lump sum or in the form of annual rent according as the circumstances of the case may require shall be fixed and where necessary apportioned by the Collector in accordance with the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

(4) Nothing herein shall authorize or empower the Corporation or the authorized person to lay down or place any pipe or other works into, through or against any building or in any land not dedicated to public use without the consent of the owners and occupiers thereof, except that the Corporation or such person may at any time enter upon and lay or place any new pipe in place of an existing pipe in any land wherein any pipe has been already lawfully laid down or placed in pursuance of this Chapter and may repair or alter any pipe so laid down.

Provided that, nothing in the aforesaid provision shall be construed to mean that the Corporation or other person is forbidden from having the said land acquired at any time by the Government in the normal course.

(5) (a) Where the owner or the occupier of any building or land does not reply in writing to the Corporation or the authorized person within a period of fifteen days from the date on which the consent referred to in sub-section (4) is sought, or refuses to give such consent to laying down or placing any pipe or other works into, through or against such building the Corporation or the authorized person shall forthwith make a report in writing of the fact to the Collector.

(b) On receipt of the report, if the Collector, after making any inquiry and after giving the owner and the occupier of such building or land, as the case

may be, an opportunity of stating his objection to give such consent is satisfied that for ensuring the full and efficient development of the industrial estate, commercial centers, or as the case may be, industrial area it is necessary to permit the Corporation or the authorized person to lay down or place any pipe or other works into, through or against the building or in the land as contemplated by the Corporation or the authorized person, the Collector shall, notwithstanding anything contained in sub-section (4) by an order in writing, grant the requisite permission to the Corporation or the authorized person.

(c) When such permission is granted, it shall be lawful for the Corporation or the authorized person to lay down or place any pipe or other works into, through or against such building or in such land, as if the necessary consent under subsection (4) has been given.

Power to Enter into/or upon any Land or Building

22-AG Any officer of the Government, any Director of the Corporation and any person either generally or specially authorized by the Corporation in this behalf, may enter into or upon any land or building with or without assistant or workmen for the purpose of—

(a) making any inspection, survey, measurement, valuation or enquiry or taking levels of such land or buildings;

(b) examining works under construction and ascertaining the course of sewers and drains;

(c) digging or boring into the sub-soil;

(d) setting out boundaries and intended lines of work;

(e) marking such levels, boundaries and lines by placing marks and cutting trenches;

(f) doing any other thing necessary for the efficient administration of this Chapter: Provided that,-

(i) no such entry shall be made except between the hours of sunrise and sunset and without giving reasonable notice to the occupier, or if there be no occupier, to the owner of the land or building;

(ii) sufficient opportunity shall in every instance be given to enable women (if any) to withdraw from such land or building;

(iii) due regard shall always be had, so far as may be compatible, with the exigencies of the purpose for which the entry is made, to the social and religious usages of the occupants of the land or building entered.

Controller or Licensing Authority

22-AH The Government may, by notification in the Government Gazette, nominate any officer of the Corporation to be a controller or licensing authority under any law for the time being in force relating to the procurement or distribution of any commodity in respect of the industrial undertakings or commercial establishments established or to be established in the industrial estates, commercial centers or industrial areas entrusted to or developed by the Corporation and no such nomination shall be called in question merely on the ground that such officer is not an officer of the Government.

Amenity

22-AI Notwithstanding anything contained in any other law, or in any license or permit, if the Government is satisfied either on a recommendation

made in this behalf by the Corporation or otherwise, that these thing up to industrial undertaking or a commercial establishment within an industrial area or outside is impeded by a local authority's refusal to grant, or by such authority's insistence on conditions, which the Government considers unreasonable for the grant of any amenity, the Government may direct the local authority to grant the said amenity on such conditions as it considers fit and there upon the amenity shall be granted;

Provided that, the charge to be paid for granting or continuing such amenity to the local authority concerned is not less than the cost to the local authority or licensee concerned for providing such amenity:

Provided further that, no such direction shall be made by the Government unless the local authority shall have been given a reasonable opportunity to show cause why any such direction should not be made.

Lease of Land

22-AJ Where any land is leased by the Corporation, the lessee shall, pay to the Corporation before such date or dates as may be prescribed, an amount equal to the land revenue, rent, cesses, rates, and other taxes, if any, payable in respect of such land, which would have been payable by the Corporation had the land not been leased.

Mode of Recovery

22-AK All sums payable by any person to the Corporation or recoverable by it by or under this Chapter and all charges or expenses incurred in connection therewith shall, without prejudice to any other mode of recovery, be recoverable as an arrear of land revenue on the application of the Corporation.

Service of Notice etc.

22-AL (1) All notices, orders and other documents required by this Chapter, or any rule or regulation made there under to be served upon any person shall save as otherwise provided in this Chapter or such rule or regulation, be deemed to be duly served-

(a) where the person to be served is a company the service is effected in accordance with the provisions of section 20 of the Companies Act, 2013 ;

(b) where the person to be served is a firm, if the document is addressed to the firm at its principal place of business, identifying it by the name or style under which its business is carried on, and is either—

(i) sent under a certificate of posting or by registered post, or

(ii) left at the said place of business;

(c) where the person to be served is a statutory public body or a Corporation or a society or other body, if the document is addressed to the secretary, treasurer or other head officer of that body, corporation or society at its principal Office, and is either—

(i) sent under a certificate of posting or by registered post, or

(ii) left at that office;

(d) in any other case, if the document is addressed to the person to be served and—

(i) is given or tendered to him, or

(ii) if such person cannot be found, is affixed on some conspicuous part of his last known place of residence or business or is given or tendered to some adult member of his family or is affixed on some conspicuous part of the land or building to which it relates;

(iii) is sent under a certificate of posting or by registered post to that person.

(2) Any document which is required or authorized to be served on the owner or occupier of any land or building may be addressed "the owner" of "the occupier" as the case may be, of that land or building (naming that land or building) without further name or description, and shall be deemed to be duly served—

(a) if the document so addressed is sent or delivered in accordance with clause (d) of sub-section (1); or

(b) if the document so addressed or a copy thereof so addressed, is given or tendered to some person on the land or building or, where there is no person on the land or building to whom it can be delivered is affixed to some conspicuous part of the land or building.

(3) Where a document is served on a firm in accordance with this section, the document shall be deemed to be served on each partner

(4) For the purpose of enabling any document to be served on the owner of any property, the occupier (if any) of the property may be required by notice in writing by the Government or the Corporation, as the case may be, to state the name and address of the owner/allottee/lessee thereof.

Public Notice to be in Writing

22-AM Every public notice given under this Chapter or any rule or made there under shall be in writing over the signature of the officer concerned and shall be widely made known in the locality to be affected thereby by affixing copies thereof in conspicuous public places, within the said locality, or by publishing the same by beat of drum or by advertisement in a local newspaper, or by any two or more of these means, and by other means as the officer may think fit.

Prescribing of Time Under Notice

22-AN Where any notice, order or other document issued or made under this Chapter or any rule or regulation made there under requires anything to be done for the doing of which no time is fixed in this Chapter or the rule or regulation, the notice, order or other document shall specify a reasonable period of time for doing the same or complying therewith;

Duty of Corporation to Furnish Returns etc. to Government

22-AO (1) The Corporation shall furnish to the Government such returns, statistics, reports, accounts and other information with respect to its conduct of affairs, properties or activities or in regard to any proposed work or scheme as the Government may from time to time require.

(2) The Corporation shall in addition to the audit report referred to in section 22- X furnish to the Government an annual report on its working as soon as may be after the end of each financial year in such form and detail as may be prescribed, and a copy of the annual report shall be placed before the Legislature as soon as may be after it is received by the Government.

Power of Government to Exclude Industrial Estate from the

22-AP (1) Where the Government is satisfied that in respect of any particular industrial estate, commercial centre or industrial area, or any part thereof, the purpose for which the Corporation was established under this Chapter has been substantially achieved so as to render the continued

Jurisdiction of Corporation

existence of such estate, centre or area or part thereof under the Corporation unnecessary, the Government may, by notification in the Government Gazette, declare that or such industrial estate, commercial centre or industrial area or part thereof has been removed from the jurisdiction of the Corporation. Thereupon the Government may after consulting the Corporation pass such orders in respect of consequential financial arrangements with the Corporation, and the transfer or apportionment of any assets and liabilities of the Corporation as it may deem fit.

(2) The Government may also make such other incidental arrangements for the administration of such estate, centre or area or part thereof as the Government thinks fit.

Power of Government in Case of Default by the Corporation

22AQ (1) If the Government after giving the Corporation an opportunity to render an explanation is satisfied that the Corporation has made a default in performing any duty or obligation imposed or cast on it by or under this Chapter the Government may fix a period for the performance of that duty or obligation and give notice to the Corporation accordingly.

(2) If in the opinion of the Government the Corporation fails or neglects to perform such duty or obligation within the period so fixed for its performance, it shall be lawful for the Government, after having given the Corporation to show cause against such order, by order supersede the Corporation and thereafter reconstitute the Corporation, as it deems fit.

(3) After the supersession of the Corporation and until it is reconstituted in the manner laid down in Chapter, the powers, duties and functions of the Corporation under this Chapter shall be carried on by the Government or by such officer or officers or body of officers as the Government may appoint for this purpose from time to time, and the cost thereof shall be met from the funds of the Corporation.

(4) All property vested in the Corporation shall, during the period of supersession, vest in the Government.

Dissolving of Corporation

22-AR (1) The Government if satisfied that the purposes for which the Corporation was established under this Chapter have been substantially achieved so as to render its continuance unnecessary, it may by notification in the Government Gazette declare that the Corporation shall be dissolved with effect from such date as may be specified in the notification, and thereupon the Corporation shall stand dissolved accordingly.

(2) From the said date referred to in sub-section (1),—

(a) all properties, funds and dues which are vested in, or realizable by, the Corporation shall vest in, or be realizable by, the Government; and

(b) all liabilities which are enforceable against the Corporation shall be enforceable against the Government.

No Court to take Cognizance of any Office under this Chapter

22-AS Unless otherwise expressly provided no Court shall take cognizance of any offence relating to property belonging or vested by or under this Chapter in the Corporation punishable under this Chapter, except on the complaint of, or upon information received from the Corporation or some person authorized by the Corporation by general or special order in this behalf.

Compounding of Offence

22-AT (1) The Corporation or any person authorized by the Corporation by general or special order in this behalf may, either before or after the institution of the proceedings compound any offence made punishable by or under this Chapter.

(2) Where an offence is compounded the offender, if in custody shall be discharged and no further proceedings, shall be taken against him in respect of the offence compounded.

Offence Committed by Company

22-AU (1) Whenever an offence under this Chapter has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, or was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that, nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment under this Chapter if he proves that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Chapter has been committed by a company and it is proved that the offences has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—-For the purposes of this section—

(a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

Penalty for Obstruction of Entry of an Authorized Person

22-AV Any person who obstructs the entry of a person authorized under section 22-AG to enter into or upon any land or building or molests such person after such entry or who obstructs the lawful exercise by him of any power conferred by or under this Chapter shall; on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, which shall not be less than five thousand rupees, but may extend to ten thousand rupees.

Penalty for Obstruction or Molestation of any Person with whom the Corporation has entered into Contract

22-AW If any person obstructs or molests any person with whom the Corporation has entered into a contract in the performance or execution by such person of his duty or of anything which he is empowered or required to do under this Chapter he shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine, which shall not be less than five thousand rupees, but may extend to ten thousand rupees.

Penalty for Removal of any Mark

22-AX If any person removes any mark set up for the purpose of indicating any level, boundary line or direction necessary to the execution of works authorized under this Chapter, he shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine , which shall not be less than five thousand rupees, but may extend to ten thousand rupees.

Penalty for Obstruction of the Lawful Exercise of any Power

22-AY Any person, who obstructs the lawful exercise of any power conferred by or under this Chapter shall, on conviction, be punished with fine, which shall not be less than five thousand rupees, but may extend to ten thousand rupees.

Power to make Rules

22-AZ (1) The Government, after consultation with the Corporation in regard to matters concerning it, may, by notification in the Government Gazette, make rules to carry out the purposes of this Chapter:

Provided that, consultation with the Corporation shall not be necessary on the first occasion of the making of rules under this section, but the Government shall take into consideration any suggestions which the Corporation may make in relation to amendment of such rules after they are made.

(2) In particular and without prejudice to the generality, of the foregoing power such rules may provide for all matters expressly required or allowed by this Chapter to be prescribed by rules and fees which may be charged by the Corporation.

(3) All rules made under this section shall be laid for not less than thirty days before the Legislature as soon as possible after they are made and shall be subject to rescission by the Legislature, or to such modification as the Legislature may make, during the session in which they are so laid, or the session immediate following.

(4) Any rescission or modification so made by the Legislature shall be published in the Government Gazette and shall thereupon take effect.

Power to make Regulations

22-AAA (1) The Corporation may, with the previous approval of the State Government make regulations consistent with this Act and the rules made there under, and to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such regulations may provide for all matters expressly required or allowed by this Act to be provided by regulations.

(3) All rules made under this section shall be published in the Official Gazette and shall be laid for not less than thirty days before the State Legislature as soon as possible after they are made, and shall be subject to rescission by the Legislature, or to such modification as the Legislature may make, during the session in which they are so laid, or the session immediately following.

(4) Any rescission or modification so made by the State Legislature shall be published in the Official Gazette and shall thereupon take effect.

Act done in Good Faith

22-AAB No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Chapter or any rule or regulation made there under.

Requirement of Prior Notice for Filing of Suit

22-AAC (1) No person shall commence any suit against the Corporation or against any officer or servant of the Corporation or any person acting under the orders of the Corporation for anything done or purporting to have been done in pursuance of this Chapter, without giving to the Corporation, officer or servant or person, as the case may be, two months' previous notice in writing of the intended suit and of the cause thereof, not after six months from the date of the act complained of.

(2) In the case of any such suit for damages if tender of sufficient amount shall have been made before the action was brought, the plaintiff shall not recover more than the amounts so tendered and shall pay all costs incurred by the defendant after such tender.

Public Servants

22-AAD All Directors, officers and servants of the Corporation shall, when acting "or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Chapter be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

Overriding Effect

22-AAE The provisions of this Chapter shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law.

Power to Remove of Difficulties

22-AAF If any doubt or difficulty arises in giving effect to the provisions of this Chapter the Government may, by order, make provision or give such direction not in consistent with the express provisions of this Chapter as may appear to it to be necessary or expedient for the removal of the doubt or difficulty, and the order of the Government, in such cases, shall be final.

Section 24.- (i) In sub-section (1), for "Rs 5,000/-" and "Rs 200/-",substitute respectively "Rs 50,000/-" and "Rs 2000/-";

(ii) in sub-section (2), for "Rs 3000/-" and "Rs 150/-",substitute respectively "Rs 30,000/-" and "Rs 1,500/-";

(iii) in sub-section (3), for "Rs 1,000/-", substitute "Rs 10,000/-".

Section 26.- In sub-section (4), for "two hundred rupees", substitute "two thousand rupees".

Section 31.- Omit "on terms and conditions agreed upon between the Authority and that local authority or the department, as the case may be".

Section 34. – (i) in sub-section (2), for "the Code of Civil Procedure 1977", substitute "the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)"; and

(ii) in sub-section (6), for "Arbitration Act, Svt. 2002", substitute Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996)".

Section 43. – For "Ranbir Penal Code", substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 45. – For "section 32 of Code of Criminal Procedure, 1989", substitute "section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 49. – In clause (c), for "the Jammu and Kashmir State Canal and Drainage Act, Svt. 1963", substitute "the Jammu and Kashmir Water Resources (Regulation and Management) Act, 2010".

IndiaCode

8. THE JAMMU AND KASHMIR FLOOD PLAIN ZONES (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT
(XVII of 2005)

Repeal as a whole.

9. THE JAMMU AND KASHMIR LAND GRANTS ACT

(XXXVIII of 1960)

Throughout the Act, for "State" and "Government" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir" and "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir" respectively.

Section 1. - In sub-section (2), for "State of Jammu and Kashmir" substitute "Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 2. - Substitute the following:

"2.This Act shall apply to whole of the Union territory of Jammu and Kashmir."

Section 4.- (i) in sub-section (1):-

(a) substitute "may grant land on lease" with "may make rules for grant of land on lease",;

(b) omit first and last proviso;

(c) in fourth proviso substitute "Government Order sanctioning" with "Order of the competent authority sanctioning"

(ii) in sub-section (2), omit clause (i).

(iii) after sub-section (2), add the following sub-section namely;

"(3) The Government may notify the competent authority or authorities for granting lease under sub-section (1) to different categories of persons for such purposes and in such areas as may be specified. Subject to the general and specific direction of the Government, the competent authority so notified shall grant the land on lease subject to the rules notified under sub-section (1) and also subject to land use defined under the Master Plan, Zonal Plan or Regional Plan by development authority prescribed under the Development Act, 1970 and Land Revenue Act Samvat 1996 as the case may be."

Section 11. - For "Transfer of Property Act, Svt. 1977", substitute "Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882)".

10. THE JAMMU AND KASHMIR LAND IMPROVEMENT SCHEMES ACT (XXIV of 1972)

Repeal as a whole.

11. THE JAMMU AND KASHMIR LAND REVENUE ACT (XII of Samvat 1996)

Throughout the Act, for "Government of Jammu and Kashmir", "Government Gazette" and "State", wherever occurring, substitute "Government of the Union territory of Jammu and Kashmir", "Official Gazette" and "Union territory" respectively.

Section 1.- In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 3.- (i) Before the existing clause (1), insert -

"(1) "Agricultural land" means land which is used or is capable of being used for the agriculture and allied activities including fallow land;

(2) "Agriculture and Allied Activities" shall mean raising of crops including food and non-food crops, fodder or grass; fruits and vegetables, flowers, any other horticultural crops and plantation; animal husbandry and dairy; poultry farming, stock breeding; fishery; agro forestry, agro-processing and other related activities by farmers and farmer groups;

(3) "Board" means "Board of Revenue", constituted under this Act;

(4) "Competent Authority" means the Tehsildar or a Revenue Officer of equal rank;

(ii) re-number existing clause (1) as clause (5) and after clause(5) so renumbered, insert-

"(6) "Government" means the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir.";

(iii) re-number the existing clauses (2) and (3) as clauses (7) and (8) and in the clause (8) as so renumbered, for "a tenant", substitute "an occupant".

(iv) re-number existing clause (4) as clause (9) and after clause (9) as so renumbered, insert-

"(10) "Regional Plan" means the land use plan notified by the Competent Authority for the areas falling out of local area notified under the Development Act 1970.";

(v) omit existing clause (5), and renumber existing clauses (6), (7), (8), (9), (10), (11) and (12) as clauses (11), (12), (13), (14), (15), (16) and (17) respectively;

(vi) in sub-clause (a) of clause (14) so renumbered, for "section 56 of the Jammu and Kashmir State Canal and Drainage Act, 1963", substitute "Jammu and Kashmir Water Resources (Regulation and Management) Act, 2010";

(vii) after clause (17) so renumbered, insert-

"(18) "Occupant" means the person under occupation of the land as protected tenant or occupancy tenant as defined under the repealed Tenancy Act or otherwise in authorized cultivation of the land.";

(viii) omit existing clause (13); renumber clause (14) as clause (19) and for the opening paragraph of clause (19) as so renumbered substitute-

" (19)"Agricultural year" means the year notified by the Board from time to time for different areas:" ;

(ix) re-number existing clauses (15), (16), (17) and (18) as clauses (20), (21), (22) and (23) respectively;

(x) after clause (23) so renumbered, insert:-

"(24) "Water channel", "Water Course" and "Water Source" referred to in this Act shall have the same meaning as defined in the Jammu and Kashmir Water Resources (Regulation and Management) Act, 2010.

Insertion of new Section 5 A-

After section 5, insert-

Board of Revenue.

"5A.(1) There shall be a Board of Revenue for the Union territory of Jammu and Kashmir, consisting of following members, namely:-

(a) Financial Commissioner Revenue shall be the *ex-officio* Chairman;and

(b) two other members of the rank of Secretary to the Government to be appointed by the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir;

(2) Subject to the superintendence, direction and control of the Government, the Board shall be the Chief Controlling Authority regarding all the matters provided in this Act.

Powers and functions of the Board.

5B. —(1) The Board shall–

(a) exercise, perform and discharge powers, functions and duties conferred upon it by or under this Act or any other law for the time being in force;

(b) decide all the matters relating to the Acts repealed under section 140, within one year from the Constitution of the Board; and

(c) perform all the functions entrusted to it by the Government from time to time.

(2) The terms, references and procedure to be followed by the Board shall be such as may be notified by the Government."

After section 6, insert-

Combination of offices.

"6A. — It shall be lawful for the Government or the authority competent, as the case may be, to appoint one and the same person, being otherwise competent according to law for any two or more of the offices or to confer upon an officer of one denomination all or any of the powers or duties of any other officer or officers within certain local limits or otherwise, as it may deem expedient."

Section 8.- For "Government" substitute "Board".

Section 9.- For "The Financial Commissioner" substitute "The Board, the Financial Commissioner".

Section 11.- For "Code of Civil Procedure, 1977" substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 12.- Omit proviso to sub-section (1).

Section 13.- In proviso (a) to sub-section (1), after "when" and before "a Divisional Commissioner" insert "the Board".

Section 21.- In sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (2), for "tenants or assignees" substitute "occupants"; and after sub-clause (iii), insert-

"(iv) survey number or plot number held within its area;

(v) type and characteristics of soil;"

Section 22-A.- (i) For sub-section (2) substitute -

"(2) The pass book shall be in such form and valid for such period as may be prescribed and the Board shall strive for preparing, issuing and maintaining the passbooks in digital format, and the Board shall be competent to issue direction for this purpose.";

(ii) in sub-section (19), for "twenty hundred rupees", substitute "twenty thousand rupees".

Insertion of new Section 23 A-

After section 23, insert-

Consolidation of Land and prevention of fragmentation of land holdings.

"23-A. —(i) The Board may notify a scheme of consolidation of land holding to be undertaken during the preparation of Record-of-Rights or otherwise for rearrangement of land holdings in a unit amongst several land owners in such a way as to make their respective holdings more compact.

(ii) With effect from the date on which a landowner enters into possession of the plots allotted to him in pursuance of the provisions of the scheme notified under sub-section (1) the rights, title, interest and liabilities of the former landowner in these plots and his rights, title, interest and liabilities in his original plots shall stand extinguished and shall vest in the occupying land owner, subject to such modifications, if any, specified in the said consolidation scheme.

(iii) The Board may also bring a scheme of restricting and regulating the fragmentation of agricultural land holdings in the Union territory of Jammu and Kashmir to make the agriculture viable.

Section 24.- In the marginal heading, for "assignees of revenue and occupancy tenants" and in sub-section (1) for "an occupancy tenant or a protected tenant" substitute "and occupants" and "an occupant" respectively.

Section 32.- (i) In sub-section (1), for "Deputy Commissioner", substitute "Deputy Commissioner or Additional Deputy Commissioner" and omit "(2 years in the case of Frontier Districts of Gilgit and Ladakh)".

(ii) omit sub-section (3).

Section 101.- After sub-section (2), insert-

"(3) (a) The Board subject to such conditions and restrictions and in such manner as may be prescribed, at its own or authorise an officer not below the rank of Collector, to issue license to any person referred to as Licensed Surveyor, possessing the prescribed qualifications and experience as fixed by the Board for the purposes of survey, assessment and settlements of boundaries and connected matters.

(b) The fee payable to a License Surveyor shall be as prescribed by the Board from time to time."

Section 105.- In the opening paragraph, omit "or any joint tenant of a tenancy in which a right of occupancy or protected tenancy subsists", "or tenant" and "or tenancy".

Section 106.- In clause (3), for "the land comprised in the tenancy", "a tenant", "the tenant" and "that tenancy" substitute respectively "erstwhile tenancy", "an occupant", "the occupant" and "that occupancy".

Insertion of new Chapters-

After Chapter X, insert-

"CHAPTER X-A

LAND LEASING

Land lease-agreement, termination, rights and responsibilities.

119-B. —(1) Notwithstanding anything contained in any other law, the Government may through a notification in the official Gazette, formulate procedures and conditions for leasing in or leasing out of agricultural land for agriculture and allied activities, consistent with the provisions of this Act**.**

CHAPTER X-B

Regional Planning

Preparation of Regional Plan by Board.

119-C. —(1) Except the "Local Area" as defined under the Development Act 1970, including the areas falling under the Development Authorities constituted under the said Act, the Board shall be the development authority for all land and shall be responsible for preparation of Regional Plan or Plans, as the case may be.

(2) In preparation of Regional Plan or Plans as referred to in sub-section(1), the Board shall fallow process as mentioned in the Development Act, 1970.

(3) In preparation of the Regional Plan or Plans as referred to in sub-section(1), the Board shall have consideration to—

(i) overall developmental objectives of the Government;

(ii) development of agriculture in the Union territory;

(iii) protection of land falling under saffron, orchards, vegetable and other crops as considered necessary by the Board;

(iv) optimum utilisation of water and other resources;

(v) protection of ecology, environment and wildlife;

(vi) impact of climate change and changes required in cropping pattern;

(vii) requirement of land for developmental purposes including residential;

(viii) any other objectives as conveyed by the Government to the Board or deemed fit by the Board;

CHAPTER XI

OFFENCES AND PENALTIES

Offences and Penalties.

119-D.—Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder whoever commits any of the offence specified in column (2) of the Table below, shall on conviction by a Judicial Magistrate of first class for each of such offence be punishable with the sentence indicated in column (3) of the said Table, namely:—

Table

S.No.	Offence	Punishment
(1)	(2)	(3)
1.	Whoever cheats and thereby dishonestly creates documents for the purpose of selling, mortgaging or transferring by gift or otherwise of any Government land.	Imprisonment for three years and fine of ten thousand rupees.
2.	Whoever creates a forged document regarding Government land with an intention to use it for that purpose or to grab such land.	Imprisonment for three years and fine of five thousand rupees

Punishment under other laws not barred.

119-E.- Nothing in this Act shall prevent any person from being prosecuted and punished under any other law for the time being in force for any act or omission made punishable by or under this Act:

Provided that no person shall be so prosecuted and punished for the same offence more than once.

Offences by companies.

119-F.—Where an offence under this Act is committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

119-G.The Board shall be competent for upward revision of the fines provided under this Act from time to time.".

Section 127.- In clause (b), for "land-holders or tenant" substitute "land-holders or occupant".

Section 128.- In sub-section (1), for "a tenant" substitute "an occupant".

Section 129.- Omit.

Section 130.- Omit.

Section 131.- Omit.

Section 132.- In sub-section (1), for "rupees two thousand" and "rupees one thousand" , substitute respectively "rupees fifty thousand" and "rupees five thousand".

Section 133.- (1) For sub-section (2), substitute -

"(2) Prevention of encroachments on or cultivation of common land, or land reserved for public purposes or of which cultivation has been prohibited or is objectionable, or, by person, not entitled to, bring it under cultivation.—

(a) Subject to any law, agreement, custom, usage or any decree or order of any Court or other authority, for the time being in force, every person shall exercise the right of user in respect of any road, street, lane, path, Water Channel, Water Course and Water Source and other common land defined as such in any law or declared as such by the Government or the Board;

(b) The right of user permitted by clause (a) shall not be deemed to include or otherwise confer, create or assign any right of encroachment, whether by means of construction, including fencing, walling or putting any barrier or by breaking up of land, diversion or otherwise.

(2-A) Penalty for denial of or obstruction in the exercise of right or for encroachment.—(a) Where any person is denied, or obstructed in, the lawful exercise of his right of user as provided in subsection (1), or where any person has taken possession of or brought under cultivation or otherwise encroached upon any common land as described above, or when any person, without due authority, has taken possession of land belonging to the Government, a Revenue Officer may, on his own motion or on the application of any person interested and after such enquiry as may be deemed necessary,—

(i) direct the free exercise of the right of user and the removal of the obstruction, where the exercise of such right is found to have been denied or obstructed;

(ii) eject the person who has taken possession of or brought under cultivation or otherwise encroached upon such common land and take possession of such land without paying any compensation for crops or improvements, and may also, by order duly proclaimed, forbid repetition of the encroachment;

(iii) inflict a fine not less than twenty five thousand rupees and as prescribed by Board from time to time, on such person or persons as are found to have denied or obstructed the exercise of the right of user in respect of or to have taken possession of or brought under cultivation or otherwise encroached upon such common land.

(b) Orders of removal of obstruction or ejectment under sub-section (3) shall be enforced in the manner provided in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(c) Where the Government land has been encroached upon, the person committing the offence, on conviction by a Judicial Magistrate of first class shall, for each of such offence, be punishable with imprisonment of one year or a fine of not less than twenty-five thousand rupees or both.

(2) Omit sub-sections (4-a), (4-b) and (5).

(3) After sub-section (5), insert -

"(6) In enforcing these orders a Revenue Officer shall have all the powers in regard to contempts, resistance and the like which a Civil Court may exercise in the execution of a decree; and

(7) Any fine, if not paid in cash, shall be recovered as an arrear of land revenue."

For section 133-A, substitute –

Restriction on conversion of agricultural land and process for permission of non-agriculture (NA) use.

"**133-A.—**(1) Subject to the procedure notified in sub-section (4), no land used for agriculture purposes shall be used for any non-agricultural purposes except with the permission of the District Collector*:*

Provided that the permission for conversion of land notified as Saffron Belt shall be made as per procedure prescribed under the Jammu and Kashmir Saffron Act, 2007:

Provided further that holder of any agriculture land may construct a residential house or erect farm building, grain storage, primary processing of agriculture produce, wells or tanks or make any other improvements thereon for residential purpose or agricultural improvement, on intimation to the Tehsildar concerned, however, the plinth area of such building or improvement shall not exceed four hundred Square meters in total:

Provided also that any attempt to convert agriculture land for non-agriculture use by contravening the aforesaid provisos by way of fragmenting the land or otherwise shall be considered violation of the provisions of this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), an owner or occupant, who wishes to put his agricultural land into non-agricultural uses as provided in the regional plan, development plan or master plan as the case may be, shall do so it after payment of conversion charges as prescribed by the Board from time to time.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), no such permission shall be granted in the areas notified as Eco-sensitive Zone by the Government.

(4) The Board shall notify detailed procedure, prescribe forms and fix fee for conversion of agriculture land to non-agricultural purpose.".

Insertion of new Section-

After section 133-B, insert –

Restriction on use of grazing land, etc. and prohibition on transfer

"133-BB. (1) The land which is in the form of grazing land, arak, kap or kah-i-krisham or which grows fuel or fodder and belongs to such class as is notified by the Government shall not be used for any other purpose except with the permission of the District Collector who shall accord permission only in accordance to the regulations notified by the Board :

Provided that such permission shall be deemed to be accorded where land is being acquired permanently or hired temporarily for public purposes under the relevant Act.

Provided further that the transfer of such land or any interest therein shall not be permissible and no documents relating to the transfer of such land shall be admitted to registration;

(2) The Board shall be competent to notify regulations for the purposes of *this section."*

For section 133-C, substitute –

Land converted in violation to escheat to Government

"133-C. (1)Any land converted for other purposes in violation of the provisions of section133-A or section133-B or 133-BB shall escheat to the Government."

(2) The Collector or any other officer as he may authorise, may direct such person to remove the contravention and restore the land or water-surface or water field or floating field, as the case may be, to its original condition by a particular date and if such person fails to do so, within the prescribed time, the Collector or such officer may, remove or cause to be removed the contravention and in doing so, may use such force as may be necessary and impose the cost of restoration thereof on the violator.

(3) Without prejudice to the provisions of sub-section (1) or sub section (2), the person found to have contravened the provisions of section 133-A or section 133-B or Section 133-BB,shall be punishable by the Collector or any officer not below the rank of an Assistant Collector of the first class as may be authorised by him with penalty which may extend to twenty-five thousand rupees and till such time such contravention is removed he shall be punished further with a penalty of five thousand rupees for each day during which the contravention continues.

(4) (a) Any person aggrieved by an order made under section133-C or section 133-D, may prefer an appeal to the Divisional Commissioner within a period of thirty days from the date the order is passed.

(b) An appeal under clause (a) shall not operate as a stay of the proceedings under an order appealed from.

(5) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, nothing done or purporting to have been done by the Collector, or the officer authorised by him in this behalf, under sections 133-A, 133-B, 133-BB or 133-C shall be called in question in any Court and no Court shall entertain any suit or proceeding or grant any injunction with respect to any action or thing or any matter for which a proceeding has been taken under the said provisions.

Sections 133-D.- For "five thousand rupees" and "five hundred rupees", substitute "twenty-five thousand rupees" and "five thousand rupees" respectively.

Section 133-E.- Omit.

Insertion of new Section

After Section 133-G insert the following:

Transfer of land to non-agriculturist barred

"**133-H.—** (1) Save as provided in this Act,-

(a) no sale (including sale in execution of a decree of a Civil court or for recovery of arrears of land revenue or for sum recoverable as arrears of land revenue), gift or exchange, or

(b) no mortgage of any land or interest therein, in which the possession of mortgaged property is delivered to the mortgagee, or

(c) no agreement made by instrument in writing for the sale, gift, exchange, or mortgage of the land

shall be valid in favour of a person who is not an agriculturist:

Provided that the Government or an officer authorized by it in this behalf may grant permission to an agriculturist to alienate the land to a non-agriculturist by way of sale, gift, exchange or mortgage or for such agreement on such conditions as may be prescribed:

Provided further that nothing in this sub-section shall bar lease of land or any other arrangement for entering into a farming or production agreement under the provisions of any law for the time being in force for the purpose of promotion of agriculture and improvement of land.

Explanation: For the purpose of this section ,the expression-

(a) "agriculturist" means a person:-

(i) who cultivates land personally in the Union territory of Jammu and Kashmir as on such date as may be notified by the Government; or

(ii) such category of persons as maybe notified by the Government from time to time.

(b) "land" means the land recorded as agricultural land including village abadideh, by whatever name called, in the revenue records

IndiaCode

being used for agriculture purposes or for purposes subservient to agriculture or for pasture or being used for residential purposes in rural areas .

(c) "to cultivate land personally" means to cultivate:

(i) on one's own account;

(ii) by one's own labour;

(iii) by the labour of any member of one's family; or

(iv) under the personal supervision of oneself or of any member of one's family by hired labour or by servants on wages payable in cash or kind but not in crop share; and

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall be deemed to prohibit the transfer of land, by any person or Government, as defined in sub-section (1) in favour of,-

(a) a land less person or a village artisan as per eligibility, residency conditions and procedure to be prescribed and notified by the Government:

(b) any Government ;

(c) a Company or a Corporation or a Board established by or under a statute and owned and controlled by the Government or a Government Company as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

Provided that the land under clauses (b) and (c) is acquired through the Government for public purpose under the relevant law in force.

(3) No Registrar or Sub-Registrar appointed under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), shall register any document pertaining the transfer of land, which is in contravention of sub-section (1).

(4) Where-

(a) the Registrar or the Sub-Registrar, appointed under the Registration Act, 1908 916 of 1908), before whom any document pertaining to transfer of land is presented for registration comes to know or has reason to believe that the transfer of land is in contravention of sub-section (1);

(b) a Revenue Officer either on an application made to him or on receipt of any information from any source comes to know or has reason to believe that any land has been transferred or is being transferred in contravention of the provisions of sub-section (1),

such Sub-Registrar, the Registrar or the Revenue Officer, as the case may be, shall make reference to the Deputy Commissioner of the District in which land or any part thereof is situated, and the Deputy Commissioner, on receipt of such reference or otherwise on receipt of such information shall after affording to the persons who are parties to the transfer, a reasonable opportunity of being heard and holding an enquiry, determine whether the transfer of land is or, is not in contravention of sub-section (1) and he shall, within three months from the date of receipt of reference made to him, record his decision thereon and intimate the findings to the Registrar, Sub-Registrar or the Revenue Officer concerned.

India Code

(5) The person aggrieved by the findings recorded by the Deputy Commissioner that a particular transfer of land is in contravention of the provisions of sub-section (1), or in absence of any decision/findings by the Deputy Commission in three months, may within a period of 30 days from the date on which the order of recording such findings is made by the Deputy Commissioner or three months from the date of reference to Deputy Commission or such longer period as the Divisional Commissioner may allow for reasons to be recorded in writing file an appeal to the Divisional Commissioner, to whom such Deputy Commissioner is subordinate, and the Divisional Commissioner may, after giving the parties an opportunity of being heard of the case from the Collector reverse, alter or confirm the order made by the Deputy Commissioner and the order made by the Divisional Commissioner shall be final and conclusive.

(6) (a) The Financial Commissioner may, either on a report of a Revenue Officer or on an application or of his own motion, call for the record of any proceedings which are pending before, or have been disposed of by, any Revenue Officer subordinate to him and in which no appeal lies thereto, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such proceedings or order made therein and may pass such order in relation thereto as he may think fit.

(b) No order shall be passed under this sub-section which adversely affects any person unless such person has been given an opportunity of being heard,

(7) Where the Deputy Commissioner of the District under sub-section (6), in case an appeal is not made within the prescribed period or the Divisional Commissioner in appeal under sub-section (7) or the Financial Commissioner in revision, under sub section (8), decides that the transfer of land is in contravention of the provisions of sub-section (1), such transfer shall be void ab-initio and the land involved in such transfer together with structures, buildings or other attachments, if any, shall, in the prescribed manner, vest in the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir free from all encumbrances; and

(8) It shall be lawful for the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir to make use of the land which is vested or may be vested in it under sub-section (4) or sub-section (9) for such purposes as it may deem fit to do so.

(9) The provision of this section shall come into effect from a date to be notified by the Government in the Official Gazette."

Transfer of land in favour of public trust for charitable purposes

133-I. — Notwithstanding anything contained in section 133-H and subject to such procedure, as may be prescribed in this regard, the Government may, by notification in the official Gazette, allow transfer of land, as defined in said section, in favour of eligible public trust established under law for charitable purpose and which is non-profitable in nature.

Transfer of land for the purpose of promotion of healthcare or education

133-J.— Notwithstanding anything contained in section 133-H and subject to such procedure, as may be prescribed in this regard, the Government may, by notification in the official Gazette, allow transfer of land, as defined in said section, in favour of a person or an institution for the purpose of promotion of healthcare or senior secondary or higher or specialized education in the Union territory of Jammu and Kashmir.

Transfer of land for industrial, commercial or housing agricultural purposes or any other public purpose

133-K. — Notwithstanding anything contained in section 133-H and subject to such procedure, as may be prescribed in this regard, the Government may, by notification in the official Gazette, allow transfer of land, as defined in said section, in favour of any person, institution or corporation, for such industrial or commercial or housing purposes or agricultural purposes or any other public purpose as may be notified by the Government for industrial and commercial development of the union territory.

Transfer of land under sections 133-H, 133-I, 133-J and 133-K subject to conditions

133-L. —Any non-agriculturist in whose favour land has been transferred under sections 133-H(1) and (2)(a), 133-I, 133-J and 133-K shall, irrespective of transfer of such land, continue to be a non-agriculturist for the purposes of section 133-H and he shall put the land to such use for which land has been transferred within, a period of five years:

Provided that the Government may extend the above time period for a further period not exceeding two years on payment of penalty equal to one percent per month of the value of the land calculated on the basis of notified stamp duty rates applicable for such land.

(2) In case, such person fails to put the land for its intended use or diverts, without the permission of the Government, the said use for any other purpose or transfer by way of sale, gift or otherwise, the land so purchased by him shall vest in the Government free from all encumbrances."

Section 134.- In sub-section (2), for "the Evidence Act, XIII of 1977",substitute "the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)".

After section 139, insert -

Repeal.

"140. —(1) The following Acts and all rules thereunder and orders previously issued regarding matters dealt with in these Acts so far as they may be repugnant to this Act, shall be considered to have been repealed:—

(a) The Jammu and Kashmir Alienation of Land Act, Samvat 1995;

(b) The Jammu and Kashmir Big Landed Estates Abolition Act, Samvat 2007;

(c) The Jammu and Kashmir Common Lands (Regulation) Act, 1956;

(d) The Jammu and Kashmir Consolidation of Holding Act, 1962;

(e) The Jammu and Kashmir Land Improvement Schemes Act, 1972;

(f) The Jammu and Kashmir Prevention of Fragmentation of Agricultural Holdings Act, 1960;

(g) The Jammu and Kashmir Prohibition of Conversion of Land and Alienation of Orchards Act, 1975;

(h) The Jammu and Kashmir Tenancy (Stay of Ejectment Proceedings) Act, 1966;

(i) The Jammu and Kashmir Tenancy Act, Svt.1980;

(j) The Jammu and Kashmir Utilization of Lands Act, Svt. 2010.

(2) The Financial Commissioner Revenue shall prepare details of all pending and residual issues due to repeal of the Acts as mentioned in sub-section (1) and place it before the Board and the Board shall accordingly take all possible steps for expeditious resolution of disputes and shall ensure final adjudication by the 31st March, 2021 of all the residual matters on fast track basis in the manner provided in sub-section (3).

(3) All pending disputes, cases, litigations and other residual matters under the repealed laws mentioned in sub-section (1) shall be disposed of by any one or more of the following methods, namely:-

(a) by negotiation or third party mediation or conciliation or arbitration where no Government interest is involved;

(b) by referring to Lok Adalat in consultation with standing counsel where no Government interest is involved;

(4) The Board shall be competent to delegate the powers to the Revenue officers for expeditious disposal of cases as it may deem fit.

Regularization of certain cases of unauthorised occupation.

140-A. – (1) The Government may make rules for regularisation of *unauthorised occupation, if any, arising on account of repeal of Acts under sub section (1) of section 140.*

Provided that such regularization may be permitted subject to payment of levy or fees to the Government at a rate not less than the fifty percent of the circle rate notified by the Government for such type of land in the particular area.

Provided further that no such regularization shall be permitted after 31st December, 2021.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done, any action taken, any order or notification issued, under any of the provisions of law repealed under sub-section (1) of section 140 shall be deemed to have been done, taken or issued under the corresponding provisions of this Act, as if such provisions of this Act were in force on the day such thing was done, action was taken or order or notification was issued.

Removal of difficulties.

141.If any difficulty arises in giving the effect to the provisions of this Act, the Government may by Order, published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as it appears to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

12. THE JAMMU AND KASHMIR PREVENTION OF FRAGMENTATION OF AGRICULTURAL HOLDINGS ACT
(XXV of 1960)

Repeal as a whole.

13. THE JAMMU AND KASHMIR PROHIBITION ON CONVERSION OF LAND AND ALIENATION OF ORCHARDS ACT
(VIII of 1975)

Repeal as a whole.

14. THE JAMMU AND KASHMIR RIGHT OF PRIOR PURCHASE, ACT
[II of Svt. 1993 (1936 A.D.)]

Repeal as a whole.

15. THE JAMMU AND KASHMIR TENANCY (STAY OF EJECTMENT PROCEEDINGS) ACT
(XXXIII of 1966)

Repeal as a whole.

16. THE JAMMU AND KASHMIR UTILIZATION OF LANDS ACT
(IX of Samvat 2010)

Repeal as a whole.

17. THE JAMMU AND KASHMIR UNDERGROUND PUBLIC UTILITIES (ACQUISITION OF RIGHTS OF USER IN LAND) ACT
(IV of 2014)

Repeal as a whole.

18. THE JAMMU AND KASHMIR STATE EVACUEES' (ADMINISTRATION OF PROPERTY) ACT

(VI of Samvat 2006)

IndiaCode

Throughout the Act, for "Government Gazette" and "Jammu and Kashmir State", wherever occurring, substitute "Official Gazette" and "Union territory of Jammu and Kashmir" respectively.

Section 1. – In sub-section (2), for "the whole of the Jammu and Kashmir State" , substitute "whole of the Union territory of Jammu and Kashmir".

Section 14-A.- For "State Land Acquisition Act, Samvat 1990" and "sections 4, 6 and 7" , substitute "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)" and "sections 11 and 19" respectively.

Section 14-B.- In sub-section (2), for "sections 9, 9-A,11,12,18,23,24 and 31 of the State Land Acquisition Act, Samvat 1990", substitute"sections 21, 23, 37, 64, 69 and 76 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)".

Section 15. – In sub-section (2), for "Jammu and Kashmir Government Gazette" substitute "Official Gazette".

Section 22. – For "Criminal Procedure, 1989 (Act XXIII of 1989)", substitute "Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974)".

Section 24.– For "Code of Criminal Procedure, 1989 (Act XXIII of 1989)", substitute "Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974)".

Section 25.— For "Jammu and Kashmir Government Gazette",substitute "Official Gazette".

Section 26. – For "Jammu and Kashmir Government Gazette", substitute "Official Gazette".

Section 28. – For "Ranbir Penal Code (Act XII of 1989)", substitute "Indian Penal Code,1860 (45 of 1860)".

Section 29. – For "Code of Civil Procedure, 1977 (Act X of 1977)", "Ranbir Penal Code (Act XII of 1989)" and "sections 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure, 1989 (Act XXIII of 1989)" substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)", "Indian

Penal Code,(45 of 1860)" and "sections 345 and 346 of the Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974)"respectively.

Section 34. – For "Jammu and Kashmir Evidence Act, 1977(XII of 1977)", substitute "Indian Evidence Act, 1872".

Section 37. – For "Jammu and Kashmir Government Gazette", substitute "Official Gazette".

Section 39. – In sub-section (1), for "Jammu and Kashmir Government Gazette" ,substitute "Official Gazette".

19. THE JAMMU AND KASHMIR CONTROL OF BUILDING OPERATIONS ACT, (XV of 1988)

Section 3 In sub-section (2), in clause (b) for "in the Municipal Area" substitute " in the Municipal Areaexcluding any strategic area notified under the Jammu and Kashmir Development Act, 1970."

20. THE JAMMU AND KASHMIR NATIONAL LAW UNIVERSITY ACT, 2018 (II of 2019)

Section 2.- For clause (12), substitute,-

" (12) "University" means any University established under section 3 of the Act; and "

Section 3.- For section 3, substitute,-

"3. Establishment and Incorporation of University.- (1) The Government may, from time to time, by notification in the official Gazette, establish one or more Universities under this Act, by such place and with effect from such date as may be specified in such notification.

(2)Each university shall consist of the Chancellor, the Vice Chancellor , the Governing Council, the Executive Council, the Academic Council and the Registrar.

(3) Each University shall be a body corporate by the name, having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of the Act, to acquire and hold property, both movable and immovable, and to contract and shall, by the said name, sue and be sued.

(4) Each University shall be engaged in teaching and research in law and allied disciplines.

(5) The Headquarters of the University shall be at such place, as may be specified by the Government by notification in the Official Gazette and it may establish campuses at such places as it may deem fit."

21. THE JAMMU AND KASHMIR PROPERTY TAX BOARD ACT, 2013 (XI of 2013)

Section 5.—In sub-section (2), insert-

"Provided that during the continuation of Proclamation issued under section 73 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019 (34 of 2019), the Chairperson and members of the Board shall be appointed by the Lieutenant Governor".

—

IndiaCode

22. THE JAMMU AND KASHMIR FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2006
(XII of 2006)

Section 9.— In sub-section (2), after second proviso the following proviso shall be inserted, namely:

"Provided also that where such deficit amount exceeds the aforesaid targets on account of unforeseen circumstances arising out of a medical pandemic or related causes, a statement in respect of this shall be included in the next Annual Financial Statement or its revision placed before the Legislative Assembly after such deficit amount exceeds the aforesaid targets."

Section 11.— In sub-section (3), after clause (b), insert the following clause, namely:-

"(c) Where on account of unforeseen circumstances arising out of a medical pandemic or related causes, any deviation is made in meeting the obligations cast on the Government under the Act, a statement in respect of this shall be included in the next Annual Financial Statement or its revision placed before the Legislative Assembly explaining –

(i) any deviation in meeting the obligation cast on the Government under the Act;

(ii) whether such deviation is substantial and relates to actual or the potential budgetary outcomes; and

(iii)the remedial measures the Government proposes to take." .

IndiaCode

23. THE JAMMU AND KASHMIR MUNICIPAL ACT

(XX of 2000)

Insertion of new section.-
After section 18-B, insert-

DISQUALIFICATION ON THE GROUND OF DEFECTION NOT TO APPLY IN CASE OF SPLIT

"**18-BB.-** (1) A member of a Municipality shall not be disqualified under sub-section (1) of section 18-A where he and any other member of his original political party constitute the group representing a faction which has arisen as a result of split in his original political party and from the time of such split, such faction shall be deemed to be the political party to which he belongs for the purposes of sub-section (1) of section 18-A and to be his original political party for the purposes of this sub-section.

(2) For the purposes of sub-section (1), the split of the original political party of a member of a Municipality shall be deemed to have taken place if and only if not less than two-third of the members of the political party concerned have agreed to such split."

24. THE JAMMU AND KASHMIR MUNICIPAL CORPORATION ACT (XXI of 2000)

Insertion of new section.–
After section 34-B, insert:-

DISQUALIFICATION ON THE GROUND OF DEFECTION NOT TO APPLY IN CASE OF SPLIT

"**34-BB.**- (1) A member of a Corporation shall not be disqualified under sub-section (1) of section 34-A where he and any other member of his original political party constitute the group representing a faction which has arisen as a result of split in his original political party and from the time of such split, such faction shall be deemed to be the political party to which he belongs for the purposes of sub-section (1) of section 34-A and to be his original political party for the purposes of this sub-section.

(2) For the purposes of sub-section (1), the split of the original political party of a member of a Corporation shall be deemed to have taken place if and only if not less than two-third of the members of the political party concerned have agreed to such split."

Section 36.— (i) In sub-section (1), for "elect one of its Councillors", substitute "elect through open ballot one of its Councillors"; and

(ii) In sub-section (2) –

(a) for "five years from the date of his election as such", substitute "co-terminus with the term of the Corporation"; and

(b) after first proviso, add:-

"Provided further that the term of the Mayor and the Deputy Mayor who have been elected as such before the commencement of the Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) Fifth Order, 2020 shall also be co-terminus with the term of the Corporation.".

Section 37.— In sub-section (2), for "not less than one-half" substitute "not less than three-fourth"; and

25. THE JAMMU AND KASHMIR CIVIL SERVICES DECENTRALIZATION AND RECRUITMENT ACT (XVI of 2010)

Section 3A. — After sub-section (2), insert:-

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), spouse of a domicile shall also be deemed to be a domicile for the purposes of sub-section (1)".

26. THE STAMP ACT, SAMVAT 1977 (1920 A.D) (XL of Svt. 1977)

Insertion of new section.—After section 1, insert: –

"**1A**. The provisions incorporated in the Act by virtue of the Jammu and Kashmir Reorganization (Adaptation of State Laws) Fifth Order, 2020 shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.".

Section 2. — (i) for clause (1), substitute:-

IndiaCode

"(1) "allotment list" means a list containing details of allotment of the securities intimated by the issuer to the depository under sub-section (2) of section 8 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996);

(1A) "banker" includes a bank and any person acting as a banker;

(ii) in clause (5), at the end of sub-clause (c), insert –

"but does not include a debenture;";

(iii) after clause (7), insert:

"(7A) "Clearance List" means a list of transactions of sale and purchase relating to contracts traded on the stock exchanges submitted to a clearing corporation in accordance with the law for the time being in force in this behalf;';

(iv) after clause (10 a), insert:

"(10 b) "Debenture" includes—

(i) debenture stock, bonds or any other instrument of a company evidencing debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not;

(ii) bonds in the nature or debenture issued by any incorporated company or body corporate;

(iii) certificate of deposit, commercial usance bill, commercial paper and such other debt instrument of original or initial maturity upto one year as the Reserve Bank of India may specify from time to time;

(iv) securitised debt instruments; and

(v) any other debt instruments specified by the Securities and Exchange Board of India from time to time;

(10 c) "Depository" includes—

(a) a depository as defined in clause (e) of sub-section (1) of section 2 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), and

(b) any other entity declared by the Central Government, by notification in the Official Gazette, to be depository for the purpose of this Act;';

(v) for clause (14), substitute —

(14) "Instrument" includes –

(a) every document, by which any right or liability is, or purports to be, created, transferred, limited, extended, extinguished or recorded;

(b) a document, electronic or otherwise, created for a transaction in a stock exchange or depository by which any right or liability is, or purports to be, created, transferred, limited, extended, extinguished or recorded; and

(c) any other document mentioned in Schedule 1, but does not include such instruments as may be specified by the Government, by notification in the Official Gazette;';

(vi) after clause (15), insert:-

"(15A) "Issuer" means any person making an issue of securities;';

(vii) after clause (16-a),insert –

"Provided market value", in relation to an instrument through which—

(a) any security is traded in a stock exchange, means the price at which it is so traded;

(b) any security which is transferred through a depository but not traded in the stock exchange, means the price or the consideration mentioned in such instrument;

(c) any security is dealt otherwise than in the stock exchange/depository, means the price or consideration mentioned in such instrument;';

(viii) for clause (16-b), substitute:-

"(16-b) "Marketable Security" means a security capable of being traded in any stock exchange in India;

(ix) after clause (23a), insert –

"(23-b)" Securities" includes,—

(i) securities as defined in clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(ii) a "derivative" as defined in clause (a) of section 45U of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)

(iii) a certificate of deposit, commercial usance bill, commercial paper, repo on corporate bonds and such other debt instrument of original or initial maturity upto one year as the Reserve Bank of India may specify from time to time; and

(iv) any other instrument declared by the Central Government, by notification in the Official Gazette, to be securities for the purpose of this Act;';

(x) after clause (25), insert –

"(26) "stock exchange" includes.—

(i) a recognised stock exchange as defined in clause (f) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956); and

(ii) such other platform for grading or reporting, a deal in securities, as may be specified by the Central Government, by notification in the Official Gazette, for the purposes of this Act;';

IndiaCode

Section 4.— After sub-section (2), insert –

"(3)Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), in the case of any issue, sale or transfer of securities, the instrument on which stamp-duty is chargeable under section 9A shall be the principal instrument for the purpose of the section and no stamp-duty shall be charged on any other instrument relating to any such transaction;';

Insertion of new section .—After section 6, insert:—

"(**6 A**) Securities dealt in depository not liable to stamp-duty.—Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force,—

(a) an issuer, by the issue of securities to one or more depositories, shall in respect of such issue, be chargeable with duty on the total amount of securities issued by it and such securities need not be stamped,

(b) the transfer of registered ownership of securities from person to a depository or from a depository to a beneficial owner shall not be liable to duty.

Explanation.– For the purpose of this Section, the expression "beneficial ownership" shall have the same meaning as assigned to it in the clause (a) of sub-section (1) of section 2 of The Depositories Act, 1996 (22 of 1996)."

Insertion of new Part AA.— In Chapter II, after Part A relating to 'OF THE LIABILITY OF INSTRUMENTS TO DUTY', insert the following Part, namely:–

"AA.—OF THE LIABILITY OF INSTRUMENTS OF TRANSACTION IN STOCK EXCHANGES AND DEPOSITORIES TO DUTY

9A. Instruments chargeable with duty for transactions in stock exchanges and depositories,—(1) Notwithstanding anything contained in this Act,—

(a) when the sale of any securities, whether delivery based or otherwise, is made through a stock exchange, the stamp duty on each such sale in the clearance list shall be collected on behalf of the Government of Union territory of Jammu and Kashmir by the stock exchange or a clearing corporation authorised by it, from its buyer on the market value of such securities at the time of settlement of transaction in securities of such buyer, in such manner as the Central Government may, by rules, provide;

(b) when any transfer of securities for a consideration, whether delivery based or otherwise, is made by a depository otherwise than on the basis of any transaction referred to in clause (a), the stamp-duty on such transfer shall be collected on behalf of the Government of Union territory of Jammu and Kashmir by the depository from the transferor of such securities on the consideration amount specified therein, in such manner as the Central Government may, by rules provide; and

(c) when pursuant to issue of securities, any creation or change in the records of a depository is made, the stamp-duty on the allotment list shall be collected on behalf of the Government of Union territory of Jammu and Kashmir by the depository from the issuer of securities on the total market value of the securities as contained in such list, in such manner as the Central Government may, by rules, provide.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, the instruments referred to in sub-section (1) shall be chargeable with duty as provided therein at the rate specified in Schedule 1 and such instrument need not be stamped:

Provided that no duty shall be chargeable in respect of the instrument of transaction in stock exchanges and depositories established in any International Financial Services Centre set up under section 18 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).

(3) From the date of commencement of this Part, no stamp-duty shall be charged or collected by the Government of Union territory of Jammu and Kashmir on any note or memorandum or any other document, electronic or otherwise, associated with the transaction mentioned in sub-section (1).

(4) The stock exchange or a clearing corporation authorised by it or the depository, as the case may be, shall within the three weeks of the end of each month and in accordance with the rules made in this behalf by the Central Government, in consultation with the Government of Union territory of Jammu and Kashmir, transfer the stamp duty collected under this section to the Government of Union territory of Jammu and Kashmir where the residence of the buyer is located and in case the buyer is located outside India, to the Government of Union territory of Jammu and Kashmir having the registered office of the trading member or broker of such buyer and in case where there is no such trading member of the buyer, to the Government of Union territory of Jammu and Kashmir having the registered office of the participant:

Provided that before such transfer, the stock exchange or the clearing corporation authorised by it or the depository shall be entitled to deduct such percentage of stamp-duty towards facilitation charges as may be specified in such rules.

Explanation. – The term "participant" shall have the same meaning as assigned to it in clause (g) of section 2 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996)

(5) Every stock exchange of the clearing corporation authorised by it and depository shall submit to the Government details of the transactions referred to in sub-section (1) in such manner as the Central Government may, by rules, provide.

9B. **Instruments chargeable with duty for transactions otherwise than through stock exchanges and depositories,** --Notwithstanding anything contained in this Act,—

(a) When any issue of securities is made by an issuer otherwise than through a stock exchange or depository, the stamp-duty on each such issue shall be payable by the issuer, at the place where its registered office is located, on the total market value of the securities so issued at the rate specified in Schedule 1;

(b) When any sale or transfer or reissue of securities for consideration is made otherwise than through a stock exchange or depository, the stamp-duty on each such sale or transfer or reissue shall be payable by the seller or transferor or issuer, as the case may be, on the consideration amount specified in such instrument at the rate specified in Schedule 1.".

Section 21.— (i) For "the value of such stock or security according to the average price or the value thereof on the day of the date of the instrument.", substitute "the market value of such stock or security:" ;

(ii) insert the following proviso: –

"Provided that the market value for calculating the stamp-duty shall be, in the case of. –

(i) options in any securities, the premium paid by the buyer;

(ii) repo on corporate bonds, interest paid by the borrower, and

(iii) swap, only the first leg of the cash flow.".

Section 29.— (i) In clause (a),—

(a) omit"No.22 (Debenture)";

(b) omit"No. 54(a) (Transfer of shares in an incorporated Company or other body corporate)";

(c) omit "No.54(b) (Transfer of debentures, being marketable securities, whether the debentures is liable to duty or not)".

(ii) in clause (g), after "exchange", insert "including swap" ;

(iii) in clause (i), omit "and" and;

(iv) after clause (j), insert —

(k) in the case of sale of security through stock exchange, by the buyer of such security;

(l) in the case of sale of security otherwise than through a stock exchange, by the seller of such security.

(m) in the case of transfer of security through a depository, by the transferor of such security.

(n) in the case of transfer of security otherwise than through a stock exchange or depository, by the transferor of such security.

(o) in the case of issue of security, whether through a stock exchange or a depository or otherwise, by the issuer of such security; and

(p) in the case of any other instrument not specified herein, by the person making, drawing or executing such instrument.

Insertion of new Section 62 A.— insert.–

"**62A. Penalty for failure to comply with provisions of Section 9A.—(**1) Any person who,—

(a) being required under sub-section (1) of section 9A to collect duty, fails to collect the same, or

(b) being required under sub-section (4) of section 9A to transfer the duty to the Government of Union territory of Jammu and Kashmir within fifteen days of the expiry of the time specified therein, fails to transfer within such time,

shall be punishable with fine which shall not be less than one lakh rupees, but which may extend upto one per cent, of the collection or transfer so defaulted.

(2) Any person who,—

(a) being required under sub-section (5) of section 9A to submit details of transactions to the Government, fails to submit the same; or

(b) submits a document or makes a declaration which is false or which such person knows or believes to be false,

shall be punishable with fine of one lakh rupees for each day during which such failures continues or one crore rupees, whichever is less.

Amendment of Schedule 1.—In Schedule 1,—

(i) in Article 16, in column (1), ----

(a) after "CERTIFICATE OR OTHER DOCUMENT" insert "(except the certificate or other document covered under Articles 22 and 48 A);

India Code

(ii) in Article 23, for the entry in column (1), after "DELIVERY ORDER IN RESPECT OF GOODS," insert "(excluding delivery order in respect of settlement of transactions in securities in stock exchange)";

(iii) after Article 48 and the entry relating thereto, insert the following Article and entries:-

"

(1)	**(2)**
"48A. SECURITY OTHER THAN DEBENTURES (see sections 9A and 9B	
(a) Issue of security other than debenture;	.005%
(b) Transfer of security other than debenture on delivery basis;	.015%
(c) Transfer of security other than debentures on non-delivery basis;	.003%
(d) Derivatives----	
(i) Futures (equity and commodity)	.002%
(ii) Options (equity and commodity)	.003%
(iii) Currency and interest rate derivatives	.001%
(iv) Other derivatives	.002%
(e) Government securities	0%
(f) Repo on corporate bonds	.00001%";

"

(iv) In Article 54, omit items (a) and (b) and the entries relating thereto.

[F.No. 11012/21/2020-SRA]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.